SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु

मध्य प्रदेश शासन
2025 का प्रतिवेदन संख्या-10
खंड-II

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु

मध्य प्रदेश शासन

2025 का प्रतिवेदन संख्या-10

विषय सूची

विवरण	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
अध्याय I-विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	1.2	1
अभिस्वीकृति	1.3	8
अध्याय II-अनुपालन लेखापरीक्षा		
स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग		
"मध्य प्रदेश के स्कूलों में मानव संसाधन प्रबंधन" की लेखापरीक्षा	2.1	9
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग		
"मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली" की लेखापरीक्षा	2.2	36
जनजातीय कार्य विभाग		
"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु योजना" की लेखापरीक्षा	2.3	58

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.1	राज्य के चयनित नमूनों के विवरण को दर्शाता विवरण पत्रक	89
2.1.2	स्वीकृत संख्या के विरुद्ध पदस्थ स्टाफ	94
2.1.3	सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत पर शिक्षकों की कमी का प्रभाव	97
2.1.4	प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना	114
2.1.5	अन्य विभागों से सम्बद्ध कर्मचारियों के भुगतान का विवरण	116
2.1.6	स्कूलों के निरीक्षण में कमी	118
2.1.7	शिक्षकों का अनियमित स्थानांतरण एवं पदस्थापना	120
2.2.1	संतुष्टि सर्वेक्षण में चयनित जिलों, महाविद्यालयों तथा शामिल छात्रों की संख्या की सूची	130
2.2.2	अवधि 2020-23 के दौरान संस्थानों को दिए गए अग्रिम का सारांश	133
2.2.3	मार्च 2023 की स्थिति में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त रहे पद	137
2.2.4	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एजेंसी को भुगतान का विवरण	139
2.2.5(अ)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई अधोसंरचना की अनुपलब्धता का विवरण	142
2.2.5(ब)	भौतिक सत्यापन के दौरान अधोसंरचना की उपलब्धता में देखी गई भिन्नता का विवरण	156
2.2.5(स)	भौतिक सत्यापन में पाई गई अधोसंरचना की उपलब्धता में कमी का विवरण, जो एल.आई.सी. द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया था	172

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
2.2.6	छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण प्रतिक्रिया में चिह्नित सुविधाओं की कमी वाले महाविद्यालयों की सूची	182
2.3.1	भारत सरकार द्वारा जारी राशि एवं उसके विरूद्ध किये गए व्यय का परियोजना वार विवरण	186
2.3.2	सोलर पंपों एवं सहायक उपकरणों की अनियमित खरीद का विवरण	193
2.3.3	चयनित जिलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की स्थिति	195
2.3.4	चयनित जिलों में छात्रावासों के निर्माण की स्थिति	197
2.3.5	पी.टी.ए. द्वारा सोलर गीजर की स्थापना की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	200
2.3.6	कलेक्टर/ए.सी.टी.ए.डी. द्वारा सोलर गीजर की स्थापना की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	202
2.3.7	चयनित जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति	203
	संक्षिप्तों की शब्दावली	214

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा जनजातीय कार्य विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो अवधि 2023-24 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) के तीन विभागों, जिनका नाम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभागहै, की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियां, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देनों की जांच से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, कानून, विनियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

1.2 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के तीन विभागों के तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को समाहित करता है।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है।

1.2.1 "मध्य प्रदेश के स्कूलों में मानव संसाधन प्रबंधन" की लेखापरीक्षा

मानव संसाधन प्रबंधन स्कूल शिक्षा के समग्र निष्पादन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों को योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की समान एवं पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह छात्रों के अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करने तथा उनके समग्र कार्य निष्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में, विद्यालयों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग (एस.ई.डी.) के अधीन है, जबकि आदिवासी जिलों में विद्यालयों का नियंत्रण जनजातीय कार्य विभाग (टी.ए.डी.) द्वारा किया जाता है। अनुपालन लेखापरीक्षा 2018-2023 की अवधि के लिए आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

मध्य प्रदेश शासन स्कूलों में अनिवार्य छात्र-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) को बनाए नहीं रख सकी, जिससे राज्य के मिडिल, सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में औसत पीटीआर क्रमश 35:1, 30:1 एवं 30:1 के विरुद्ध 37:1, 40:1 एवं 54:1 रहा।

(कंडिका 2.1.2.1)

हायर सेकेंडरी स्कूलों (45 प्रतिशत) एवं सेकेंडरी स्कूलों (40 प्रतिशत) में शिक्षकों की कमी सबसे अधिक थी, जबकि मिडिल स्कूलों को भी शिक्षकों की भारी कमी (33 प्रतिशत) का सामना करना पड़ा। तथापि, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बेहतर थी, परन्तु फिर भी राज्य में शिक्षकों की उल्लेखनीय कमी (10 प्रतिशत) थी।

(कंडिका 2.1.2.2)

शिक्षकों की पदस्थापना छात्रों के नामांकन के अनुरूप समान रूप से संतुलित नहीं थी। शहरी स्कूलों की तुलना में ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां अधिक थीं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा की पहुंच एवं समानता पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 2.1.2.3 (i), 2.1.2.3 (ii) एवं 2.1.2.3 (iii))

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) में 57.45 प्रतिशत (व्याख्याता) एवं 80.85 प्रतिशत (सहायक प्राध्यापक) के बीच प्रशिक्षण संकाय की कमी के कारण आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या अपर्याप्त थी। विभाग ने 54 पाठ्यक्रमों में से 38 में प्रशिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। इसके अलावा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रदान किए गए ₹ 165.09 करोड़ में से ₹ 35.71 करोड़ (21.64 प्रतिशत) 2018-23 के दौरान समाप्त हो गए।

(कंडिका 2.1.3.1, 2.1.3.2 एवं 2.1.3.3)

विभाग ने 2018-23 के दौरान ₹ 303.11 करोड़ से ₹ 555.86 करोड़ की कमी के साथ पृथक बैंक खातों में प्राप्त पूरी राशि को निर्धारित अवधि के भीतर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को हस्तांतरित नहीं किया, जिससे कर्मचारियों के निवेश प्रतिफल पर असर पड़ा।

(कंडिका 2.1.4.1)

कई मॉड्यूल अर्थात नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति, प्रशिक्षण के लिए अनुरोध, छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति, अवकाश आवेदन तथा मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.आर.एम.आई.एस.) के सेवानिवृत्ति दावों के निपटान की स्थिति की निगरानी वांछित रूप से कार्य नहीं कर रहे थे एवं शासन इन्हें बदलने की प्रक्रिया में थी।

(कंडिका 2.1.5.1 (i))

सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी अपर्याप्त थी, जिसमें 4,222 शिकायतों का निवारण लंबित था। इसके अलावा, चयनित जिलों में से, तीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओ.), छः जिलों के खंड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) एवं चार जिलों के संकुल प्रधानाचार्य ने स्कूल निरीक्षण नहीं किया था।

(कंडिका 2.1.5.1 (ii) एवं 2.1.5.2)

पदों के युक्ति-युक्तकरण के बिना, शासकीय आदेशों का उल्लंघन करते हुए, स्वीकृत पदों से अधिक स्थानांतरण तथा तैनाती की गई थी।

(कंडिका 2.1.5.3 (ii))

<u>अनुशंसाओं का सारांश</u>

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को निर्धारित मानदंडों एवं आदेशों के अनुरूप राज्य में मानव संसाधन की पदस्थापना के युक्ति-युक्तकरण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए; एवं गहन एवं प्रभावी निगरानी तंत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों का नियमित निरीक्षण तथा समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, शासन को कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए एन.एस.डी.एल. खाते में अंशदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए; शिक्षकों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए तथा पारदर्शी प्रणाली लागू करनी चाहिए; एच.आर.एम.आई.एस. का पूर्ण क्षमता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सघन, समयबद्ध एवं निगरानी के साथ डिजिटलीकरण तथा सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही, समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता वाली शिकायतों से निपटने एवं स्वचालित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जी.आर.एम.एस. पोर्टल को अपग्रेड करना; एवं स्वीकृत संख्या के साथ संरेखण बनाए रखने के लिए शिक्षकों का युक्ति-युक्तकरण स्वीकृत पदसंख्या के अनुरूप किया जाए तथा शून्य अथवा निर्धारित सीमा से कम नामांकन वाले स्कूलों से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों का स्थानांतरण कर संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

1.2.2 "मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली" की लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना (मई 2011) मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (अधिनियम) के तहत मध्य प्रदेश राज्य में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पैरामेडिकल एवं अन्य संबद्ध विषयों में डिग्री एवं प्रमाण पत्र स्तर पर व्यवस्थित, कौशलपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय अपने संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपरस्पेशियलिटी फेलोशिप एवं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 36 एवं 37 के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2013 तथा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2014 एवं 2017 जारी किए। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गयी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

विश्वविद्यालय की स्थापना के 12 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी सभा (कोर्ट) एवं अकादमिक परिषद का गठन नहीं किया गया। सभा एवं शैक्षणिक परिषद का गठन न होने के कारण अधिनियम में उल्लिखित परामर्शदात्री तंत्र क्रियान्वित नहीं हो सका।

(कंडिका 2.2.4.1)

विश्वविद्यालय ने अवधि 2020-21 से 2022-23 के लिए रोकड़ बही, आय एवं व्यय का खाता बही तथा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए।

(कंडिका 2.2.5.1)

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 551 महाविद्यालयों/संस्थानों से ₹98.60 करोड़ की विन्यास (एंडोमेंट) निधि एकत्र नहीं की।

(कंडिका 2.2.5.2)

अग्रिम राशि ₹6.10 करोड़ परीक्षा के तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी समायोजित नहीं की गई।

(कंडिका 2.2.5.3)

विश्वविद्यालय ने अवधि 2017-18 से 2022-23 के दौरान महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क के रूप में ₹ 128.78 करोड़ एकत्र किए, लेकिन शुल्क पर ₹ 23.17 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर एकत्र नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.5.4)

विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत 275 पदों में से, 184 पद रिक्त थे (मार्च 2023)। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात प्रमुख पद जैसे रेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी एवं 16 सहायक कुलसचिव के पद रिक्त थे।

(कंडिका 2.2.6.1)

विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद से 4 से 23 अधिक आउटसोर्स कर्मचारी पदस्थ किए गए तथा दिसंबर 2021 से मार्च 2023 के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स एच.एल.एल. इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को ₹ 84.19 लाख का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.2.6.2)

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 के अलावा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शैक्षणिक कैलेंडर तैयार नहीं किया। विश्वविद्यालय के पास परीक्षा प्रणाली के स्वचालन के लिए उचित सॉफ्टवेयर नहीं था, जिसमें परीक्षार्थियों के डेटाबेस से लेकर डिग्री प्रदान करने तक के सभी घटक शामिल हो।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2)

विश्वविद्यालय ने अवधि 2020-23 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्राप्त करने के पश्चात महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने के लिए 92 से 728 दिनों के बीच का समय लिया था।

(कंडिका 2.2.8.1)

संबद्धता प्रदान करने के लिए स्थानीय जांच समिति द्वारा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई।

(कंडिका 2.2.8.2 (i))

कुलपति ने 17 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2022 के दौरान 49 अधिकारियों (विभिन्न महाविद्यालयों के डॉक्टर/प्राध्यापक) को दो से अधिक बार यथा तीन से 12 बार निरीक्षण के लिए नामित किया, जो कि परिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(कंडिका 2.2.8.2 (iii))

अनुशंसाओं का सारांश

विश्वविद्यालय अधिनियम में परिकल्पित परामर्शदात्री तंत्र के लिए सभा (कोर्ट), अकादमिक परिषद एवं अन्य अनिवार्य निकायों का गठन सुनिश्चित कर सकता है तथा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक घटनाओं एवं गतिविधियों को शामिल करते हुए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर सकता है। विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय, वित्तीय एवं लेखा अभिलेखों के संधारण तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी में विवेकशीलता तथा अपनी गतिविधियों एवं कार्यों के लिए एक एकीकृत आई.टी. अनुप्रयोग सुनिश्चित कर सकता है।

1.2.3 "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु योजना" की लेखापरीक्षा

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" जनजातियों में सबसे कमजोर वर्ग हैं, जो पृथक, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए टोले/आवासों में निवास करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के विकास की योजना' नामक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ (अप्रैल 2015) की जिसका उद्देश्य आवास (हैबिटेट) विकास दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर, समुदाय की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखते हुए, पी.वी.टी.जी. के सामाजिक-आर्थिक विकास की समग्र रूप से योजना बनाना है।

अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के लिए चयनित छ: जिलों के आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (सी.टी.ए.डी.) एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजकों के अभिलेखो की नमूना जांच के माध्यम से यह आँकलन करने के लिए लेखापरीक्षा की गई कि क्या विभाग ने योजना की योजना, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया एवं वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था अथवा नहीं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

सी.टी.ए.डी. ने न तो पी.वी.टी.जी. के विकास के लिए गतिविधियों की पहचान करने तथा उन्हें प्राथमिकता देने के लिए पी.वी.टी.जी. का आधारभूत सर्वेक्षण किया एवं न ही 2018-23 के दौरान संरक्षण सह विकास (सी.सी.डी.) योजना तैयार की। आधारभूत सर्वेक्षण एवं सी.सी.डी. योजना के अभाव में, विभाग के पास पी.वी.टी.जी. की जनसंख्या, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति आदि

का अद्यतन आंकड़ा नहीं था तथा सांस्कृतिक संरक्षण, स्थिरता, सशक्तिकरण एवं पी.वी.टी.जी. के समग्र विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण एवं योजना व्यक्तिपरक तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के विवेक पर निर्भर थी।

(कंडिका 2.3.2.1)

राज्य स्तरीय प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय पी.वी.टी.जी. विकास एजेंसियां अवधि 2018-23 के दौरान क्रियाशील नहीं थीं, इसलिए पी.वी.टी.जी. अपने विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में भाग नहीं ले सके।

(कंडिका 2.3.2.2)

क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि विलम्ब से जारी करने, वास्तविक व्यय की पुष्टि किए बिना भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) के अनुमोदन के बिना पूर्व अवधि से संबंधित राशि से व्यय करने के कारण योजना के लिए राशि का प्रवाह प्रभावित हुआ।

(कंडिकाएं 2.3.3.1, 2.3.3.2 एवं 2.3.3.3)

क्रियान्वयन एजेंसी, क्लस्टर स्तरीय संघों (सी.एल.एफ.) के बैंक खातों में अव्ययित निधि के अवरोधन तथा भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एकल नोडल खाते (एस.एन.ए.) में अव्ययित निधियों को जमा न करने के कारण भी योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(कंडिकाएं 2.3.3.4, 2.3.4.1, 2.3.4.2 (ii) एवं 2.3.4.4(i))

नियमों का उल्लंघन कर क्रय करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी की नियुक्ति में विलंब के प्रकरण सामने आए।

(कंडिकाएं 2.3.4.4 (ii), 2.3.5.3 (i) एवं 2.3.5.5)

कार्यकारी समिति (ई.सी.) की बैठकों में कमी रही तथा शासन द्वारा योजना का अनुश्रवण अपर्याप्त था।

(कंडिका 2.3.6.1)

<u>अनुशंसाओं का सारांश</u>

शासन आधारभूत सर्वेक्षण के माध्यम से आवश्यकता के आँकलन के बाद सी.सी.डी. योजनाओं की तैयारी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना में परिवर्तनों का अनुमोदन सुनिश्चित कर सकती है, विकास गतिविधियों में पी.वी.टी.जी. की सक्रिय भागीदारी एवं बैठकों तथा क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से भारत सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कर सकती

है। लेखापरीक्षा में यह भी अनुशंसा की गई है कि शासन क्रियान्वयन एजेंसियों को समय पर राशि जारी करना, तंत्र को मजबूत करने, साथ ही वास्तविक व्यय के आधार पर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण सुनिश्चित कर सकती है एवं पी.वी.टी.जी. निधियों के अनियमित/अनधिकृत व्यय, व्यपवर्तन एवं अवरोधन के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है।

1.3 अभिस्वीकृति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर का कार्यालय, लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय-II

अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 'मध्य प्रदेश के स्कूलों में मानव संसाधन प्रबंधन' की लेखापरीक्षा

2.2 'मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली' की लेखापरीक्षा

2.3 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु योजना' की लेखापरीक्षा

अध्याय-II: अनुपालन लेखापरीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग

2.1 "मध्य प्रदेश के स्कूलों में मानव संसाधन प्रबंधन" की लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

मानव संसाधन प्रबंधन स्कूल शिक्षा के समग्र निष्पादन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य स्कूलों को समान एवं पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह छात्रों के सीखने के परिणामों तथा उनके समग्र कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

राज्य में स्कूलों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग (एस.ई.डी.) के अधीन है, जबकि आदिवासी जिलों में स्कूलों का नियंत्रण जनजातीय कार्य विभाग (टी.ए.डी.) द्वारा किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पी.जी.आई. 2.0) 2021–22 ने राज्यों को स्कूल शिक्षा के प्रदर्शन के आधार पर 10 ग्रेडों[1] में वर्गीकृत किया। मध्य प्रदेश को "आकांक्षी–I" श्रेणी (आठवां ग्रेड) में रखा गया। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित दो डोमेन, शासन प्रक्रियाएँ तथा शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, में राज्य को क्रमशः छठा एवं चौथा स्थान प्राप्त हुआ।

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की संरचना राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित है, जिसमें 12 वर्षों की स्कूल शिक्षा[2] शामिल है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में एस.ई.डी. एवं टी.ए.डी. द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों, छात्रों के नामांकन एवं शिक्षकों की पदस्थापना की संख्या निम्न **तालिका 2.1.1** में दर्शाई गई है:

---

[1] I. दक्ष, II. उत्कर्ष, III. अति-उत्तम, IV. उत्तम, V. प्रश्वेता-1, VI. प्रश्वेता-2, VII. प्रश्वेता-3, VIII. आकांक्षी-1, IX. आकांक्षी-2, X. आकांक्षी-3।

[2] आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा 6-11 वर्ष एवं 11-14 आयु वर्ग के लिए क्रमशः प्राइमरी स्कूल (5) + मिडिल स्कूल (3) उसके बाद दो-दो वर्ष की सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा।

तालिका 2.1.1: शासकीय स्कूलों की संख्या, छात्रों का नामांकन एवं शिक्षकों की पदस्थापना (2022-23)

विभाग	शासकीय स्कूलों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या	पदस्थ शिक्षकों की संख्या
एस.ई.डी.	66,733[3]	67,61,283[4]	2,29,888[5]
टी.ए.डी.	25,558[6]	21,51,369[7]	67,311[8]

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग संयुक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक परीक्षा मंडल (पी.ई.बी.) द्वारा चयनित शिक्षकों की भर्ती करते हैं एवं उन्हें संबंधित विभाग के अधीन स्कूलों में रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए पदस्थ किया जाता है।

2.1.1.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

हमने मानव संसाधनों की भर्ती, पदस्थापना, पात्रता, क्षमता निर्माण एवं निगरानी से संबंधित नियमों तथा मानदंडों के अनुपालन के स्तर का आँकलन करने के लिए यह लेखापरीक्षा की गई। हमने 2018-23 की अवधि की अनुपालन लेखापरीक्षा की एवं ***परिशिष्ट-2.1.1*** में दर्शाये अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय (डी.पी.आई.), राज्य शिक्षा केंद्र (आर.एस.के.) एवं जनजातीय कार्य विभाग का निदेशालय, एवं बिना प्रतिस्थापन के साधारण याद्दच्छिक नमूना चयन पद्धति से चयनित दस जिलों[9] में जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.), सहायक आयुक्त, टी.ए.डी तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) में संधारित किए गए अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा के मानदंड राज्य शासन/विभागों द्वारा शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापना के सम्बन्ध में जारी राजपत्र अधिसूचनाओं एवं निर्देशों से लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020; मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018; समग्र शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के निर्देशों, मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.), भारत सरकार से जारी निर्देश

[3] 40,489-प्राइमरी, 19,157- मिडिल, 3,765- सेकेंडरी एवं 3,322- हायर सेकेंडरी स्कूल।

[4] 18,38,332-प्राइमरी, 23,12,806- मिडिल, 7,52,055- सेकेंडरी एवं 18,58,090 - हायर सेकेंडरी छात्र।

[5] 87,311-प्राइमरी, 72,568- मिडिल, 23,059- सेकेंडरी एवं 46,950- हायर सेकेंडरी विद्यालय अध्यापक।

[6] 17,881-प्राइमरी, 5,560- मिडिल, 1094- सेकेंडरी एवं 1023- हायर सेकेंडरी विद्यालय ।

[7] 7,52,378-प्राइमरी, 6,65,468- मिडिल, 2,20,910- सेकेंडरी एवं 5,12,613- हायर सेकेंडरी छात्र।

[8] 29,633-प्राइमरी, 18,794- मिडिल, 6,811- सेकेंडरी एवं 12,073- हायर सेकेंडरी स्कूल अध्यापक।

[9] अशोकनगर, बेतूल, भोपाल, इंदौर, मंडला, रतलाम, सतना, शहडोल, श्योपुर, टीकमगढ़।

तथा शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पी.जी.आई.), 2021-22 से प्रमुख संदर्भ लिए गए।

लेखापरीक्षा का प्रारंभ प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (एस.ई.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) तथा आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (टी.ए.डी.) के साथ आयोजित प्रवेश सम्मेलन (10 जुलाई 2023) से हुआ, जिसमे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु निर्गम सम्मेलन (14 फरवरी 2025) सचिव, एस.ई.डी. के साथ आयोजित किया गया तथा प्रत्युत्तरों को जहाँ भी आवश्यक हुआ अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया। प्रतिवेदन (22 जुलाई 2024) मध्य प्रदेश शासन को जारी किया गया था एवं टी.ए.डी. का उत्तर (22 अप्रैल 2025 को) प्राप्त हुआ, जिसे उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया। तथापि, बार-बार अनुरोध[10] किए जाने के बावजूद (मई 2025 तक) एस.ई.डी. द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 मानव संसाधनों का उपयोग

स्कूल शिक्षा में मानव संसाधनों का नियमन, रिक्त पदों की पूर्ति तथा शिक्षकों के स्थानांतरण/तर्कसंगत पदस्थापना से संबंधित है, जिससे शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों का सर्वोत्तम रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में समय-समय पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देश जारी किए हैं ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम विभिन्न स्तरों के विद्यालयों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) को अनिवार्य करता है। अतः, निर्धारित मानकों के अनुसार पी.टी.आर. बनाये रखने के लिए मानव संसाधनों की भर्ती एवं पदस्थापना को अनुरूपित किया जाना आवश्यक है । शिक्षकों की उपलब्धता, भर्ती तथा पदस्थापना में अपर्याप्तताएं पाई गईं, जिनकी चर्चा प्रतिवेदन में की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूलों की संख्या तथा मानव संसाधनों की स्थिति **चार्ट 2.1.1** एवं **2.1.2** में दर्शाई गई है।

[10] अगस्त 2024, सितम्बर 2024 एवं मार्च 2025।

चार्ट 2.1.1: एस.ई.डी. के अंतर्गत स्कूलों एवं शिक्षकों की संख्या

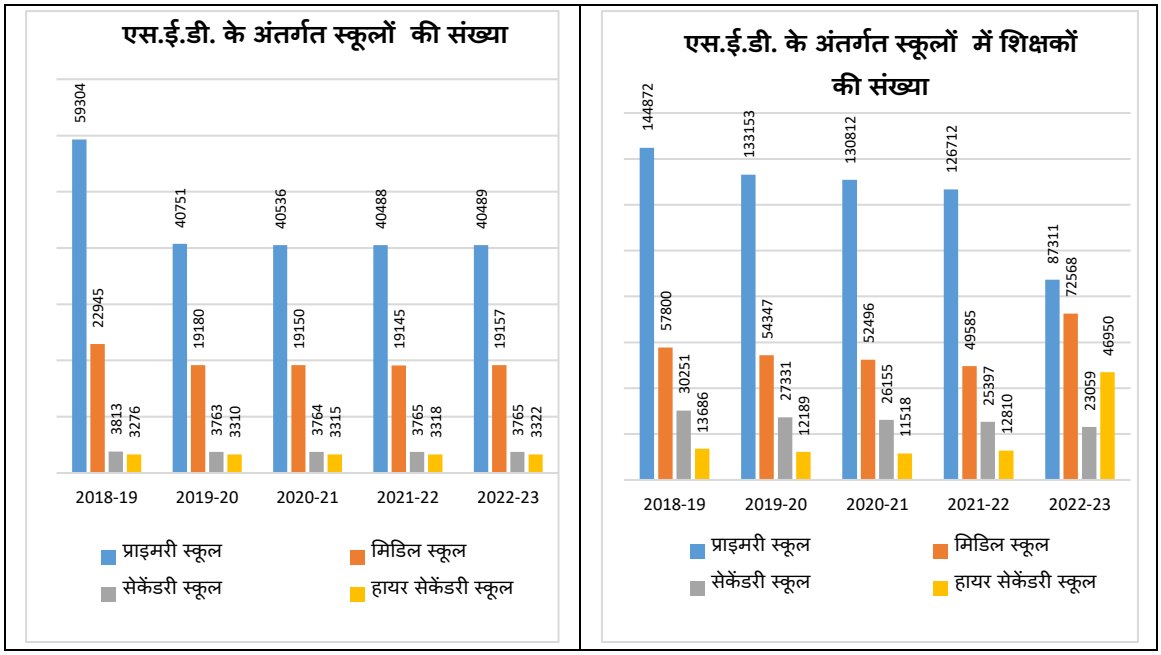

चार्ट-2.1.2 टी.ए.डी. के अंतर्गत स्कूलों एवं शिक्षकों की संख्या

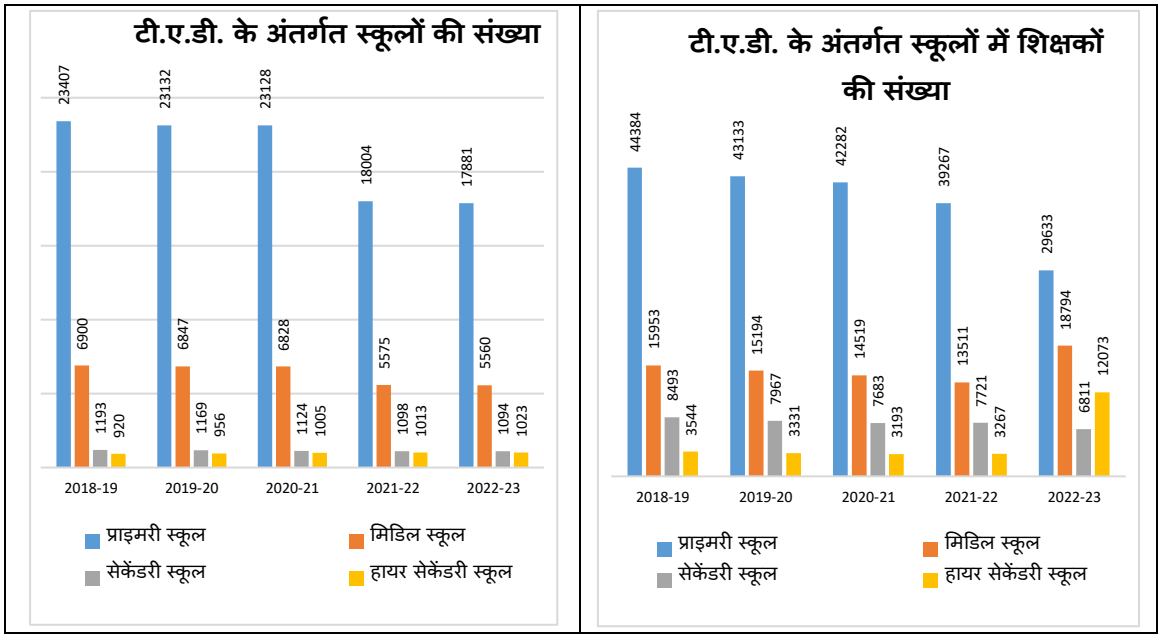

स्रोत: 2018-22 के लिए यू-डाइस पोर्टल एवं 2022-23 के लिए डी.पी.आई. का डाटा

यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों[11] की कुल संख्या में वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में "एक परिसर एक शाला" (ई.पी.ई.एस.) स्कूल विलय पहल के कारण तेजी से घट[12] गई।

[11] प्राइमरी + मिडिल + सेकेंडरी + हायर सेकेंडरी

[12] वर्ष 2018-19 में स्कूलों की कुल संख्या 89,338 थी एवं वर्ष 2019-20 में घटकर 67,004 हो गयी, जो 25 प्रतिशत गिरावट को दर्शाता है।

इस पहल के परिणामस्वरूप, कई एकल रूप से संचालित प्राइमरी स्कूलों का विलय कर दिया गया, जिससे राज्य में संचालित स्कूलों की कुल संख्या में गिरावट आई।

2.1.2.1 स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.)

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अनुसार, प्राइमरी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात[13] 30:1, मिडिल स्कूलों में 35:1 तथा सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 30:1 होना चाहिए।

स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए (जुलाई 2008 में) कि प्राइमरी स्कूलों में दो शिक्षक, कक्षा 6-8 एवं कक्षा 1-8 तक वाले मिडिल स्कूल में क्रमशः तीन एवं पाँच शिक्षक पदस्थ किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने मार्च 2013 में निर्देशित किया कि सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना होनी चाहिए।

राज्य के स्कूलों में श्रेणीवार छात्र-शिक्षक अनुपात की स्थिति **चार्ट-2.1.3** में नीचे दर्शाई गई है।

चार्ट-2.1.3: एस.ई.डी के स्कूलों एवं टी.ए.डी. के स्कूलों में पी.टी.आर.

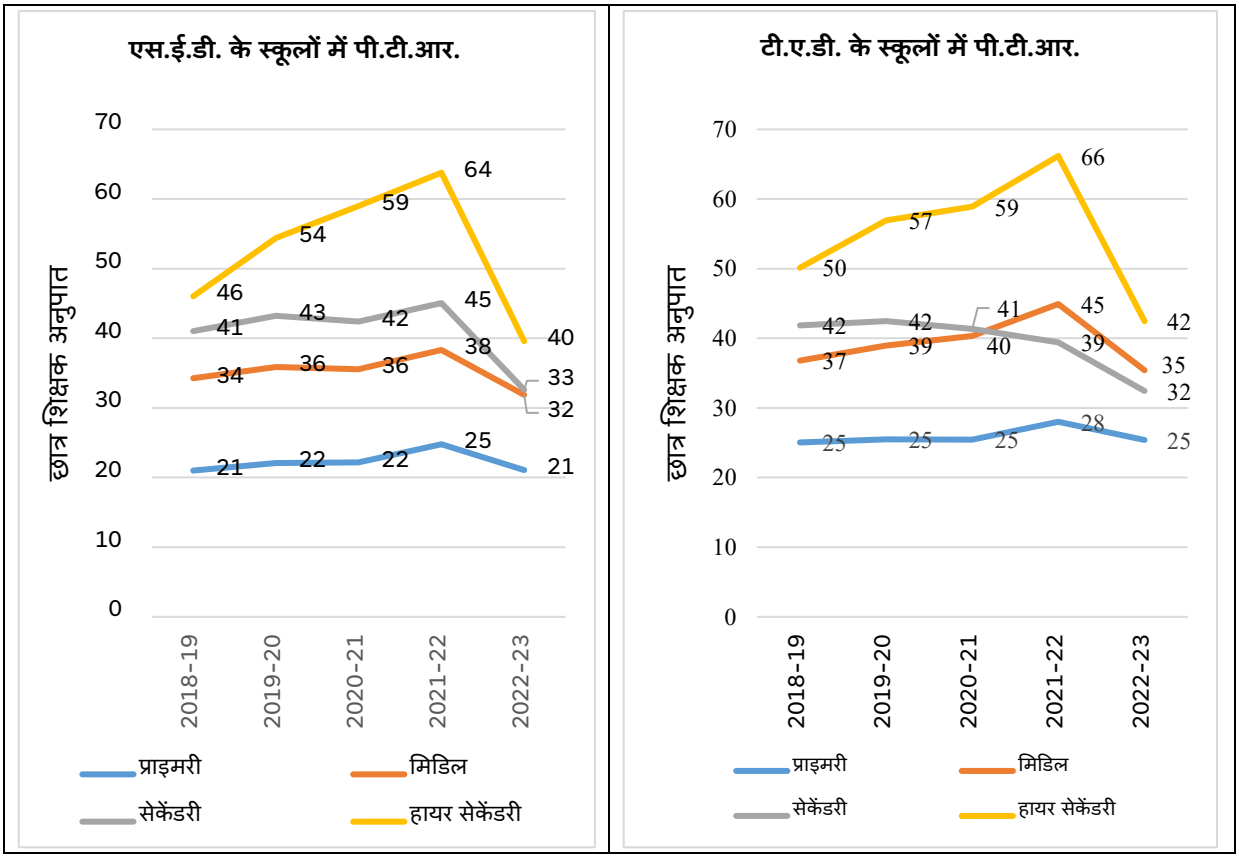

स्रोत: यू-डाइस पोर्टल डेटा

[13] किसी दिए गए स्कूल-वर्ष में शिक्षा के किसी विशिष्ट स्तर पर प्रति शिक्षक छात्रों (विद्यार्थियों) की औसत संख्या।

यह देखा गया कि राज्य में कुल मिलाकर छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्राइमरी स्कूलों को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के स्कूल में निर्धारित अनुपात की पूर्ति नहीं हुई, तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में यह अनुपात सबसे खराब पाया गया। ई.पी.ई.एस. स्कूल-विलय पहल के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्तर तक, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान हायर सेकेंडरी स्कूलों में पी.टी.आर. में उल्लेखनीय गिरावट आई। चयनित 10 जिलों में स्थित स्कूलों के औसत पी.टी.आर. (अवधि 2018-23) के आगे किये गए विश्लेषण में यह भी देखा गया कि निम्नलिखित जिलों[14] का पी.टी.आर. राज्य के औसत पी.टी.आर. (अवधि 2018-23) से विचलित पाया गया।

चार्ट-2.1.4: राज्य एवं चयनित जिलों के पी.टी.आर. की तुलना

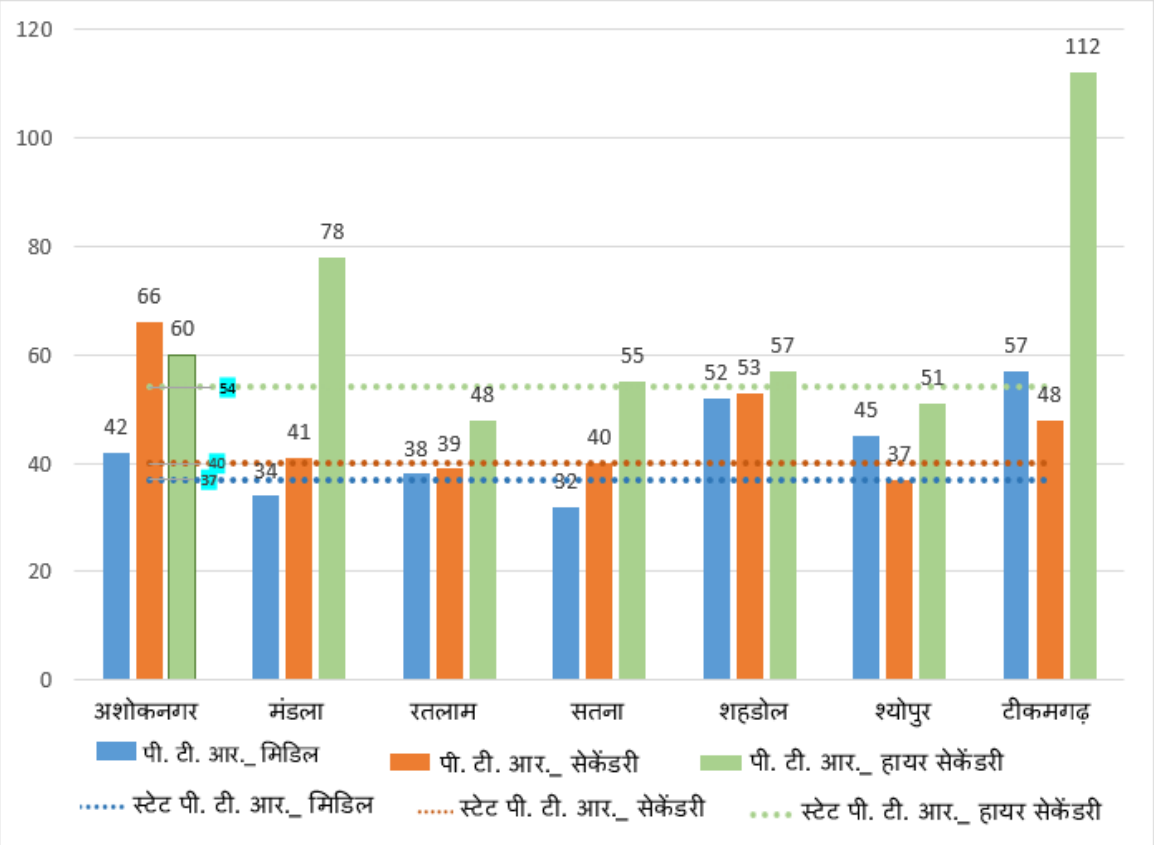

(स्रोत: यू-डाइस पोर्टल डाटा)

राज्य के मिडिल, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में औसत पी.टी.आर. क्रमशः 37:1, 40:1 एवं 54:1 है। उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि पाँच जिलों[15] में मिडिल स्कूलों का पी.टी.आर. राज्य के औसत 37:1 से अधिक है, जिनमें टीकमगढ़ 57:1 के साथ सर्वाधिक है। सेकेंडरी स्तर

[14] शेष तीन चयनित जिलों भोपाल, बैतूल और इंदौर का औसत पीटीआर राज्य के औसत पीटीआर के अनुरूप था, इसलिए इसे चार्ट में शामिल नहीं किया गया ।

[15] अशोकनगर, रतलाम, शहडोल, श्योपुर एवं टीकमगढ़।

पर, अशोकनगर में 66:1 का पी.टी.आर. दर्ज किया गया, जो राज्य के औसत 40:1 से 26 अंक अधिक है। हायर सेकेंडरी स्तर पर टीकमगढ़ पुनः सर्वाधिक पीटीआर 112:1 पाया गया, जो राज्य के औसत 54:1 से 58 अंक अधिक है। इस स्तर पर मंडला में भी 78:1 के साथ तीव्र वृद्धि देखी गई। ये विचलन विशिष्ट जिलों में शिक्षकों की उल्लेखनीय कमी को दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि चयनित जिलों के 17 स्कूलों[16] में छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के मानदंडों के अनुरूप था, किन्तु इन स्कूलों में विषय-विशेष शिक्षक पदस्थापित नहीं किए गए थे।

निर्धारित मानकों से अधिक पी.टी.आर. का कारण स्कूलों में नामांकित छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी तथा विषय-विशेष शिक्षकों की अनुपलब्धता पाया गया। यह आँकलन किया गया कि इससे स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने का जोखिम है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि प्रतिवेदन में इंगित की गई कमियों को दूर करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना के साथ-साथ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुपालन हेतु पर्याप्त शिक्षक संख्या बनाये रखा जाए ।

2.1.2.2 स्वीकृत पदों के के सापेक्ष पदस्थ कार्मिक

मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 (म.प्र. शिक्षक भर्ती नियम, 2018) की अनुसूची-2 में, स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की स्वीकृत पद संख्या निर्धारित की गई है। अगस्त 2023 तक की स्थिति में राज्य में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण नीचे दिए गए **चार्ट-2.1.5** में दर्शाया गया है:

[16] जी.एच.एस.एस. रामनगर, सतना; प्राचार्य, बालक एच.एस.एस. श्योपुर, श्योपुर; प्राचार्य, बालक एच.एस.एस. विजयपुर, श्योपुर; शासकीय एच.एस.एस. धरमपुरी, इंदौर; प्राचार्य शासकीय एच.एस. खरावाकला, रतलाम; शासकीय एच.एस.एस. ओछापुरा, श्योपुर; प्राचार्य जी.एच.एस.एस. मॉडल टीकमगढ़, शासकीय उत्कृष्टता एच.एस.एस. चंदेरी, अशोकनगर; प्राचार्य एच.एस.एस. बड़ागांव टीकमगढ़; शासकीय एच.एस.एस. मल्हारगढ़, अशोकनगर; शासकीय एच.एस. जामन्या, बैतूल; शासकीय एच.एस. सिलपती, बैतूल; शासकीय एच.एस. बरखेड़ा बोंदर भोपाल; शासकीय एच.एस. मगरखेड़ी, इंदौर; शासकीय एच.एस. थांब, गुराडिया, रतलाम; जी.एच.एस.एस. संस्कृत, सतना; ई.पी.ई.एस. जी.एच.एस. हरपुरा, टीकमगढ़।

चार्ट-2.1.5: स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षक

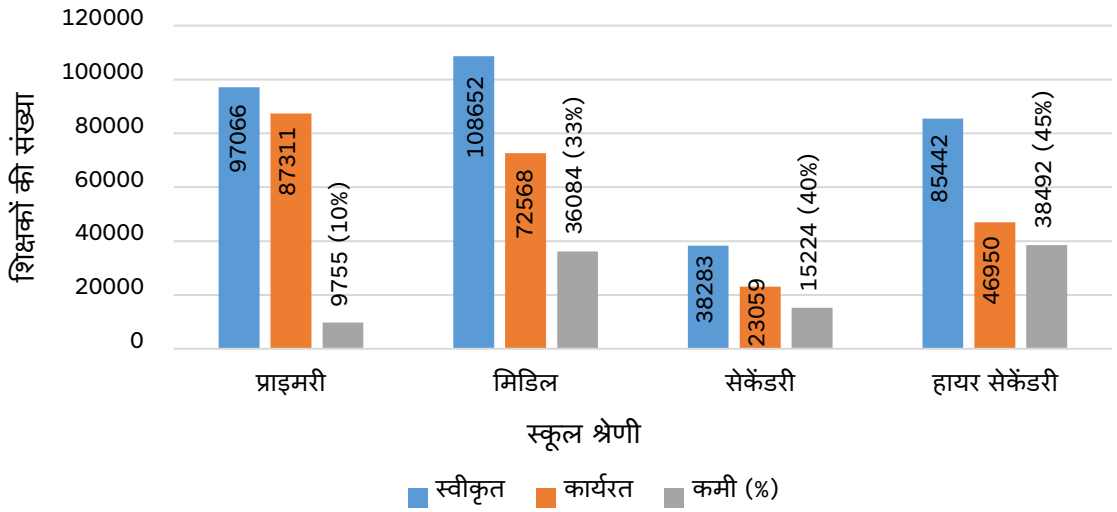

स्रोत: डी.पी.आई. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि प्राइमरी स्कूल को छोड़कर राज्य में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी तथा यह स्कूलों के स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ता गया।

चयनित जिलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- शहरी क्षेत्रों में कुल कमी 3.46 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति गंभीर पाई गयी, जहाँ कमी 28.32 प्रतिशत थी।
- बैतूल के शहरी क्षेत्रों में अधिशेष था जो क्रमशः 22.81 प्रतिशत से 51.28 प्रतिशत (प्राइमरी, मिडिल एवं सेकेंडरी स्कूल) एवं भोपाल में 21.53 प्रतिशत से 26.67 प्रतिशत (प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल) के बीच था।
- बैतूल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में 9.19 प्रतिशत का अधिशेष था तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में 38.94 प्रतिशत की कमी थी। इसी प्रकार, भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 16.65 प्रतिशत से लेकर 30.31 प्रतिशत तक शिक्षकों की कमी थी।
- हायर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कमी मंडला (67.31 प्रतिशत) में पायी गयी, इसके पश्चात क्रमशः टीकमगढ़ (63.73 प्रतिशत), अशोक नगर (61.83 प्रतिशत), श्योपुर (60.85 प्रतिशत) तथा रतलाम (56.56 प्रतिशत) में सबसे अधिक कमी दर्ज की गयी । चयनित जिलों की मानव संसाधन स्थिति ***परिशिष्ट 2.1.2*** में दर्शाई गई है।

हमने चयनित जिलों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) के सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी कक्षाओं के परिणाम के विश्लेषण किया तथा यह पाया कि कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 2018-23

(वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के दौरान उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 52.91 प्रतिशत एवं 65.03 प्रतिशत रहा। दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के उत्तीर्ण होने पर शिक्षकों की कमी के प्रतिशत का वर्षवार प्रभाव नीचे दिए गए **चार्ट 2.1.6** और **2.1.7** में क्रमशः दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.6: विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत के सापेक्ष शिक्षकों की कमी का प्रतिशत (कक्षा 10)

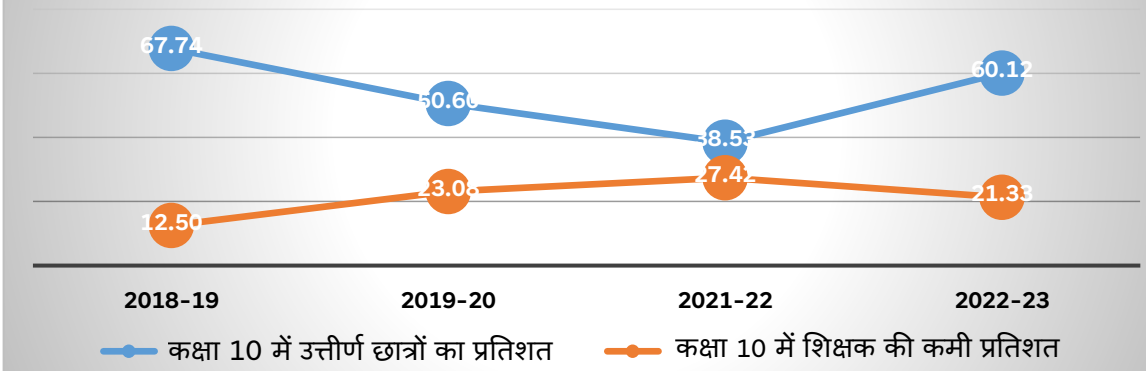

स्रोत: चयनित जिलों के दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम

चार्ट 2.1.7: विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत के सापेक्ष शिक्षकों की कमी का प्रतिशत (कक्षा 12)

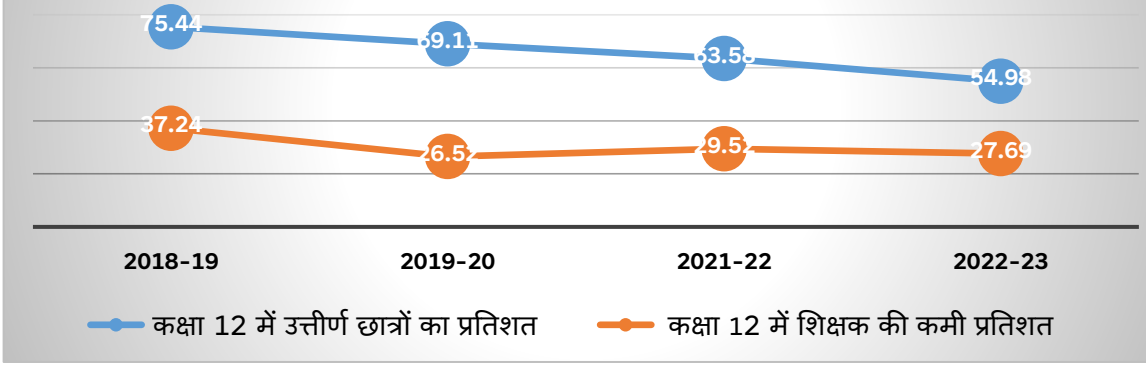

स्रोत: चयनित जिलों के बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम

उपरोक्त चार्ट यह दर्शाता है कि दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षकों की बढ़ती कमी तथा उत्तीर्ण प्रतिशत में गिरावट के बीच प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण सहसंबंध है। इसके विपरीत, बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान शिक्षकों की कमी में आंशिक सुधार हुआ है, तथापि उत्तीर्ण प्रतिशत में गिरावट जारी है। इससे यह संकेत मिलता है कि केवल शिक्षकों की कमी को कम करना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि शिक्षक गुणवत्ता तथा विषय-विशेष पदस्थापना से संबंधित विषयों का भी समाधान नहीं किया जाता। अतः, सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तरों में शिक्षकों की कमी से छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम है जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.3*** में वर्णित है।

जनजातीय कार्य विभाग (टी.ए.डी.), मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्युत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि, कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सेकेंडरी स्तर के शिक्षक के 847 पदों के लिए विज्ञापन दिया है। प्राइमरी शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं चयन परीक्षा अभी भी लंबित है।

2.1.2.3 संसाधनों का युक्ति-युक्तकरण

वित्त विभाग, म.प्र. शासन के निर्देशों (अगस्त 2021) के अनुसार, प्रशासनिक विभाग कुल स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत तक के रिक्त पद भरने के लिए अधिकृत है। पांच प्रतिशत से अधिक पद भरने के लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, म.प्र. शिक्षक भर्ती नियम, 2018 के नियम 7 एवं 17 में यह उपबंधित है कि किसी भी संवर्ग में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की जाएगी तथा प्राथमिक शिक्षक संवर्ग (पी.एस.)[17] जिला स्तर का होगा। इस प्रकार उनकी वरीयता/नियुक्ति जिला स्तर पर निर्धारित की जाएगी ।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश (मार्च 2013 एवं अप्रैल 2017) में यह प्रावधान है कि विभाग पदों का युक्ति-युक्तकरण सुनिश्चित करेगा तथा यदि स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त पद हैं, तो स्वीकृत पदों को अन्यत्र समायोजन के लिए संचालनालय को समर्पित किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय (डी.पी.आई.) द्वारा प्रति वर्ष समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, मांग या नामांकन के अनुसार अतिरिक्त पदों/विषयों को स्वीकृत या कम किया जाएगा। पी.एस. के चयन में देखी गई कमियों पर अगली कंडिका में चर्चा की गई है:

2.1.2.3 (i) जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों का युक्ति-युक्तकरण न किया जाना

जून 2022 तक मध्य प्रदेश में 52 जिले थे, जिनमें छ: आदिवासी[18] एवं 46 गैर-आदिवासी जिले शामिल थे। इस संरचना में, आदिवासी जिलों में स्कूलों का प्रबंधन टी.ए.डी. द्वारा किया जाता है, तथा गैर-आदिवासी जिलों में स्कूलों की देखरेख एस.ई.डी. द्वारा की जाती है।

एस.ई.डी. के अंतर्गत संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों (पी.एस.) के 7,429 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव (जनवरी 2022) प्रस्तुत किया, जिसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2022) किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 46 गैर-आदिवासी जिलों में 1,72,336 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,56,084 प्राथमिक शिक्षक कार्यरत थे, जबकि आर.टी.ई. मानदंडों के अनुसार 1,53,643 की

---

[17] मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची–I के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, खेलकूद शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक तथा गायन–वादन शिक्षक शिक्षण के प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के अंतर्गत आते हैं।

[18] अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर एवं बडवानी (इन जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित कोई स्कूल नहीं था।

आवश्यकता थी। यह इंगित करता है कि आर.टी.ई. मानदंडों के अनुसार 2,441 प्राथमिक शिक्षक आवश्यकता से अधिक थे। प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में अधिशेष का कारण स्थानीय निकायों द्वारा मूल रूप से नियुक्त शिक्षकों का एस.ई.डी. में विलय, कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी एवं पिछले आठ वर्षों में पदों के युक्ति-युक्तकरण की कमी थी। इन असंतुलनों के बावजूद, विभाग ने अधिशेष को पुनर्वितरित या समायोजित किए बिना 7,429 नए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक, जिला संवर्ग का पद होने के कारण, जिलों से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे न्यायालयीन वाद के मामले बढ़ेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2019 से 2022 के बीच विभाग ने अधिशेष स्टाफ वाले 25 जिलों से एवं उनमे कुल 5,649 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इससे पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षक एक जिला संवर्ग का पद होने के बावजूद, उन्होंने नियमित रूप से शिक्षकों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया।

2.1.2.3 (ii) पदस्थापना में असंतुलन

सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.), मध्य प्रदेश शासन ने राज्य के विभागों में पदों के युक्ति-युक्तकरण के संबंध में आदेश जारी (जून 2019) किया। उक्त आदेश के पैरा 11.16 में यह उपबंधित है कि जिन कार्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक स्टाफ पदस्थ हैं, वहां से अधिशेष स्टाफ को उन कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां पदों के युक्ति-युक्तकरण के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। उक्त आदेश के पैरा 11.19 में यह भी उल्लेख है कि किसी भी प्रतिष्ठान में स्वीकृत पदों से अधिक स्टाफ नहीं होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किए थे कि यदि किसी जिले के शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त शिक्षक पदस्थ हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है, तो शहरी क्षेत्र से अधिशेष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किया जाएगा।

डी.पी.आई. (अगस्त 2023) द्वारा उपलब्ध कराये गए 66,814[19] स्कूलों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के 6,607 स्कूलों में 35,663 की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 47,396 शिक्षक पदस्थ किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों में 11,733 शिक्षकों का अधिशेष था। इसके विपरीत, 29,116 अन्य स्कूलों में, 2,13,416 पदों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष केवल 1,13,734 शिक्षक पदस्थ थे, जिससे उन स्कूलों में 99,682 शिक्षकों की कमी पायी गई।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 62,213 स्कूल थे, जिनमें स्वीकृत पद 2,81,887 के सापेक्ष 1,98,175 (70.30 प्रतिशत) शिक्षक कार्यरत थे। इसी तरह, 4,601 शहरी स्कूलों में स्वीकृत पद 47,556 के सापेक्ष 43,319 (91.09 प्रतिशत) शिक्षक कार्यरत थे।

[19] प्राइमरी -40,565, मिडिल -19,131, सेकेंडरी -3,792 एवं हायर सेकेंडरी स्कूल -3,326.

चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति में असंतुलन था। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों का प्रतिशत नीचे दिए गए **मानचित्र 2.1.1** एवं **2.1.2** में दर्शाया गया है:

मानचित्र-2.1.1: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की पदस्थापना

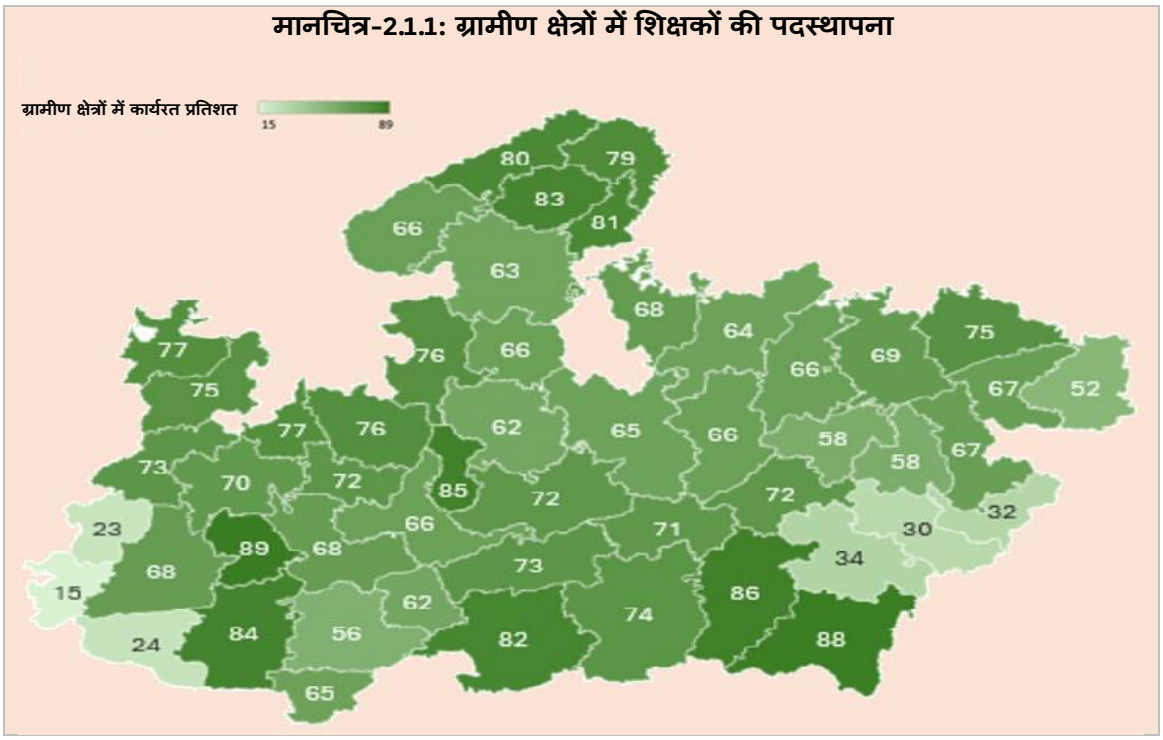

स्रोतः डी.पी.आई., भोपाल द्वारा प्रदाय आंकड़े

मानचित्र-2.1.2: शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की अधिशेष पदस्थापना

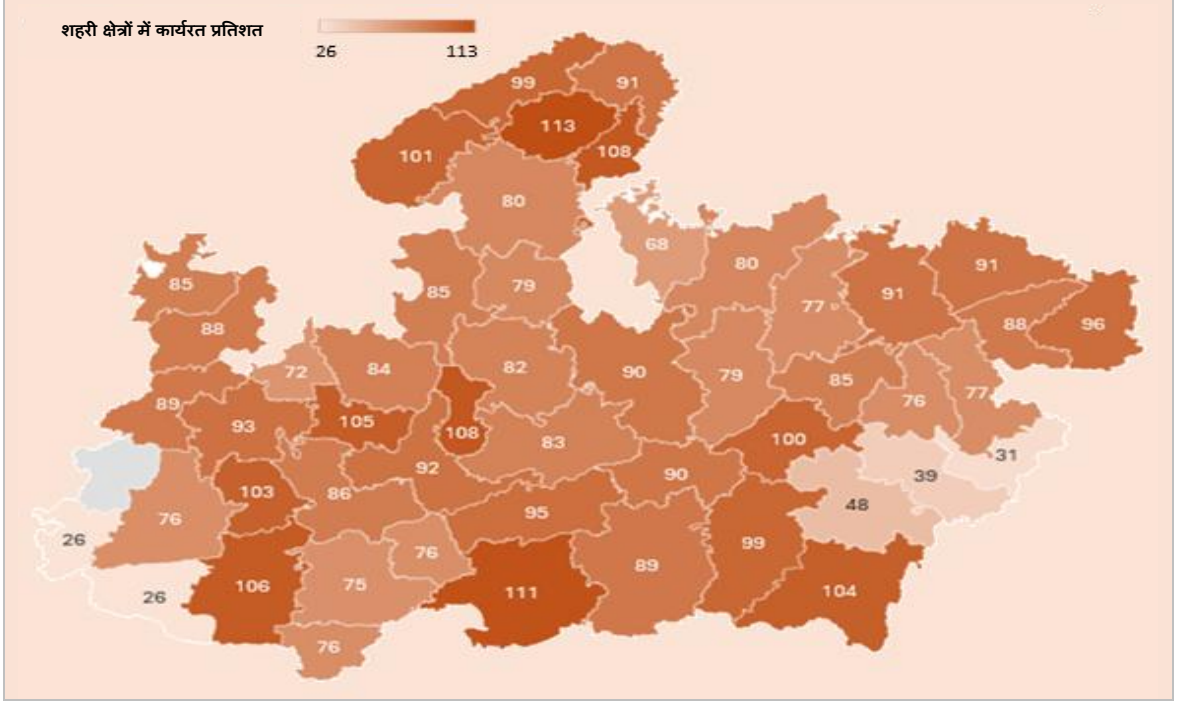

स्रोतः डी.पी.आई., भोपाल द्वारा प्रदाय आंकड़े

उपरोक्त मानचित्रों से स्पष्ट है कि कुछ जिलों में शिक्षकों की पदस्थापना के मामले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच उल्लेखनीय विषमताएं विद्यमान थीं। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध ग्वालियर (113 प्रतिशत), बैतूल (111 प्रतिशत), भोपाल (108 प्रतिशत) तथा दतिया (108 प्रतिशत) जिलों में अधिशेष पदस्थापना थी। जबकि इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की पदस्थापना 81 प्रतिशत (दतिया) से 85 प्रतिशत (भोपाल) के बीच थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.2** में संक्षेपित है:

तालिका 2.1.2: जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की पदस्थापना

जिले का नाम	शहरी क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र		
	स्वीकृत	कार्यरत	अधिशेष पदस्थापना (प्रतिशत)	स्वीकृत	कार्यरत	पदस्थापना (प्रतिशत)
ग्वालियर	2560	2904	113	4364	3607	83
बैतूल	503	559	111	4294	3541	82
भोपाल	2655	2865	108	2953	2523	85
दतिया	658	708	108	4193	3405	81

स्रोत: डी.पी.आई., भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने बताया कि 2024 में युक्ति-युक्तकरण किया गया था, जिसमें अधिशेष शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया था। रिक्त पदों पर पूर्णकालिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती करके पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है एवं नियमित स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने 2024 में किए गए युक्ति-युक्तकरण के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, शिक्षकों की तैनाती में असंतुलन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

2.1.2.3 (iii) स्कूलों में नामांकन के सापेक्ष शिक्षकों की पदस्थापना

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने एक ही परिसर में संचालित संस्थाओं के विलय तथा इस प्रक्रिया में यदि कोई अतिरिक्त मानव संसाधन होता है तो उसे रिक्तियों की आवश्यकतानुसार पुनर्वितरण हेतु निर्देश (सितम्बर 2013) जारी किए।

उक्त निर्देश में आगे उपबंधित है कि प्राइमरी स्कूल जहां नामांकन 20 से कम है तथा मिडिल स्कूल जहां नामांकन 10 से कम है, को युक्ति-युक्तकरण किया जाना चाहिए तथा ऐसे स्थानों पर प्रारंभ किया जाना चाहिए जहां शिक्षा का अधिकार नियम-2011 के अंतर्गत पड़ोस की परिभाषा के अनुसार नई शाला प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं छात्रों के नामांकन से संबंधित आंकड़ों का संधारण डी.पी.आई. करता है। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

[क] शून्य नामांकन वाले स्कूल

यह पाया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के 66,814 स्कूलों (अगस्त 2023 तक) में से 435 स्कूलों[20] में विद्यार्थियों का नामांकन शून्य था। इनमें से 105 स्कूलों में एक वर्ष से, 38 स्कूलों में दो वर्षों से, 33 स्कूलों में तीन वर्षों से तथा 259 स्कूलों में पिछले चार वर्षों से कोई नामांकन नहीं है।

आगे यह भी पाया गया कि इनमें से 320 स्कूलों में शिक्षकों के लिए कोई स्वीकृत पद नहीं है। तथापि, इन 320 स्कूलों में से 85[21] स्कूलों में अगस्त 2023 तक कुल 128[22] शिक्षक पदस्थ किये गए।

विभाग ने उत्तर दिया कि शून्य नामांकन वाले एवं बिना किसी शिक्षक वाले 292 स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि शेष 143 स्कूलों में इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में कोई द्वारा साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख प्रदाय नहीं किया गया।

[ख] अत्यल्प नामांकन वाले स्कूल:

डी.पी.आई., भोपाल के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 40,565 प्राइमरी एवं 19,131 मिडिल स्कूल संचालित (अगस्त 2023) थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 6,878 प्राइमरी स्कूलों में, छात्रों का नामांकन 20 से कम था, जिसमें 11,882 शिक्षक (शून्य नामांकन वाले 373 स्कूलों में 174 शिक्षकों सहित) पदस्थ थे। इसी तरह**,** 76 मिडिल स्कूलों में 10 से कम छात्रों का नामांकन था, जिसमें 113 शिक्षक (शून्य नामांकन वाले 39 स्कूलों में 50 शिक्षकों सहित) पदस्थ थे। तथापि, ऊपर उद्धृत आदेशों के अनुपालन में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले 6,954 प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों का युक्ति-युक्तकरण न किए जाने के कारण शासन पर 11,995 शिक्षकों का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा। इन शिक्षकों को उनकी सेवाओं के सर्वोत्तम उपयोग हेतु अधिक नामांकन वाले स्कूलों में पदस्थ किया जा सकता था।

---

[20] प्राइमरी स्कूल- 373, मिडिल स्कूल-39, सेकेंडरी स्कूल-15 एवं हायर सेकेंडरी स्कूल-8

[21] 75 प्राइमरी स्कूल, 9 मिडिल स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल

[22] 101 प्राथमिक शिक्षक, 19 माध्यमिक शिक्षक, 8 उच्चतर माध्यमिक शिक्षक

[ग] शिक्षक विहीन स्कूल:

ऐसे 1,895 स्कूल पाये गए, जिनमे विद्यार्थियों का नामांकन था, परन्तु कोई शिक्षक पदस्थ नहीं था।

विभाग ने प्रत्युत्तर में (मार्च 2024) बताया कि 1,689 ऐसे स्कूलों में जहां शिक्षक पदस्थ नहीं हैं, अतिथि शिक्षकों के माध्यम से तथा अन्य स्कूलों से शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था कर शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। तथापि, शेष 206 स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि शून्य नामांकन वाले स्कूलों से शिक्षकों के युक्ति-युक्तकरण की समय-समय पर समीक्षा की गई है तथा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार सभी स्कूलों को बंद करना संभव नहीं है। तथापि, जहाँ भी संभव है, प्राइमरी स्कूलों को मिडिल/सेकेंडरी स्कूलों में विलय करने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा के अधिकार नियम-2011 के अनुसार स्कूलों के युक्ति-युक्तकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा शिक्षकों के युक्ति-युक्तकरण के संबंध में की गयी आवधिक समीक्षा तथा उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित कोई भी समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण स्टाफ का युक्ति-युक्तकरण स्वीकृत पदों के अनुरूप किया जाए तथा शून्य अथवा निर्धारित सीमा से कम नामांकन वाले स्कूलों से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों का स्थानांतरण कर संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

2.1.3 शिक्षकों की क्षमता संवर्धन एवं मूल्यांकन

शिक्षकों को अपनी भूमिकाओं का समुचित निर्वहन करने हेतु, यह अपेक्षित है कि उनका विषयगत एवं शैक्षिक संवर्धन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी पूरे वर्ष शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में की गई थी तथा इन्हें प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने एवं जिला स्तर पर शिक्षा के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने के लिए 1990 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सरकार डी.आई.ई.टी. को शिक्षकों के प्रभावी प्रशिक्षण हेतु सशक्त बनाती है, जिससे जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों में देखी गई कमियों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.1.3.1 प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

स्कूल शिक्षा विभाग ने वार्षिक कार्य योजना (ए.डब्ल्यू.पी.) एवं शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का बजट तैयार किया। वार्षिक योजना पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में विचार किया जाता है, जिसमें इन-सर्विस तथा इंडक्शन प्रशिक्षण के लक्ष्य को अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, राज्य शिक्षा केंद्र (आर.एस.के.), मध्य प्रदेश शासन ने 2018-23 के दौरान प्रतिवर्ष नियोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।

ए.डब्ल्यू.पी. के अवलोकन से यह पाया गया कि आर.एस.के. ने 2018-23 के दौरान शिक्षकों के विकास हेतु 54 इन-सर्विस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से 16.56 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना बनाई तथा विभिन्न इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम[23] आयोजित किये । विभाग ने ऑनलाइन माध्यम से 14 प्रशिक्षण आयोजित किए, जिसमें 0.93 लाख शिक्षकों ने भाग लिया एवं शेष प्रशिक्षण जिला, ब्लॉक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) तथा राज्य स्तर पर प्रदान किए गए। यह भी पाया गया कि 16 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रदान किया गया था, तथापि, शेष 38 पाठ्यक्रमों में लक्ष्यों की तुलना में सहभागिता की कमी रही, जो 0.06 प्रतिशत (दक्षता उन्नयन) से 51.39 प्रतिशत (ऑनलाइन प्रधानाध्यापक नेतृत्व प्रशिक्षण) के बीच थी, जो इंगित करता है कि पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था, जिससे शिक्षक सहभागिता में कमी आई, नेतृत्व क्षमता में कमी तथा संस्थागत विकास की प्रगति प्रभावित हुई। विवरण ***परिशिष्ट-2.1.4*** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। तथापि, अधिकतम शिक्षकों को प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.3.2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) में संकाय सदस्यों की कमी

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 50 डी.आई.ई.टी. को स्वीकृति दी, जिनमें से 47 डी.आई.ई.टी. कार्य कर रहे थे एवं शेष तीन[24] में सिविल कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

---

[23] दक्षता उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण, हेडमास्टर प्रशिक्षण, मास्टर रिसोर्स कोर्डीनेटर प्रशिक्षण, शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, निष्ठा एफ एल एन 3.0 प्रशिक्षण (ऑनलाइन पाठ्यक्रम), एफ एल एन रिफ्रेशर प्रशिक्षण, निष्ठा 4.0 ई.सी.सी.ई. एम. टी. प्रशिक्षण, शाला सुरक्षा एवं स्वच्छता पर प्रशिक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रशिक्षण।

[24] अनूपपुर, अशोकनगर एवं सिंगरौली।

प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रत्येक डी.आई.ई.टी. में एक प्रधानाचार्य, तीन सहायक प्राध्यापक, पांच वरिष्ठ व्याख्याता एवं आठ व्याख्याता के पद स्वीकृत किए गए थे। मार्च 2023 तक 47 डी.आई.ई.टी. में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत पदों की स्थिति नीचे दी गई **तालिका-2.1.3** में दी गई है:

तालिका 2.1.3: राज्य के 47 डी.आई.ई.टी. में मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में
प्रधानाचार्य	47	17	30	*63.83*
सहायक प्राध्यापक	141	27	114	*80.85*
वरिष्ठ व्याख्याता	235	72	163	*69.36*
व्याख्याता	376	160	216	*57.45*
कुल	**799**	**276**	**523**	***65.46***

स्रोत: आर.एस.के., भोपाल द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के डी.आई.ई.टी. में सभी संवर्गों में स्टाफ की कमी 57.45 प्रतिशत (व्याख्याता) से 80.85 प्रतिशत (सहायक प्राध्यापक) के बीच रही। चयनित जिलों के डी.आई.ई.टी. में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत की स्थिति नीचे **चार्ट-2.1.8** में दी गई है:

चार्ट-2.1.8: डी.आई.ई.टी. में मानव संसाधन की कमी

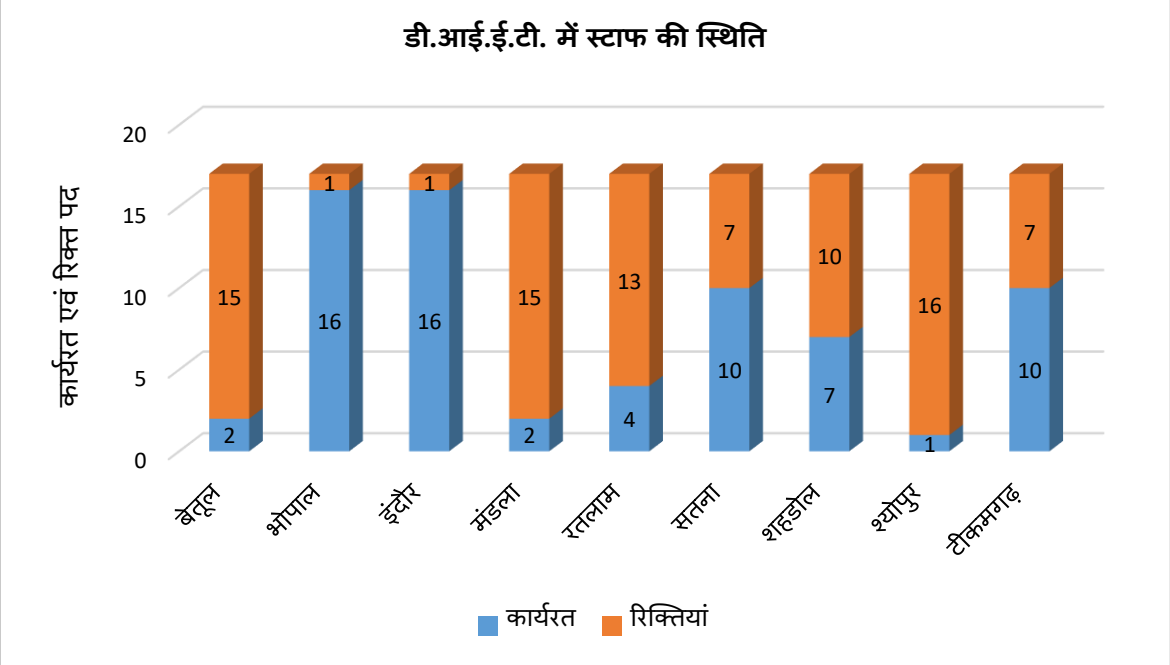

स्रोत: डी.आई.ई.टी. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि भोपाल एवं इंदौर को छोड़कर सभी चयनित जिलों की डी.आई.ई.टी. में प्रशिक्षण स्टाफ की कमी पाई गई। बैतूल, मंडला एवं श्योपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 17 के विरूद्ध केवल एक अथवा दो व्यक्ति ही पदस्थ थे।

इस प्रकार, डी.आई.ई.टी. में विभिन्न स्तरों पर स्टाफ की उल्लेखनीय कमी के कारण, संस्थानों के प्रभावी संचालन एवं प्रदान की जा रही शैक्षणिक सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम महत्वपूर्ण आंका गया।

विभाग ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या 799 के विरुद्ध 335 पद भरे गए हैं, तथा 58.07 प्रतिशत (464 पद) की कमी है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान, शासन ने डी.आई.ई.टी. में मानव संसाधन की कमी के तथ्यों को स्वीकार किया।

2.1.3.3 सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षण हेतु बजट का उपयोग न किया जाना

बजट मैन्युअल-वॉल्यूम I के नियम बी. 29 में यह प्रावधान है कि यदि प्रशासनिक विभाग को अधिशेष व्यय की समीक्षा के उपरांत भी बचत की संभावना प्रतीत होती है, तो ऐसी बचत राशि को वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए। यह कार्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 15 जनवरी तक कर लिया जाना चाहिए ताकि वित्त विभाग द्वारा उक्त संसाधनों का आवंटन अन्य अनुदान मांगों के लिए किया जा सकें।

हमने पाया कि वर्ष 2018-23 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को ₹165.09 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें से ₹129.38 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ₹35.71 करोड़ (21.64 प्रतिशत) की राशि व्यपगत हो गई। 2018-23 के दौरान 47 डी.आई.ई.टी. में बजट आवंटन एवं किया गया व्यय नीचे दी गई **तालिका-2.1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.4: प्रशिक्षण संस्थानों पर आवंटित बजट एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटित बजट	किया गया व्यय	व्यपगत बजट	व्यपगत बजट का प्रतिशत
2018-19	34.03	31.10	2.93	*8.64*
2019-20	71.27	40.69	30.58	*42.91*
2020-21	27.02	27.02	00	*0*
2021-22	17.77	17.77	00	*0*
2022-23	15.00	12.80	2.20	*14.67*
कुल	**165.09**	**129.38**	**35.71**	***21.64***

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 2018-20 एवं 2022-23 की अवधि के दौरान कुल व्यपगत राशि, आवंटन के 8.64 एवं 42.91 प्रतिशत के बीच थी तथा कुल व्यपगत राशि ₹35.71 करोड़ (21.64 प्रतिशत) थी। इस प्रकार, डी.आई.ई.टी. द्वारा निधियों के उपयोग न करने एवं व्यपगत होने के कारण संबंधित वर्ष में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का क्रियान्वयन भी प्रभावित हुआ।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि स्वीकृत पदों के अनुसार लक्ष्य निर्धारण एवं वास्तव में कम कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कोविड आपदा के कारण कार्यक्रमों को अचानक स्थगित कर दिए जाने के कारण बजट व्यपगत हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान, शासन ने कहा कि अधिकतम शिक्षकों को प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं एवं 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण के लिए आवंटित अधिकतम बजट का उपयोग किया गया।

2.1.4 शासन प्रक्रियाएँ

2.1.4.1 नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के ट्रस्टी बैंक में निधियों के हस्तांतरण में विलंब होना

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देश जारी किए गए (मई 2011) जो सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य थे। निर्देशानुसार, कर्मचारियों द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान तथा नियोक्ता के समान अंशदान को सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा इस उद्देश्य से आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से खोले गए पृथक बैंक खाते[25] में जमा किया जाएगा। उपरोक्त बैंक खातों में जमा अंशदान की राशि को अगले माह की 15 तारीख तक कर्मचारियों के विवरण सहित नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) में स्थानांतरित किया जाना था।

इसके अलावा, वित्त विभाग (23 नवम्बर 2013) के निर्देशों के अनुसार, ऐसे प्रकरणों में जहां वेतन कोषागार के माध्यम से आहरित किया जाता है, लेकिन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी.सी.पी.एस.) के तहत अंशदान राशि निर्धारित समयावधि के भीतर एन.एस.डी.एल. में जमा नहीं की जाती है, तो विलंब अवधि के लिए ब्याज[26] का भुगतान करने दायित्व शासन पर होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.पी.आई. ने पृथक बैंक खाते में प्राप्त नियोक्ताओं के अंशदान के साथ-साथ कर्मचारियों के अंशदान को निर्धारित समय के भीतर एन.एस.डी.एल. एन.पी.एस. ट्रस्ट खाते में स्थानांतरित नहीं किया। वर्ष 2018-23 के दौरान बैंक खाते में जमा की गई राशि तथा एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित की गई राशि का विवरण नीचे **तालिका-2.1.5** में दिया गया है:

[25] जिलों से अंशदान प्राप्त करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के नाम से यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, अरेरा कॉलोनी शाखा भोपाल में बचत खाता (क्र. 451702011009387) खोला गया।

[26] वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर।

तालिका 2.1.5: जमा की गई तथा एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित निधि

(₹ करोड़ में)

अवधि	बैंक में जमा किया गया	एन.एस.डी.एल. में हस्तांतरित	एन.एस.डी.एल. में हस्तांतरित नहीं किया गया	हस्तांतरित नहीं की गई राशि का प्रतिशत
2018-19	2281.89	1762.82	519.07	22.75
2019-20	2440.82	1884.96	555.86	22.77
2020-21	1486.98	1125.13	361.85	24.33
2021-22	617.55	284.40	333.15	53.95
2022-23	500.86	197.75	303.11	60.52

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभाग ने अवधि 2018-23 के दौरान निर्धारित अवधि के भीतर ₹303.11 करोड़ से ₹555.86 करोड़ की कमी के साथ अलग बैंक खाते में प्राप्त पूरी राशि को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित नहीं किया। इसके अलावा, विभाग के पास माह-वार अंशदान का विवरण उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा एन.एस.डी.एल. को जमा करने के लिए देय ब्याज की राशि का आकलन नहीं कर सकी।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने बताया कि एन.पी.एस. के क्रियान्वयन चरण के दौरान, योजना के कुछ परिचालन पहलू स्पष्ट नहीं थे, जिसके कारण एन.एस.डी.एल. में विलंब से धनराशि जमा की गई। समय पर धनराशि जमा करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा शेष राशि को ₹303 करोड़ (31 मार्च 2023) से घटाकर ₹246 करोड़ (31 दिसंबर 2024) रह गयी है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि योजना का प्रारंभिक चरण पहले ही समाप्त हो चुका था तथा इसके बावजूद कर्मचारियों के अंशदान की राशि को बैंक खाते में निरंतर रोके रखना अनियमित था। अंशदान की राशि का विलंब से स्थानांतरण होने के कारण कर्मचारियों को, यदि राशि समय पर एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित की जाती, तो मिलने वाले अपेक्षित निवेश प्रतिफलों से वंचित रहना पड़ा।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए एन.एस.डी.एल. खाते में अंशदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए।

2.1.4.2 अन्य कार्यालयों में संलग्न कर्मचारियों के वेतन पर अनियमित व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी (25 अगस्त 2000) किए गए, जिनमें अधिकारियों/कर्मचारियों की संलग्नीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया तथा अन्य विभागों/कार्यालयों में संलाग्निकृत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग/संगठन में वापस भेजने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई अधिकारी अपने

मूल कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यालय में पदस्थ था तथा उसका वेतन एवं भत्तों का भुगतान मूल कार्यालय द्वारा किया जा रहा था, तो इसे अनियमित माना जाएगा। उक्त निर्देशों में यह भी कहा गया कि यदि अधिकारी सम्बद्ध अवस्था में बने रहते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

हमने डी.ई.ओ./बी.ई.ओ./डी.आई.ई.टी. के चयनित कार्यालयों में देखा कि 14 अधिकारी अन्य विभागों से सम्बद्ध थे तथा उनके वेतन एवं भत्तों के लिए ₹3.27 करोड़ का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था (***परिशिष्ट-2.1.5***)।

यह देखा गया कि अधिकारियों को शासन द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में दो वर्ष से लेकर 20 वर्ष से अधिक की अवधि तक अन्य विभागों में संलग्न रखा गया था। तथापि, विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को अनियमित रूप से अन्य विभागों के साथ संलग्न किया गया एवं विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं लिए बिना ही अपने बजट से ₹3.27 करोड़ (अवधि 2018-23 के दौरान) व्यय कर दिए।

शासन, टी.ए.डी. ने कहा (22 अप्रैल 2025) कि निर्देशों के अनुपालन में सभी संलग्नीकरण रद्द कर दिए गए हैं (दिसंबर 2024), हालांकि, उत्तर के समर्थन में कोई समर्थित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा एस.ई.डी. का उत्तर (अप्रैल 2025) प्रतीक्षित है।

2.1.5 निगरानी प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगरानी, मूल्यांकन, आंकलन तथा फीडबैक की एक सुदृढ़ प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। इसमें त्रि-स्तरीय दृष्टिकोण शामिल है अर्थात विभिन्न स्कूल पहलुओं पर नज़र रखने के लिए डेटा-आधारित निगरानी, स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्र-आधारित शैक्षणिक निगरानी तथा मुद्दों को संबोधित करने एवं अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए समीक्षा-आधारित निगरानी। व्यापक शैक्षणिक निगरानी एवं गहन समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि स्कूल कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें एवं उनका समाधान करें, जिससे समग्र शैक्षिक गुणवत्ता बढ़े। निगरानी व्यवस्था में पाई गई कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.1.5.1 शिक्षा पोर्टल में कमियाँ

आर.एस.के. ने वर्ष 2008 में स्कूल शिक्षा के लिए एक पोर्टल विकसित किया। यह पोर्टल कर्मचारियों को आपसी संवाद एवं सूचना के लिए साझा मंच प्रदान करता है एवं छात्रों, शिक्षकों तथा नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह सभी स्कूली शिक्षा से संबंधित सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं सभी हितधारकों तथा सहभागी विभागों/ एजेंसियों के

लिए प्रामाणिक, लाइव सूचना के एकल स्रोत के रूप में सुविधा प्रदान करता है। शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल निम्नलिखित हैं:

2.1.5.1 (i) मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली

मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.आर.एम.आई.एस.) शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए विकसित की गई थी। पोर्टल में वेतन-पर्ची, शिकायत पंजीकरण, नई पेंशन योजना अंशदान, प्रशिक्षण के लिए अनुरोध, एस.एम.एस. अलर्ट भेजना, मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पंजीकृत प्रकरणों की स्थिति पर नज़र रखना, सेवानिवृत्ति दावों के निपटान की स्थिति पर नज़र रखना आदि मॉड्यूल थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्कूल की प्रोफ़ाइल, शिक्षकों की नियुक्ति, ई-सेवा पुस्तिका, शिकायत पंजीकरण के मॉड्यूल काम कर रहे थे, तथापि, नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति, प्रशिक्षण के लिए अनुरोध, छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति, छुट्टी के आवेदन एवं सेवानिवृत्ति दावों के निपटान की स्थिति पर नज़र रखना अभी तक पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक (अप्रैल 2024) 4,01,459 कर्मचारियों में से 3,97,926 की ई-सेवा पुस्तिका का डिजिटलीकरण किया गया तथा 2,82,773 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया। तथापि 3,533 कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका का डिजिटलीकरण एवं 1,18,686 कर्मचारियों की ई-सेवा पुस्तिका का सत्यापन (अप्रैल 2024) नहीं किया गया था तथा विभाग ने इन अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं सत्यापन के लिए कोई समयसीमा भी निर्धारित नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि प्रतिवेदन में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है।

शासन को प्रगति की सघन निगरानी करनी चाहिए तथा विलंबित डिजिटलीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना लागू करनी चाहिए, जिससे एच.आर.एम.आई.एस. का पूर्ण क्षमता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.1.5.1 (ii) ऑनलाइन शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली

सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए वर्ष 2020-21 में शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल का प्रारंभ किया गया। जिला, संभाग, विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर पर प्राप्त शिकायतों को नोडल अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्ति के सात दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। नोडल अधिकारी को शिकायत को संबंधित अनुभाग को अग्रेषित करना है, जिसका निस्तारण एक माह के भीतर किया जाना अपेक्षित है। यदि शिकायत अन्य

अनुभागों से संबंधित है, तो नोडल अधिकारी द्वारा इसे प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अग्रेषित किया जाएगा तथा संबंधित अनुभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में उसका समाधान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पोर्टल के संचालन के बाद से विभाग को 6,544 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 126 को विषय की गंभीरता के आधार पर निरस्त कर दिया गया तथा 2,196 शिकायतों का निवारण किया गया। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद 4,222 शिकायतों का निवारण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि प्रतिवेदन में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है। तथापि लंबित शिकायतों के निवारण/ निपटान के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

शासन को पोर्टल को सुदृढ़ करते हुये शिकायतों को तात्कालिकता एवं प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करने, उन्हें स्वतः संबंधित शाखाओं को आवंटित करने तथा समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट समयसीमा निर्धारित कर नियमित अनुवर्तन की व्यवस्था करनी चाहिए।

2.1.5.2 स्कूलों के निरीक्षण में कमी

डी.पी.आई. ने स्कूलों के निरीक्षण के लिए निर्देश (जून 2009) जारी किए तथा जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), विकास खंड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) एवं संकुल[27] प्राचार्य के लिए लक्ष्य[28] निर्धारित किए जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों की गहन एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को निरीक्षण किए गए स्कूलों का विवरण ऑनलाइन प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना था तथा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुवर्ती कार्रवाई भी की जानी थी।

चयनित जिलों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इंदौर, मंडला, श्योपुर में डी.ई.ओ. ने निरीक्षण नहीं किया। अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, सतना, श्योपुर एवं टीकमगढ़ में बी.ई.ओ. ने निरीक्षण नहीं किया तथा शेष चार जिलों में निरीक्षण लक्ष्य से 93 से 99 प्रतिशत कम रहा। संकुल के प्रकरणों में अशोकनगर, मंडला, शहडोल एवं टीकमगढ़ में प्राचार्यों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया तथा शेष छ: जिलों में निरीक्षण, लक्ष्य से लगातार 81 से 99 प्रतिशत कम रहा। विवरण ***परिशिष्ट-2.1.6*** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान, शासन ने यह आश्वासन दिया कि स्कूल निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

[27] स्कूलों का एक समूह, जिसकी शैक्षणिक प्रगति एक ही स्कूल संकुल प्राचार्य पर निर्भर करती है।

[28] निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष डी.ई.ओ. के लिए 348 निरीक्षण, बी.ई.ओ. के लिए 744 निरीक्षण तथा संकुल प्राचार्य के लिए 90 निरीक्षणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

शासन को गहन एवं प्रभावी निगरानी तंत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों का नियमित निरीक्षण तथा समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.1.5.3 नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापना में अनियमितताएं

2.1.5.3 (i) नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि के दौरान अनियमित स्थानांतरण

शासकीय स्थानांतरण नीति, 2022 (सितंबर 2022) के पैरा 2.14 में उपबंधित है कि नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से कम से कम तीन वर्ष या परिवीक्षा अवधि के दौरान जो भी पहले हो, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात होना अनिवार्य है। इस तरह नियुक्त शिक्षकों को अपनी पूरी सेवा अवधि में 10 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को जारी किए गए नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी एवं इस अवधि के दौरान उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा अथवा वे स्थानांतरण के लिए अधिकारियों से संपर्क नहीं करेंगे।

कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 5,068 नवनियुक्त[29] शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था तथा इनमें से 4173 को विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी। नियुक्ति के बाद स्थानांतरित कर्मचारियों का विवरण नीचे दी गई **तालिका-2.1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.6: शिक्षकों का स्थानांतरण

नियुक्ति की तिथि		स्थानान्तरण की तिथि	माह के भीतर	स्थानांतरित
कब से	कब तक		स्थानान्तरण	कर्मचारी
18.04.2022	08.09.2022	22.10.2022	6	291
13.10.2021	08.04.2022	22.10.2022	7 – 12	996
05.05.2021	12.10.2021	22.10.2022	13 – 18	2,802
05.02.2021	17.03.2021	22.10.2022	19 - 21	84
कुल				**4,173**

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 291 शिक्षकों का स्थानांतरण नियुक्ति के छः माह के अन्दर तथा 966 शिक्षकों का स्थानांतरण नियुक्ति के बारह माह के अन्दर किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के प्रावधानों तथा नियुक्ति पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया गया।

[29] फ़रवरी 2021 से सितम्बर 2022 के मध्य।

विभाग ने अपने उत्तर (फरवरी 2024) में कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों की परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी तथा उन्हें तीन वर्ष पश्चात पदस्थापित किया गया। इतनी लम्बी अवधि में अनेक शिक्षकों के पारिवारिक/विवाह/बीमारी आदि समस्याओं तथा वरिष्ठ स्तर पर प्राप्त अभ्यावेदनों के कारण, शासन द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित कर उन्हें योग्यता क्रम में पदस्थापन का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। समस्त नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर न होकर स्वैच्छिक आधार पर किये गये हैं, अतः उल्लेखित बिन्दु के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियुक्ति आदेश तथा स्थानांतरण नीति में नए भर्ती हुए शिक्षकों के स्थानांतरण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबन्ध है, लेकिन विभाग ने मौजूदा नियमों के विरुद्ध नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर ही उपरोक्त शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया।

2.1.5.3 (ii) टी.ए.डी. में शिक्षकों का अनियमित स्थानांतरण एवं पदस्थापना

जी.ए.डी. ने निर्देश जारी (4 जून 2019) किये एवं निर्देशों में प्रावधानित है कि जिन कार्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी हैं, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में, जहां रिक्तियां हैं, स्थानांतरित किया जाएगा। निर्देश में यह भी प्रावधानित है कि किसी भी प्रतिष्ठान में स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी नहीं होने चाहिए।

हमने टी.ए.डी. के चयनित जिले बैतूल एवं मंडला में पाया कि 48 शिक्षकों का स्थानांतरण उन स्कूलों में कर दिया गया, जहां शिक्षकों के स्वीकृत पद पहले से ही पूर्ण थे। इसके अलावा दो[30] स्कूलों में पहले से ही स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक पदस्थ थे, फिर भी जी.ए.डी. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। इसका विवरण ***परिशिष्ट-2.1.7*** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2025) के दौरान शासन ने कहा कि स्थानांतरण नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है एवं दोनों जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अनियमित स्थानांतरण के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, टी.ए.डी. ने उत्तर दिया (22 अप्रैल 2025) कि एक ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल विकसित किया जा रहा है एवं इसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा।

2.1.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करने के लिए, स्कूलों के लिए मानव संसाधन का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। हमने पाया कि शासन, प्राइमरी स्कूलों को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के स्कूल में निर्धारित पी.टी.आर. पूर्ति नहीं हुई। सभी श्रेणियों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पाई गई, जिसमे सबसे अधिक कमी हायर सेकेंडरी स्कूलों में थी।

[30] मिडिल स्कूल चोपन, खंड भैंसदेही एवं पी.एस. कोंडीधाना, खंड भैंसदेही।

इसके अलावा, शिक्षकों की पदस्थापना, छात्रों के नामांकन के अनुरूप तथा सामान रूप से संतुलित नहीं थी। शहरी स्कूलों की तुलना में ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के अधिक पद रिक्त थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा की पहुँच एवं समानता के पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

शिक्षकों की क्षमता निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रदान की जाने वाली शिक्षा का मानक निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो। यह देखा गया कि डी.आई.ई.टी. में प्रशिक्षण संकाय की कमी के कारण आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या अपर्याप्त थी। प्रशिक्षण लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे थे एवं प्रशिक्षण के लिए प्रदाय बजट का कुछ हिस्सा व्यपगत हो गया।

शिक्षण संसाधनों की निगरानी सहित शासन व्यवस्था को नियमित निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था, ताकि पात्रता संबंधी कार्यों की पर्याप्तता तथा स्थानांतरण एवं भर्ती मानदंडों का पालन हो सके। यह पाया गया कि शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, पदों के युक्ति-युक्तकरण के बिना स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में स्थानांतरण एवं पदस्थापना की गई।

सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी अपर्याप्त पाई गई, जिसमें शिकायत निवारण के प्रकरणों का लंबित रहना तथा स्कूलों के निरीक्षण की कमजोर स्थिति शामिल थी। एन.पी.एस. के अंशदान को एन.एस.डी.एल. खाते में स्थानांतरित करने में भी विलंब हुआ, जिससे कर्मचारियों के निवेश प्रतिफल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कर्मचारियों के आपसी संवाद एवं सूचना के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विकसित शिक्षा पोर्टल अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर रहा था तथा शासन उसी के स्थान पर नया पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया में था।

लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि शासन को:

i. *निर्धारित मानदंडों एवं आदेशों के अनुरूप राज्य में मानव संसाधन की पदस्थापना के युक्ति-युक्तकरण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। (कंडिका संख्या 2.1.2.1 के संदर्भ में)*

ii. *गहन एवं प्रभावी निगरानी तंत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों का नियमित निरीक्षण तथा समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। (कंडिका संख्या 2.1.5.2 के संदर्भ में)*

iii. *कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए एन.एस.डी.एल. खाते में अंशदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए। (कंडिका संख्या 2.1.4.1 के संदर्भ में)*

iv. *शिक्षकों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए तथा पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए। (कंडिका संख्या 2.1.5.3 के संदर्भ में)*

v. *एच.आर.एम.आई.एस. का पूर्ण क्षमता के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सघन, समयबद्ध एवं निगरानी के साथ डिजिटलीकरण तथा सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही, समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता वाली शिकायतों से निपटने एवं स्वचालित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जी.आर.एम.एस. पोर्टल को उन्नयन किया जाए। (कंडिका संख्या 2.1.5.1 के संदर्भ में)*

vi. *शासन यह सुनिश्चित करे कि शिक्षकों का युक्ति-युक्तकरण स्वीकृत पद संख्या के अनुरूप किया जाए तथा शून्य अथवा निर्धारित सीमा से कम नामांकन वाले स्कूलों से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों का स्थानांतरण कर संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। (कंडिका संख्या 2.1.2.3 के संदर्भ में)*

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

2.2 "मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली" की लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (एम.पी.एम.एस.यू.), जबलपुर (विश्वविद्यालय) की स्थापना (मई 2011) मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (अधिनियम) के तहत की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में चिकित्सा, दंतचिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य संबद्ध विषयों में डिग्री एवं प्रमाणपत्र स्तर पर व्यवस्थित, कुशल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय अपने संबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपरस्पेशियलिटी फेलोशिप एवं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान 599 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की। अधिनियम की धारा 36 तथा 37 के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2013 (परिनियम) तथा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2014 एवं 2017 जारी किए।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं एवं कुलपति (वी.सी.) विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी हैं। कुलपति, कार्य परिषद (ई.सी.) का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष भी होता हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विश्वविद्यालय के सलाहकार एवं कार्यकारी निकायों के सदस्य हैं।

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011, के अनुसार

- सभा(कोर्ट), कार्य परिषद, वित्त समिति, शैक्षणिक परिषद, संकाय, अकादमिक बोर्ड, शैक्षणिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे।
- कुलाधिपति, कुलपति, रेक्टर, संकाय के अधिष्ठाता (डीन), कुलसचिव (रजिस्ट्रार), परीक्षा नियंत्रक, छात्र कल्याण के अधिष्ठाता तथा विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

हमने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा की।

विश्वविद्यालय से 599 सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, जिनमें से 18 चयनित जिलों के 76 महाविद्यालयों का चयन सम्बद्धता से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) पद्धति के आधार पर किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 76 सम्बद्ध महाविद्यालयों का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.1*** में दिया गया है। 74 चयनित महाविद्यालयों/संस्थाओं[31] के 726 छात्रों का छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान संस्थानों के संबंध में फोटोग्राफिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए 12 सितंबर 2023 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। 4 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन में तथा उसके बाद (जुलाई 2025) दिए गए उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.4 अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के प्रावधानों का अनुपालन न होना

2.2.4.1 सभा (कोर्ट), शैक्षणिक परिषद तथा परीक्षक एवं परिनियामक (मॉडरेटर) समिति का गठन न होना

अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वे विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर सभा (कोर्ट) एवं अकादमिक परिषद का गठन करें तथा जब तक उक्त प्राधिकरण गठित नहीं हो जाते, कुलपति को ऐसा प्राधिकरण माना जाएगा। न्यायालय व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वित्तीय अनुमानों पर विचार करने एवं प्रस्ताव पारित करने तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक

[31] चयनित 76 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से दो महाविद्यालयों में चल रही छुट्टियों के कारण संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय कोई छात्र नहीं था|

नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी एवं शिक्षण के तरीकों के बारे में निर्देश देगी, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश के लिए आवेदन पर विचार करेगी एवं परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करेगी तथा परीक्षाफल समितियों की नियुक्ति करेगी।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 12 वर्ष[32] बीत जाने के पश्चात भी सभा (कोर्ट) एवं अकादमिक परिषद का गठन नहीं किया गया। न्यायालय एवं अकादमिक परिषद का गठन न होने के कारण अधिनियम में दिए गए परामर्शदात्री तंत्र को संचालित नहीं किया जा सका।

अधिनियम के अध्यादेश संख्या 6 के खंड 21 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अध्ययन बोर्ड (बी.एस.) उस अध्ययन बोर्ड को सौंपे गए प्रत्येक विषय/प्रायोगिक के प्रत्येक पेपर में पेपर सेटर/परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नामों का एक पैनल, उनके पते, फोन नंबर एवं ई-मेल पते के साथ "परीक्षक एवं मॉडरेटर समिति" को प्रस्तुत करेगा।

विश्वविद्यालय ने परीक्षक एवं मॉडरेटर समिति का गठन भी नहीं किया था, जिसके कारण अध्यादेश का उल्लंघन करते हुए पेपर सेटर, परीक्षक एवं मॉडरेटर का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023 एवं सितंबर 2024) कि अकादमिक परिषद का गठन नहीं किया गया था एवं सभा (कोर्ट) के गठन का प्रस्ताव कुलपति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है (जुलाई 2023)। इसके अलावा, परीक्षक एवं मॉडरेटर समिति का गठन किया जाना शेष है। प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उपलब्ध चिकित्सा शिक्षकों द्वारा तैयार किये जाते है। उपलब्ध वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों को परीक्षक/संचालक बनाया जाता है।

यह भी बताया गया (अप्रैल 2025) कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों को अध्ययन बोर्ड द्वारा, उसके पश्चात संबंधित संकायों के डीन (कुलाधिपति द्वारा नियुक्त) तथा उसके पश्चात कुलपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। इसके अलावा, अकादमिक परिषद की एक स्थायी समिति है, जो अकादमिक उद्देश्यों के सभी निर्णय लेती है। समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णय, निर्णय एवं अंतिम अनुमोदन के लिए कार्य परिषद में रखे जाते हैं। इसके अलावा, कुलपति स्थायी समिति, अकादमिक परिषद एवं कार्य परिषद का अध्यक्ष होता है।

उत्तर से पता चलता है कि ये सभी कार्य एवं प्राधिकार प्रभावी रूप से कुलपति अथवा कुलपति द्वारा निर्धारित निकायों/प्राधिकरणों में निहित हैं तथा लागू प्रावधानों के साथ असंगत तरीके से है। विश्वविद्यालय के एक ही अधिकारी के प्रभावी नियंत्रण में संसाधित की जा रही गतिविधियों (जिन्हें निर्धारित प्राधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था) में शामिल संभावित जोखिम नैतिकता से संबंधित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में ऐसी कोई अनियमितता नहीं देखी गई,

[32] मई 2011 से मई 2023 तक

लेकिन ऐसे किसी भी परिणाम को खारिज करने की जिम्मेदारी लेखापरीक्षित इकाई के प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी एवं अनुशंसा को स्वीकार किया तथा कुलसचिव को कोर्ट एवं अकादमिक परिषद के गठन में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, कुलसचिव ने बताया कि अकादमिक परिषद के बदले में एक स्थायी समिति काम करती है।

विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित आंतरिक नियंत्रण तंत्र को क्रियान्वित करने के लिए यथाशीघ्र कोर्ट, शैक्षणिक परिषद तथा परीक्षक एवं मॉडरेटर समिति का गठन करे।

2.2.5 वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय को विभिन्न स्रोतों से राशि प्राप्त होती है, जैसे परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, छात्रों से अनंतिम शुल्क, महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क, निविदा दस्तावेज प्रकाशन प्राप्तियाँ तथा बैंक जमा से ब्याज आदि। विश्वविद्यालय द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन, परीक्षा कार्य, प्रशासनिक कार्यों तथा विश्वविद्यालय के परिसर, भवन एवं सड़कों के निर्माण आदि पर व्यय किया जाता है।

विश्वविद्यालय के बजट अनुमान तथा वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका-2.2.1** में दिया गया है :

तालिका-2.2.1:अवधि 2020-21 से 2022-23 के दौरान आय एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान		वास्तविक	
	आय	व्यय	आय (प्रतिशत भिन्नता)	व्यय (प्रतिशत भिन्नता)
2020-21	27.94	59.26	51.63 (+84.79)	32.92 (-44.46)
2021-22	80.92	121.06	81.90 (+1.21)	63.81 (-47.29)
2022-23	72.61	66.71	99.29 (+36.74)	38.28 (-42.62)

स्रोत: एम.पी.एम.एस.यू. का बजट अभिलेख

उक्त से देखा गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक आय एवं व्यय के बीच बहुत बड़ा अंतर था जो अनुचित योजना एवं अवास्तविक बजट बनाये जाने को दर्शाता है। वास्तविक आय अनुमानित आय से 37 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत के बीच अधिक थी जबकि वास्तविक व्यय अवधि 2020-23 के दौरान अनुमानित व्यय से 43 एवं 47 प्रतिशत के बीच कम रहा।

2.2.5.1 आय एवं व्यय का लेखा तैयार न करना

[अ] रोकड़ बही एवं खाता बही का संधारण न करना

परिनियम VII के अनुच्छेद 3(ब) एवं 3(द) के अनुसार, वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय के लेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019-20 तक की रोकड़ बही एवं खाता बही तैयार की है तथा अवधि 2020-21 से 2022-23 के लिए आय एवं व्यय की रोकड़ बही एवं खाता बही तैयार नहीं की। रोकड़ बही के अभाव में, नकदी प्रवाह एवं निर्गम को सही ढंग से पहचान एवं प्रबंधित करना मुश्किल होगा। खाता बही के अभाव में, विश्वविद्यालय के पास अपने सभी वित्तीय संव्यवहारों का एक केंद्रीय, संगठित अभिलेख नहीं होगा।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया कि टैली सॉफ्टवेयर में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लिए रोकड़ बही एवं खाता बही तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

[ब] वार्षिक लेखों को तैयार न करना

अधिनियम की धारा 26(3)(द) के अनुसार वित्त समिति को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा वार्षिक लेखापरीक्षा समय पर पूर्ण कराना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 47(1) के अनुसार राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक लेखा वर्ष 2019-20 तक तैयार किए गए थे एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लिए तैयार नहीं किए गए। वित्तीय संव्यवहार एवं लेखा अभिलेखों के संधारण न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय कुप्रबंधन, अनुपालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं तथा समुचित निर्णय लेने पर असर पड़ सकता है। इस प्रकार, त्रुटियों का जोखिम अधिक होगा, धोखाधड़ी गतिविधियों की संभावना होगी तथा वित्तीय विश्लेषण एवं लेखापरीक्षा में कठिनाइयाँ होंगी।

निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकन एवं अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रार ने बताया कि रोकड़ बही एवं वार्षिक लेखे तैयार कर लिए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये दस्तावेज लेखापरीक्षा (अप्रैल 2025) में सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

विश्वविद्यालय की वित्त समिति वार्षिक लेखों की समय पर तैयारी तथा लेखापरीक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

2.2.5.2 विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 98.60 करोड़ की विन्यास निधि का संग्रह न किया जाना

परिनियम XXVIII के अनुच्छेद 4 के अनुसार, प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय की फाउंडेशन सोसायटी, विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथाविहित विन्यास (एंडोमेंट) निधि को कुलसचिव तथा महाविद्यालय के संयुक्त नाम से सावधि जमा प्राप्तियों के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करेगी। विन्यास निधि का उपयोग तब किया जाएगा जब महाविद्यालय बंद होने के कारण शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है एवं छात्रों को जमानत राशि वापस नहीं की जाती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों से विन्यास निधि एकत्र करने के लिए वर्ष 2017 के अध्यादेश संख्या 10 जारी किया।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए संबद्ध संस्थानों से एकत्र की जाने वाली लागू विन्यास निधि की संकायवार राशि नीचे **तालिका-2.2.2** में दी गई है।

तालिका-2.2.2: अवधि 2020-23 के दौरान सम्बद्ध महाविद्यालयों से एकत्रित की जानेवाली विन्यास निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

संकाय	एकत्रित की जाने वाली विन्यास निधि की राशि	संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या	एकत्रित की जाने वाली विन्यास निधि
चिकित्सा	0.50	05	2.50
दंत चिकित्सा	0.50	08	4.00
आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी	0.20	32	6.40
नर्सिंग	0.20	351	70.20
संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान (पैरामेडिकल)	0.10	155	15.50
कुल		**551**	**98.60**

स्रोत: एम.पी.एम.एस.यू. द्वारा महाविद्यालयों को दी गई संबद्धता से संबंधित अभिलेख

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 551 महाविद्यालयों/संस्थानों से ₹98.60 करोड़ की विन्यास निधि एकत्रित नहीं की। इसलिए, जैसा कि परिनियम में परिकल्पित है, संबद्ध महाविद्यालय के बंद होने सहित प्रतिकूल परिस्थिति की स्थिति में शिक्षकों एवं छात्रों के हितों को सुरक्षित नहीं किया गया। यह भी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रबंधन को दिया जाने वाला एक अनियमित लाभ है।

विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि किसी भी संबद्ध महाविद्यालय से विन्यास निधि एकत्र नहीं की गई थी, लेकिन लेखापरीक्षा के लिए इसका कोई कारण नहीं बताया। निर्गम सम्मेलन में, कुलसचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र से विन्यास निधि एकत्रित

की जाएगी। शासन ने पूर्व की अवधि में राशि एकत्रित न होने पर जवाबदेही तय करने का आश्वासन दिया।

विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालयों/संस्थानों से मानदंडों के अनुसार विन्यास निधि का संग्रहण सुनिश्चित करे तथा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे।

2.2.5.3 परीक्षा आयोजित करने के लिए संस्थाओं को दिए गए अग्रिम का समायोजन न किया जाना

2014 के अध्यादेश संख्या 6 के अनुसार, परीक्षाओं के संचालन के संबंध में होने वाले समस्त आवर्ती व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के अनुसार वहन किए जाएंगे तथा इस उद्देश्य के लिए केंद्र प्रभारी विश्वविद्यालय से आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि ले सकते हैं। केंद्र प्रभारी को केंद्र पर परीक्षा समाप्त होते ही अपने द्वारा किए गए व्यय का विस्तृत लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होगा तथा किसी भी स्थिति में उस केंद्र पर अंतिम पेपर की तिथि से एक माह से अधिक समय नहीं लेना होगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 99 महाविद्यालयों (***परिशिष्ट-2.2.2***) को ₹6.10 करोड़ का अग्रिम दिया गया था। यह पाया गया कि किसी भी केंद्र प्रभारी ने व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया तथा विश्वविद्यालय ने भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, परीक्षा पूरी होने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी ₹6.10 करोड़ की अग्रिम राशि समायोजित नहीं की गई।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि संबंधित संस्थानों को अग्रिमों के समायोजन हेतु देयक प्रस्तुत करने के लिए नवंबर 2023 में पत्र जारी किए गए थे। कुछ संस्थानों ने देयक प्रस्तुत किए हैं तथा समायोजन किया जा रहा है। निर्गम सम्मेलन में कुलसचिव ने दोहराया कि अग्रिम के समायोजन का कार्य प्रगति पर है।

विश्वविद्यालय अग्रिम राशि के समायोजन में तेजी लाए तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी अग्रिम राशियों की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करे।

2.2.5.4 सम्बद्ध महाविद्यालयों से ₹23.17 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) वसूल न किया जाना तथा विश्वविद्यालय कोष से भारत सरकार को ₹15.33 करोड़ जी.एस.टी. जमा कराना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना (जून 2017) के अनुसार, शिक्षा सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर केंद्रीय कर एवं

राज्य कर 18 प्रतिशत (केंद्रीय एवं राज्य जी.एस.टी. प्रत्येक का नौ प्रतिशत) की दर से लगाया जाना है।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क के रूप में ₹128.78 करोड़ एकत्र किए, लेकिन शुल्क पर ₹23.17 करोड़ का जी.एस.टी. एकत्र नहीं किया गया। विवरण **तालिका-2.2.3** में दिया गया है:

तालिका-2.2.3: संबद्धता शुल्क तथा लागू जी.एस.टी. राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित संबद्धता शुल्क		एकत्रित कुल शुल्क	एकत्र किया जाने वाला अपेक्षित जी.एस.टी. (18 प्रतिशत की दर से)
	ऑफलाइन	ऑनलाइन		
2017-18	1.19	0	1.19	0.21
2018-19	13.91	0	13.91	2.50
2019-20	3.01	4.22	7.23	1.30
2020-21	0.12	20.38	20.50	3.69
2021-22	0.15	46.57	46.72	8.41
2022-23	3.39	35.84	39.23	7.06
योग	**21.77**	**107.01**	**128.78**	**23.17**

स्रोत: एम.पी.एम.एस.यू. के संबद्धता शुल्क अभिलेख

अभिलेखों की जांच से पता चला कि संयुक्त निदेशक, जी.एस.टी. इंटेलिजेंस महानिदेशालय, आंचलिक इकाई, जबलपुर ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को दिसंबर 2021[33] तक संबद्धता शुल्क के संग्रह पर ₹15.33 करोड़ की जी.एस.टी. मांग (सितंबर 2022) जारी की। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों से मांग किए बिना, अपने स्वयं के कोष से मांग के विरुद्ध जी.एस.टी. जमा कर दिया (मार्च एवं मई 2023)।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क पर जी.एस.टी. की वसूली के लिए इस संबंध में एक समिति गठित की गई है (दिसंबर 2023)। समिति के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संबद्ध महाविद्यालयों से अब जी.एस.टी. के साथ संबद्धता शुल्क वसूला जा रहा है।

निर्गम सम्मेलन में, कुलसचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा कि पिछले बकाये के लिए वसूली पत्र जारी किए गए हैं। शासन ने चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रकरण की जांच करने का आश्वासन दिया।

---

[33] दिसंबर 2021 में जी.एस.टी. प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन की गई ₹15.33 करोड़ की देयता के विरूद्ध मार्च 2022 तक कुल ₹16.11 करोड़ का जी.एस.टी. भुगतान करना अपेक्षित है।

संबद्ध महाविद्यालयों से जी.एस.टी. घटक का संग्रह न होने के कारण विश्वविद्यालय के संसाधनों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा, जिसका उपयोग अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया जा सकता था।

2.2.5.5 निर्माण हेतु महाविद्यालयों को ₹ 55.52 करोड़ का अनियमित भुगतान

अधिनियम की धारा 35(1)(ज) के अनुसार, विश्वविद्यालय निधि, अधिनियम एवं विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेश एवं विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में किए गए किसी भी व्यय के भुगतान के लिए लागू होगी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 35(1)(ख) के अनुसार, विश्वविद्यालय निधि से भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों, शिक्षण विभागों एवं प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए किया जाना था।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सूचनाओं की जांच के दौरान, यह पाया गया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (एम.जी.एम.एम.सी.), इंदौर में नेत्र विज्ञान के लिए उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय (एन.एस.सी.बी.एम.सी.), जबलपुर में न्यूरोसर्जरी विभाग के उन्नयन के लिए आदेश जारी किए (सितंबर एवं नवंबर 2018)। इसके अलावा, विश्वविद्यालय को जनवरी 2019 से सितंबर 2021 के बीच एम.जी.एम.एम.सी. इंदौर के लिए ₹39.69 करोड़ तथा दिसंबर 2019 से सितंबर 2021 के बीच एन.एस.सी.बी.एम.सी., जबलपुर के लिए ₹15.83 करोड़ का पूंजी निवेश वहन करने का निर्देश दिया गया था। राज्य शासन द्वारा स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय कोष से भुगतान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि उपरोक्त व्यय मई 2018 में कार्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में किया गया था। निर्गम सम्मेलन में शासन ने उचित सत्यापन का आश्वासन दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के कोष से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए व्यय करने का कार्यकारी समिति का निर्णय समिति के एक सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद लिया गया था। आपत्ति में इस बात पर जोर दिया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इस तरह के व्यय को शासन द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्य परिषद ने औचित्य के लिए कोई आधार अथवा औचित्य दर्ज नहीं किया था।

विश्वविद्यालय अधिनियम के उल्लंघन में व्यय की गई राशि को वापस करने के लिए शासन से अनुवर्ती कार्रवाई करे।

2.2.5.6 भंडार का भौतिक सत्यापन

विश्वविद्यालय की परिनियम VII के अनुच्छेद 3(ढ) में कहा गया है कि वित्त नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि भवन, भूमि, उपकरण एवं मशीनरी की पंजियां अद्यतित बनाए रखी जाएं तथा विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यशाला एवं भंडार गृह में भंडार, उपकरण एवं अन्य उपभोग्य सामग्रियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त नियंत्रक ने अवधि 2020-21 से 2022-23 के दौरान भंडार पंजी के अनुसार भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। भंडार पंजियां तैयार की गई थी, लेकिन किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थीं। भंडार का सत्यापन न किए जाने से परिचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें (अ) परिसंपत्ति का कुप्रबंधन शामिल है, जिसमें परिसंपत्तियों की ठीक से निगरानी, रखरखाव या उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे अकुशलता, बर्बादी या हानि हो सकती है; (ब) अनुपालन मुद्दों के अलावा चोरी अथवा अनधिकृत उपयोग के रूप में दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है। भंडार पंजी का सत्यापन न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा भंडार प्रविष्टियों की विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2024) कि भंडार के भौतिक सत्यापन के लिए अप्रैल 2024 में एक समिति गठित की गई है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने कुलसचिव को नियमानुसार वार्षिक भंडार सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

2.2.6 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.6.1 स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्तियां

चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए 275 पद (नवंबर 2011 में 35 पद तथा जनवरी 2014 में 240 पद) स्वीकृत किए हैं।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 275 स्वीकृत पदों[34] में से 184 पद रिक्त (मार्च 2023) थे। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.3*** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक रिक्तियों की स्थिति नीचे **तालिका-2.2.4** में दी गई है:

[34] स्वीकृत 275 गैर-शैक्षणिक पदों में से 71 पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे।

तालिका-2.2.4: स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

स्वीकृत पद भरने की विधि	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति या सीधी भर्ती (सहायक ग्रेड III-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोड़कर)	125	12	113	90
प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति या सीधी भर्ती (सहायक ग्रेड III-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर)	48	13	35	73
आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी (बायोमेडिकल अभियंता, ड्राइवर, सुरक्षागार्ड)	50	14	36	72
आउटसोर्स या दैनिक वेतनभोगी (भृत्य सह माली सह सफाई कर्मचारी)	52	67	0	आधिक्य
योग	**275**	**106**	**184**	

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विश्वविद्यालय ने रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2012 से 2023 के बीच व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (व्यापम) से पांच[35] बार अनुरोध किया। हालांकि, मार्च 2023 तक कोई भर्ती नहीं की गई तथा विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से रेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी एवं सहायक कुलसचिव के 16 पद जैसे प्रमुख पद खाली पड़े हैं।

ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि सहायक ग्रेड III के रिक्त पदों को भरने के लिए मार्च 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। निर्गम सम्मेलन में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए, कुलसचिव ने कहा कि सहायक ग्रेड III पदों के लिए भर्ती प्रगति पर थी।

उत्तर से पुष्टि होती है कि विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरने के लिए कोई भर्ती नहीं की गई, जिसके कारण विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित करने, परिणाम जारी करने, अंकतालिका एवं डिग्री वितरित करने, संबद्धता एवं नामांकन कार्यों में विलंब हुआ जैसा कि **कंडिका 2.2.8.1** में चर्चा की गई है।

2.2.6.2 अधिकृत से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति

परिनियम XXX। की कंडिका 18 के अनुसार, किसी स्थायी पद से संबंधित अवकाश रिक्ति में अथवा अस्थायी पद पर अस्थायी नियुक्तियाँ की जा सकती है। विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार कुलपति (वी.सी.) द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध/दैनिक वेतन के आधार पर अकुशल एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

हमने देखा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के लिए सहायक ग्रेड III सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ.) के 48 पद एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम

[35] वर्ष 2012 , 2015 , 2016 , 2020 तथा 2023 में।

से "भृत्य सह माली सह सफाई कर्मचारी" के 52 पद स्वीकृत किए (नवंबर 2011 एवं जनवरी 2014)। अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि दिसंबर 2021 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान उपर्युक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध मेसर्स एच.एल.एल. इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड (एच.आई.टी.ई.एस.) से कर्मचारियों को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया था। विवरण नीचे **तालिका-2.2.5** में दिया गया है:

तालिका-2.2.5: दिसंबर 2021 से मार्च 2023 के दौरान स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिरिक्त आउटसोर्स किये गए कर्मचारियों की स्थिति

पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तपद	आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी	स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी
सहायक ग्रेड III सह डी.ई.ओ.	48	13	35	50 से 58	15 से 23
भृत्य सह माली सह सफाई कर्मचारी	52	4	48	52 से 58	4 से 10
आवास रखरखाव	0	0	0	4 से 5	4 से 5
योग	**100**	**17**	**83**	**4 से 58**	**4 से 23**

स्रोत: एम.पी.एम.एस.यू. द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त से स्पष्ट है कि चार से 23 आउटसोर्स कर्मचारी स्वीकृत पद से अधिक नियुक्त किए गए तथा दिसंबर 2021 से मार्च 2023 के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स एच.आई.टी.ई.एस. को ₹84.19 लाख का ***(परिशिष्ट-2.2.4)*** भुगतान किया गया था। इसके अलावा, सहायक ग्रेड-III सह डी.ई.ओ. के पद के लिए भी कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया था, जिसे सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना था।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों को नियुक्त करने में परिनियम का पालन नहीं किया तथा अनियमित रूप से अतिरिक्त जनशक्ति को लगाया।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने अतिरिक्त आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त करने के प्रति आगाह किया तथा आश्वासन दिया कि प्रकरण की जांच की जाएगी।

2.2.7 शैक्षणिक

2.2.7.1 शैक्षणिक कैलेंडर

2014 के अध्यादेश 5 के खंड (1), (2) एवं (8) के अनुसार, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से पहले अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक कार्यक्रम एवं गतिविधियां शामिल होंगी। शैक्षणिक कैलेंडर में स्पष्ट रूप से उन तिथियों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर प्रथम अवधि (सत्र) शुरू एवं समाप्त होता है तथा इसमें अगली अवधि (सत्र) की शुरुआत की तिथियाँ शामिल हैं। शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम

240 शिक्षण दिवस होंगे। इसके अलावा, 2014 के अध्यादेश संख्या 5 की कंडिका 9 के अनुसार, संबद्ध महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्यों को अपने महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष के दौरान वास्तविक शिक्षण दिवसों की संख्या के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करना चाहिए तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक शिक्षण दिवसों का शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 को छोड़कर लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शैक्षणिक कैलेंडर तैयार नहीं किये। साथ ही, संबद्ध महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्यों ने अपने महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष के दौरान वास्तविक शिक्षण दिवसों की संख्या के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित नहीं किया।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि सत्र की शुरुआत की तिथियां संबंधित संकायों की सर्वोच्च परिषदों[36] द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार घोषित की जाती हैं। निर्गम सम्मेलन में कुलसचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि अवधि 2021-22 एवं 2022-23 में शैक्षणिक कैलेंडर का अभाव कोविड-19 तथा अधिनियम की धारा 51[37] के लागू होने के कारण थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार नहीं किया था, जिसमें कोविड-19 अवधि शामिल नहीं थी। इस प्रकार, शैक्षणिक कैलेंडर तैयार न होने के कारण, सत्र शुरू होने, समाप्त होने की तिथियों तथा 240 शिक्षण दिवसों के इष्टतम उपयोग को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को शामिल करते हुए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए।

2.2.7.2 परीक्षा प्रणाली का स्वचालन

परिनियम-V के अनुच्छेद 4 के अनुसार, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा प्रणाली के अधिकतम स्वचालन के लिए उचित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर विकसित करने की व्यवस्था करेगा, जिसमें परीक्षार्थियों का डेटाबेस, पूर्वापेक्षित पूर्ति (उपस्थिति, शुल्क, आदि), पेपर सेटर, प्रश्नपत्र वितरण, अंकों का मूल्यांकन, आंतरिक परीक्षा, परिणाम तैयार करना और आवश्यकतानुसार अन्य मापदंड सहित सभी घटक शामिल होंगे।

---

[36] राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, भारतीय दंत परिषद, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारतीय नर्सिंग परिषद एवं राज्य पैरामेडिकल परिषद।

[37] राज्य शासन द्वारा धारा 51 को 17 अगस्त 2021 से प्रभावी बनाया गया तथा यह 16 अगस्त 2022 तक प्रभावी रहा, जिसके अनुसार कार्य परिषद अपनी शक्तियां खो देती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय के पास परीक्षा प्रणाली के स्वचालन के लिए उचित सॉफ्टवेयर नहीं था, जिसमें परीक्षार्थियों के डेटाबेस से लेकर डिग्री प्रदान करने तक के सभी घटक शामिल थे। परिणामस्वरूप, छात्रों के आंकड़ों को विभिन्न अनुभागों यानी नामांकन, परीक्षा एवं वित्त से मैन्युअली सत्यापित करना पड़ता था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2024) कि विश्वविद्यालय में कोई एकीकृत पोर्टल नहीं है तथा इस उद्देश्य के लिए एक एकल एजेंसी नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्गम सम्मेलन में कुलसचिव ने बताया कि परीक्षा विभाग में परीक्षा फॉर्म भरना, प्रवेश पत्र जारी करना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्राप्त करना, परिणाम प्रक्रिया एवं प्रकाशन, अनंतिम अंकतालिका एवं डिग्री प्रदान करना जैसे सभी कार्य डिजिटल/ ऑनलाइन तरीके से किए गए हैं। एकीकरण का काम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई.टी.आई.) द्वारा किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एम.पी.एम.एस.यू., आई.टी.आई. तथा इंडियन बैंक के बीच मार्च 2025 में त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।

यह देखा गया (मई 2025) कि यद्यपि विश्वविद्यालय ने मार्च 2025 में विभिन्न अनुप्रयोगों के एकीकरण के लिए कदम उठाए थे, लेकिन कार्य पूरा करने के लिए समझौते में कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी।

एम.पी.एम.एस.यू. को अपनी गतिविधियों एवं कार्यों के लिए आई.टी. अनुप्रयोगों के एकीकरण में तेजी लानी चाहिए तथा साथ ही इस उद्देश्य के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली की समीक्षा भी करनी चाहिए।

2.2.8 संबद्धता

2.2.8.1 आवेदक महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने में अत्यधिक विलंब

परिनियम संख्या XXVI के अनुच्छेद 5(2) के अनुसार, नए महाविद्यालयों/संस्थानों की वार्षिक संबद्धता के लिए, आवेदन कुलसचिव को उस शैक्षणिक वर्ष से पहले के वर्ष की 31 अक्टूबर को या उससे पहले किया जाना चाहिए जिससे संबद्धता की अवधि वृद्धि मांगा जा रहा है तथा इसके साथ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित निरीक्षण शुल्क के साथ एक शुल्क भी संलग्न करना होगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालयों/संस्थानों की संबद्धता के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर थी। लेकिन, अधिसूचना जारी करके सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए संबद्धता के लिए इन्हें क्रमशः 9 मई 2022, 17 अप्रैल 2023 एवं 17 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप

महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता के लिए आवेदन जमा करने में 18 से 30 माह तक का अत्यधिक विलंब हुआ। विवरण नीचे **तालिका-2.2.6** में दिया गया है:

तालिका-2.2.6: संबद्धता हेतु अधिसूचना द्वारा विस्तारित तिथि के कारण हुए विलम्ब का विवरण

सत्र	आवेदन की अंतिम तिथि	बढ़ाई गई संबद्धता की तिथि	विलंब महीनों में
2020-21	31.10.2019	09.05.2022	30
2021-22	31.10.2020	17.04.2023	29
2022-23	31.10.2021	17.04.2023	18

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्राप्त करने के बाद महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने में 92 से 728 दिनों के बीच का समय लिया था, जैसा कि **तालिका-2.2.7** में दिखाया गया है।

तालिका-2.2.7: संबद्धता प्रदान करने में लगने वाले समय का विवरण

सत्र	संबद्धता के लिए आवेदन की संख्या	अवधि जिसके बीच आवेदन प्राप्त हुए	अवधि जिसके बीच संबद्धता के लिए अनुमोदन दिया गया	संबद्धता प्रदान करने में लगने वाला समय (दिनों में)
2020-21	510	10.04.2021 एवं 09.05.2022	14.02.2022 एवं 26.07.2023	92 से 728
2021-22	97	11.12.2021 एवं 19.09.2022	06.04.2022 एवं 26.07.2023	95 से 568
2022-23	16	22.11.2022 एवं 23.12.2022	27.04.2023	125 से 156

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (फरवरी 2024) और कहा कि विभिन्न शीर्ष परिषदों द्वारा संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/प्रशासनिक कार्यों में रुकावट, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी तथा राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय में आपातकालीन प्रावधान[38] लागू करने के कारण संबद्धता जारी करने में विलंब हुआ।

आवेदन प्राप्त होने के बाद संबद्धता प्रदान करने में 92 से 728 दिनों तक का विलंब, असामान्य विलंब है तथा इसकी जांच की आवश्यकता है। महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने में विलंब से भ्रष्ट प्रथाओं के प्रसार के लिए अनुकूल माहौल बन सकता है।

[38] राज्य शासन द्वारा धारा 51 को 17 अगस्त 2021 से प्रभावी बनाया गया एवं यह 16 अगस्त 2022 तक प्रभावी रहा, जिसके अनुसार कार्य परिषद अपनी शक्तियां खो देती है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया तथा कुलपति को सूचित किया कि इस तरह के विलंब से बचने के लिए सम्बद्धता की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए।

केस स्टडी 2.2.1: बिना संबद्धता के संस्थान में छात्रों का प्रवेश

परिनियम XXVI की कंडिका 15(च) में कहा गया है कि किसी भी छात्र को तब तक महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रीति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, जबलपुर ने विश्वविद्यालय को सूचित किया (अक्टूबर 2020) था कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संस्थान द्वारा 30 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।

जैसीकि ऊपर बताये गए परिनियम XXVI की कंडिका 5(2) के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संबद्धता प्रदान करने हेतु आवेदन अक्टूबर 2019 तक तथा अतिरिक्त शुल्क के साथ अधिकतम दिसंबर 2019 तक स्वीकार किया जाना था, जबकि संस्थान का संबद्धता आवेदन जून 2021 में (18 माह की विलम्ब से) स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को संबद्धता जुलाई 2022 में प्रदान की गई।

इस प्रकार, इस संस्थान ने सत्र 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए बिना उपरोक्त सत्र में 30 छात्रों को प्रवेश दिया, जो नियमों का उल्लंघन था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, कुलसचिव ने स्वीकार किया (जनवरी 2024) कि छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने से पहले ही कर दिया गया था, जो नियमों के विरुद्ध था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने कहा (जुलाई 2025) कि सत्र 2020-21 हेतु 30 छात्रों के लिए नामांकन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07/05/2024 के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करने के बाद किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, यद्यपि माननीय न्यायालय का आदेश (2024) पूर्वकालीन प्रभाव से लागू था, तथ्य यह था कि संस्थान ने सत्र 2020-21 के लिए संबद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश दिया।

2.2.8.2 संबद्धता प्रदान करने/संबद्धता नवीनीकरण हेतु महाविद्यालयों का निरीक्षण

परिनियम XXVI के अनुच्छेद 15(क) एवं (ख) के अनुसार, कुलपति प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान का समय-समय पर अपनी ओर से अधिकृत तीन या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करवाएगा, बशर्ते कि प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान का निरीक्षण सामान्यतः प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाएगा, तथा अन्य समयों पर जहां अकादमिक परिषद/ कार्य परिषद की राय में ऐसा निरीक्षण आवश्यक हो।

अनुच्छेद 15(ङ) में कहा गया है कि नियमित निरीक्षण मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाएगा कि कक्षाओं के लिए स्थान, फर्नीचर, उपकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पुस्तकालय आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

परिनियम XXVI में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी समय कार्य परिषद् को यह पता चले कि कोई महाविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों की अपेक्षाओं का या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो कार्य परिषद को, महाविद्यालय को दी गई सम्बद्धता को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार होगा।

निरीक्षणों के दौरान निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गईं।

2.2.8.2 (i) अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना संबद्धता प्रदान करना

एम.पी.एम.एस.यू. के प्रतिनिधियों के साथ 76 चयनित संस्थाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- **अधोसंरचना की अनुपलब्धता:** 32 चयनित संस्थानों में, विश्वविद्यालय की स्थानीय जांच समिति के निरीक्षण प्रतिवेदनों में जिन सुविधाओं/संसाधनों/अधोसंरचना को उपलब्ध दर्शाया गया था, वे संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तव में उपलब्ध नहीं पाई गईं। ऐसी सुविधाओं/संसाधनों/अधोसंरचना की अनुपलब्धता का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.5(अ)*** में दिया गया है।
- **अपेक्षित अधोसंरचना की कमी:** चयनित 26 संस्थानों में शैक्षणिक, आवासीय, मनोरंजन एवं चिकित्सालय के अधोसंरचना के लिए वास्तविक क्षेत्रफल अपेक्षित क्षेत्रफल से 40 से 97 प्रतिशत तक कम था।
- इसके अलावा, स्थानीय जांच समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 16 संस्थानों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तव में पाए गए मापों में भारी अंतर पाया गया। विस्तृत जानकारी ***परिशिष्ट-2.2.5(ब)*** में दी गई है।
- **अधोसंरचना की उपलब्धता का उल्लेख नहीं:** विश्वविद्यालय की स्थानीय जांच समिति के प्रतिवेदन में 18 चयनित संस्थानों के प्रकरण में उपलब्ध अधोसंरचना का उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसी अधोसंरचना पायी गयी। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.5 (स)*** में दिया गया है।
- महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 74 चयनित महाविद्यालयों के 726 छात्रों का छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया। छात्रों की प्रतिक्रिया नीचे **तालिका-2.2.8** में दी गई है:

तालिका-2.2.8: विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति

क्र. सं.	सुविधाओं का नाम	726 में से असंतुष्ट छात्रों की संख्या (*प्रतिशत*)	74 में से संबंधित संस्थानों की संख्या (*प्रतिशत*)
1	कंप्यूटर सुविधाएं	109 (15)	32 (43)
2	खेल एवं मनोरंजन सुविधाएं	181 (25)	39 (53)
3	यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन	256 (35)	53 (72)

स्रोत: चयनित संस्थानों के छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया

- जिन संस्थानों में उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, उनका विवरण ***परिशिष्ट-2.2.6*** में दिया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि (क) संबद्धता प्रदान करने के लिए स्थानीय जांच समिति द्वारा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी तथा (ख) निरीक्षण, स्थानीय जांच समितियों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से समझौता किया गया था। इस प्रकार, इन महाविद्यालयों को त्रुटिपूर्ण निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संबद्धता प्रदान की गई थी।

अपने उत्तर में, एम.पी.एम.एस.यू. ने कहा (जुलाई 2024) कि महाविद्यालयों को संबद्धता शीर्ष परिषद की मान्यता के आधार पर कार्य परिषद द्वारा दी गई थी। संबद्धता मूल रूप से प्रवेश एवं परीक्षा आदि के लिए दी जाती है तथा विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत सीमित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बद्ध महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण आवश्यक था, तथा कार्य परिषद को परिनियम XXVI के प्रावधानों के अनुसार आंशिक या पूर्ण रूप से सम्बद्धता वापस लेने का अधिकार था।

निर्गम सम्मेलन में कुलसचिव ने बताया कि शीर्ष परिषद द्वारा निरीक्षण किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण न किए जाने के संबंध में परिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। शासन ने कुलपति को नियमानुसार संशोधन प्रस्तावित करने का सुझाव दिया।

एम.पी.एम.एस.यू., संबद्धता प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों में आवश्यक अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करे तथा त्रुटिपूर्ण निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली समितियों में शामिल अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध जिम्मेदरी तय की जाए।

2.2.8.2 (ii) हर्बल उद्यान का डंपयार्ड के रूप में उपयोग

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अवाश्यकताएं) विनियम, 2016 के विनियम 5(5) की अनुसूची-III के अनुसार, आयुर्वेद महाविद्यालय में 250 प्रजातियों के औषधीय पौधों के साथ एक अच्छी तरह से

विकसित औषधीय पौध उद्यान/हर्बल उद्यान तथा 25 से 50 वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष मौजूद होगा।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2024) के दौरान पाया गया कि आर.डी. मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भोपाल के हर्बल उद्यान का रखरखाव मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। औषधीय पौधे सीमित संख्या में पाए गए, तथा वह भी बिना उचित व्यवस्था एवं नामपट्टिकरण के। इसके अलावा, हर्बल उद्यान का उपयोग डंपयार्ड के रूप में किया जा रहा था जैसा कि नीचे दिए गए **चित्र 2.2.1** से देखा जा सकता है:

चित्र 2.2.1 आर.डी. मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भोपाल का हर्बल उद्यान

यह भी पाया गया कि महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कक्ष मौजूद नहीं था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हर्बल उद्यान में आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के अभाव के कारण विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रह गए।

निर्गम सम्मेलन में कुलसचिव ने कहा कि संबंधित महाविद्यालय को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

2.2.8.2 (iii) एक वर्ष में दो से अधिक निरीक्षणों के लिए अधिकारियों का नामांकन

परिनियम XXVI (15) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में संबद्ध महाविद्यालय का सामान्यतः दो बार से अधिक निरीक्षण नहीं दिया जाएगा।

एम.पी.एम.एस.यू. द्वारा उपलब्ध कराए गए महाविद्यालयों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों तथा सूचनाओं की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान 289 निरीक्षणों के लिए 55 अधिकारियों (विभिन्न महाविद्यालयों के डॉक्टर/प्राध्यापक) को नामित किया गया था तथा उन्होंने नामित संस्थानों का निरीक्षण किया। हालांकि, कुलपति ने इनमें से

49 अधिकारियों को 17 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2022 के दौरान दो से अधिक बार यथा तीन से 12 बार निरीक्षण के लिए नामित किया, जब कार्य परिषद काम नहीं कर रही थी । उक्त अवधि के दौरान विभिन्न संस्थानों के 10 और उससे अधिक निरीक्षणों के लिए पांच अधिकारियों को नामित किया गया था। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों का सारांश नीचे **चार्ट-2.2.1** में दर्शाया गया है :

चार्ट-2.2.1: अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण

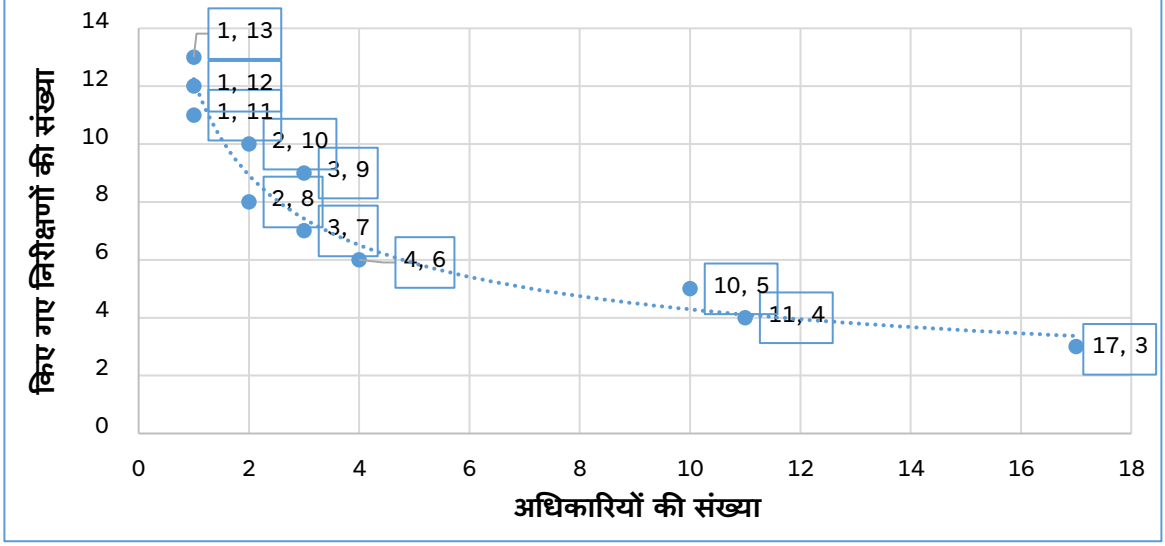

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, एम.पी.एम.एस.यू. ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि कई निरीक्षक विभिन्न कारणों से निरीक्षण के लिए जाने से इनकार कर देते हैं, इसलिए कुलपति द्वारा अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके दो से अधिक बार अधिकारियों को नामित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने निरीक्षण के लिए नामित अधिकारियों का अस्वीकार करने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। किसी महाविद्यालय के एक ही व्यक्ति के बार-बार नामांकन से संबंधित महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अनुमत सीमा से अधिक व्यक्तियों के नामांकन की जांच की जानी चाहिए ताकि गड़बड़ी को दूर किया जा सके।

2.2.8.2(iv) महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण नहीं किया गया

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक (दिसंबर 2022) के अनुसार 45 महाविद्यालयों को एक बार की सम्बद्धता इस शर्त पर दी गई कि वे शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में पुस्तकों, कम्प्यूटरों की कमी, बैलेंसशीट, आई.टी.आर. आदि की अनुपलब्धता जैसी कमियों को पूरा किया जाएगा। शपथ-पत्र समिति/ट्रस्ट अध्यक्ष/सचिव तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ तीन कार्य दिवसों के भीतर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाना था। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि भविष्य में कभी भी औचक निरीक्षण के दौरान ये कमियां दोहराई गईं तो उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त महाविद्यालयों का कोई औचक निरीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, औचक निरीक्षण के अभाव में विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि इन महाविद्यालयों द्वारा दस्तावेजों में पाई गई कमियों को दूर कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने औचक निरीक्षण न करने का कोई कारण नहीं बताया, जो कार्य परिषद के निर्देशों के विपरीत था।

निर्धारित अधोसंरचना में कमियों को दूर करने के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर संबद्धता प्रदान करने की कार्य परिषद की कार्रवाई से उचित अधोसंरचना के बिना संबंधित महाविद्यालयों के अनियमित संचालन के जोखिम होने का अनुमान है। चयनित महाविद्यालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी यही देखा गया है, जैसाकि **कंडिका 2.2.8.2 (i)** में कहा गया है, जो महाविद्यालयों द्वारा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति के लिए अनुवर्ती निरीक्षणों की कमी को इंगित करता है। धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के संदेह को दूर करने के लिए इस तरह की संबद्धता की अनुमति देने वाले कार्य परिषद के सदस्यों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के विरुद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है तथा शपथ पत्र में प्रतिबद्धताओं के अनुरूप न होने पर दंडात्मक कार्रवाई, जो लागू हो सकती है, की आवश्यकता है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने कुलसचिव को नियमानुसार औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि शीर्ष परिषद की अनुमति के आधार पर संबद्धता दी जाएगी।

उत्तर में संबद्धता के बाद औचक निरीक्षण करने का अनुपालन न किए जाने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है।

2.2.8.3 नर्सिंग तथा पैरामेडिकल संकाय का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना

अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने नर्सिंग तथा पैरामेडिकल महाविद्यालयों/संस्थानों से संबंधित डेटा, वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था जैसे कितने संस्थानों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया एवं कितने संस्थानों को किस पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता मिली तथा कितने छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वेबसाइट पर संबद्धता के बारे में जानकारी न होने से छात्रों को असंबद्ध संस्थानों द्वारा ठगे जाने का जोखिम रहता है। यह पहलू पूर्व **कंडिका 2.2.8.1** के तहत **केस स्टडी-2.2.1** में भी परिलक्षित होता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विश्वविद्यालय ने बताया कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए उक्त संस्थानों की सूची अपलोड करने के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। निर्देश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की है इसलिए संबद्ध महाविद्यालयों का डेटाबेस वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन में कुलसचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि कार्य प्रगति पर है।

2.2.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना आयुर्विज्ञान में व्यवस्थित, कुशल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके वैधानिक संविधान के अनुसार सभा (कोर्ट) एवं अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग थे। इन दो आवश्यक निकायों का गठन शुरू से ही नहीं किया गया था, जो कि शासी अधिनियम के अनुपालन न होने का प्रकरण था तथा इसका असर विश्वविद्यालय की समग्र कार्यप्रणाली पर दिखाई दे रहा था। यह संबद्धता कार्यों, शैक्षणिक कैलेंडर का अभाव, कर्मचारियों की भारी कमी, समय पर वार्षिक लेखा तैयार न करने एवं परीक्षा स्वचालन सॉफ्टवेयर विकसित न करने से संबंधित कमियों में दिखाई दे रहा था। आंतरिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तंत्र अपर्याप्त पाया गया। संबद्धता एवं निरीक्षण की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कमियाँ थीं, जिसे धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के जोखिम के लिए एक अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।

इन सभी कारकों का उस उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे

i. *अधिनियम में परिकल्पित परामर्शदात्री तंत्र के लिए सभा (कोर्ट), अकादमिक परिषद तथा अन्य अनिवार्य निकायों का गठन। (कंडिका संख्या 2.2.4.1 के सन्दर्भ में)*

ii. *विश्वविद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक घटनाओं एवं गतिविधियों को शामिल करते हुए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना। (कंडिका संख्या 2.2.7.1 के सन्दर्भ में)*

iii. *संबद्ध महाविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। (कंडिका संख्या 2.2.8.2 (i) के सन्दर्भ में)*

iv. *वित्तीय एवं लेखा अभिलेखों के संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने में विवेकशीलता। (कंडिका संख्या 2.2.5.1 के सन्दर्भ में)*

v. *अपनी गतिविधियों एवं कार्यों के लिए एक एकीकृत आई.टी. अनुप्रयोग। (कंडिका संख्या 2.2.7.2 के सन्दर्भ में)*

जनजातीय कार्य विभाग

2.3 "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु योजना" की लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" जनजातियों में सबसे कमजोर वर्ग हैं, जो पृथक, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए टोले/आवासों में निवास करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.), भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के विकास की योजना' नामक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ (अप्रैल 2015) की जिसका उद्देश्य आवास (हैबिटेट) विकास दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर, समुदाय की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखते हुए, पी.वी.टी.जी. के सामाजिक-आर्थिक विकास की समग्र रूप से योजना बनाना है। यह योजना चिन्हित पीवीटीजी को शामिल करती है तथा राज्य को पीवीटीजी के लिए प्रासंगिक माने गए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण; शिक्षा आदि के माध्यम से आजीविका, रोजगार के अवसर एवं आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। यह निधि पी.वी.टी.जी. के अस्तित्व, संरक्षण एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण मदों/गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत विशेष रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है।

योजना के अनुसार, बेसलाइन एवं/अथवा अन्य सर्वेक्षणों के माध्यम से आंकलित आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक पी.वी.टी.जी. के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.) योजना तैयार की जानी है। सी.सी.डी. को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति (ई.सी.) द्वारा अनुमोदित किया जाना है। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत सी.सी.डी. योजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन तथा समीक्षा भारत सरकार की परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की जाती है। सी.सी.डी. योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राज्य शासन को राशि जारी की जाती है।

मध्य प्रदेश में तीन जनजातियों (बैगा, सहरिया एवं भारिया) को पी.वी.टी.जी. के रूप में चिन्हित एवं वर्गीकृत किया गया है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सर्वेक्षण (2004-05) अनुसार,

राज्य के 15 जिलों[39] के चिन्हित क्षेत्रों में पी.वी.टी.जी. की जनसंख्या 4.87 लाख थी। पी.वी.टी.जी. जनसंख्या का जिलेवार वितरण **मानचित्र-2.3.1** में दिया गया है:

मानचित्र–2.3.1 : टी.आर.आई. सर्वेक्षण (2004-05) के अनुसार पी.वी.टी.जी. की जिला-वार जनसंख्या

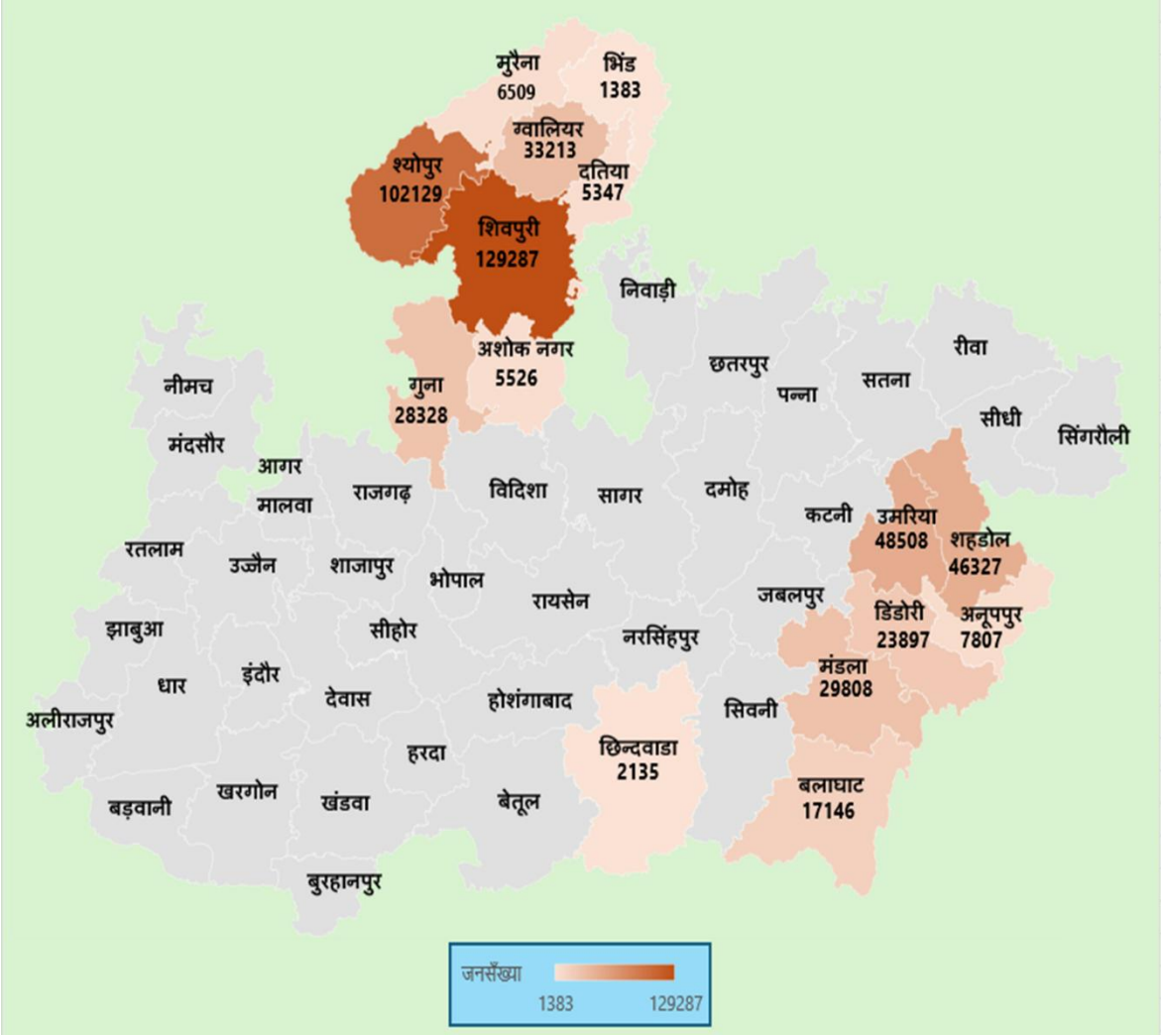

2.3.1.1 संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) का जनजातीय कार्य विभाग (टी.ए.डी.), प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, राज्य में पी.वी.टी.जी. के विकास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (सी.टी.ए.डी.) विभाग के प्रमुख हैं। निदेशक, पी.वी.टी.जी. के अधीन पी.वी.टी.जी. सेल, पी.वी.टी.जी. के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण

[39] बैगा जनजाति अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, शहडोल एवं उमरिया जिला में निवास करती है, सहरिया जनजाति गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना एवं शिवपुरी जिला में निवास करती है, एवं भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है।

के लिए जिम्मेदार हैं। आगे, सहायक आयुक्त (ए.सी.)/जिला संयोजक (डी.ओ.), जनजातीय कार्य विभाग जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार हैं।

2.3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आँकलन करना था कि क्या विभाग ने योजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं तथा वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था या नहीं।

लेखापरीक्षा मानदंड भारत सरकार की पी.वी.टी.जी. के विकास की योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना दिशानिर्देशों; वार्षिक योजनाओं; सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.), 2017, तथा भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों से प्राप्त किए गए थे।

हमने अप्रैल 2018 से मार्च 2023 (अवधि) के लिए सी.टी.ए.डी., भोपाल एवं चयनित छ: जिलों (अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, श्योपुर, शिवपुरी एवं उमरिया) के सहायक आयुक्तों/जिला संयोजकों, टी.ए.डी. तथा कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.)[40] के अभिलेखों की नमूना जांच करके लेखापरीक्षा की। इसमें 15 जिलों (पी.वी.टी.जी. बहुल जिलों के रूप में पहचान एवं वर्गीकरण) से प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) पद्धति का उपयोग करते हुए चार जिलों[41] का चयन किया, एक[42] जिला भारिया जनजाति की आबादी की प्रमुखता के आधार पर तथा एक जिला (डिंडोरी) प्रमुख सचिव, टी.ए.डी. की सलाह के आधार पर चयनित किया गया। हमने प्रमुख सचिव, टी.ए.डी., मध्य प्रदेश शासन के साथ अगस्त 2023 में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र एवं मानदंडों पर चर्चा करने के लिए प्रवेश सम्मेलन तथा दिसंबर 2024 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मेलन आयोजित किया। शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तरों (जनवरी 2025) को प्रतिवेदन में जहाँ भी आवश्यक हो, उचित रूप से शामिल एवं खंडन किया गया है।

2.3.2 नियोजन

2.3.2.1 संरक्षण-सह-विकास योजना की तैयारी

दिशानिर्देशों (मार्च 2015 एवं सितंबर 2019) के अनुसार, प्रत्येक राज्य को जनसंख्या, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, भूमि धारण, रोजगार के अवसर इत्यादि जैसे कारकों को ध्यान में रखते

---

[40] म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड इत्यादि।

[41] अनूपपुर, श्योपुर, शिवपुरी एवं उमरिया।

[42] छिंदवाड़ा एकमात्र जिला है जहां भारिया जनजाति प्रमुख है।

हुए आधारभूत एवं/अथवा अन्य सर्वेक्षणों के माध्यम से मूल्यांकित आवश्यकताओं के आधार पर राज्य के प्रत्येक पी.वी.टी.जी. के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.) योजना (तीन से पांच साल के लिए) तैयार करना आवश्यक है। सी.सी.डी. योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधानों को इंगित करना आवश्यक है।

यह पाया गया कि सी.टी.ए.डी. ने न तो पी.वी.टी.जी. के विकास के लिए गतिविधियों की पहचान करने एवं उन्हें प्राथमिकता देने के लिए पी.वी.टी.जी. का आधारभूत सर्वेक्षण किया एवं न ही 2018-23 के दौरान सी.सी.डी. योजना तैयार की। अंतिम आधारभूत सर्वेक्षण 2004-05 में किया गया था, जिसमें राज्य के 15 चिन्हित जिलों में पी.वी.टी.जी. की जनसंख्या 4,87,350 थी। इसके बाद, 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने जनसंख्या, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, भूमि धारण, रोजगार के अवसर आदि से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। विभाग ने केवल विभागों/निगमों/सोसायटियों[43] के प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार कीं, जिनमें परियोजनाओं की पहचान का आधार नहीं बताया गया। इस प्रकार, आधारभूत सर्वेक्षण की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप विकास योजनाओं की तैयारी के लिए विभाग के पास पी.वी.टी.जी. की जनसंख्या, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति आदि का अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया। आगे, सी.सी.डी. योजना तैयार न होने के कारण, विभाग के पास पी.वी.टी.जी. की सांस्कृतिक संरक्षण, स्थिरता, सशक्तिकरण एवं समग्र विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण नहीं था एवं योजना व्यक्तिपरक थी तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के विवेक पर निर्भर थी।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि अंतर विश्लेषण करने का प्रस्ताव भारत सरकार की परियोजना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत (जून 2017) किया गया था, जिसने इसे स्वीकृति नहीं दी थी। सी.सी.डी. योजना के अंतर्गत, विभिन्न विभागों ने सर्वेक्षण/अंतर विश्लेषण के माध्यम से वास्तविक आवश्यकता के आकलन के आधार पर तैयार योजना की स्वीकृति प्राप्त की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये भारत सरकार ने आधारभूत सर्वेक्षण के लिए और अधिक परियोजनाएं प्रस्तुत करने को कहा था। जबकि, विभाग ने भारत सरकार को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि सर्वेक्षण का संचालन एवं सी.सी.डी. योजना की तैयारी में इसका उपयोग मध्य प्रदेश शासन की जिम्मेदारी थी। आगे, यह सत्यापित करने के लिए कोई साक्ष्य अभिलेख नहीं दिया गया कि विभागों ने सर्वेक्षण/अंतर विश्लेषण के माध्यम से

[43] लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल; राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल; पं. खुशी लाल शर्मा सरकारी (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल; म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल; शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोपाल; पशुपालन विभाग इत्यादि।

वास्तविक आवश्यकता के आकलन के आधार पर योजनाएँ तैयार की। शासन ने विचलन के कारण नहीं बताए, जैसे कि पी.वी.टी.जी. का आधारभूत सर्वेक्षण न करना एवं अपने स्तर पर सी.सी.डी. योजना तैयार न करना। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में देखे गए अभिलेखों से विचलन का कोई कारण ज्ञात नहीं किया जा सका।

2.3.2.2 पी.वी.टी.जी. के लिए विकास एजेंसियों का निष्क्रिय रहना

राज्य में पी.वी.टी.जी. बहुल 15 जिलों के लिए 11 पीवीटीजी विकास एजेंसियां हैं। ये विकास एजेंसियां पी.वी.टी.जी. के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश शासन के आदेश (अगस्त 1996) के अनुसार इन एजेंसियों में योजनाओं के कार्यान्वयन में पी.वी.टी.जी. का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पी.वी.टी.जी. समुदाय से अध्यक्ष एवं सदस्य होने चाहिए। पी.वी.टी.जी. के समग्र उत्थान एवं सामाजिक भागीदारी तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पी.वी.टी.जी. के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण भी गठित (मई 2013) किए गए थे।

सी.टी.ए.डी. के अभिलेखों की जांच से पता चला (अगस्त 2023) कि जिलों में राज्य स्तरीय प्राधिकरण एवं पी.वी.टी.जी. विकास एजेंसियां लेखापरीक्षा अवधि के दौरान क्रियान्वित नहीं थीं, जिससे इन विकास एजेंसियों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया तथा योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन में पी.वी.टी.जी. का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि जिला एजेंसियों की निष्क्रियता का कारण विभागों द्वारा सीधे तौर पर योजना का क्रियान्वयन था। विभाग ने इसका कारण विकास एजेंसियों के पास आवश्यक संसाधनों और कौशल की कमी एवं संबंधित विभागों के पास संगत कौशल तथा संसाधनों की अनुपलब्धता को बताया।

विभागीय उत्तर में पी.वी.टी.जी. विकास एजेंसियों के कार्य न करने एवं पी.वी.टी.जी. के विकास की योजना तथा क्रियान्वयन में पी.वी.टी.जी. के प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई है। विकास एजेंसियों को उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी थी। शासन ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि पी.वी.टी.जी. योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रतिनिधि आधारित विकेन्द्रीकृत मॉडल निष्क्रिय रहे।

2.3.3 वित्तीय प्रबंधन

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक योजना के प्रस्तुतीकरण एवं भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने की प्रक्रिया **चार्ट-2.3.1** में दर्शायी गयी है।

चार्ट-2.3.1: वार्षिक योजना के प्रस्तुतीकरण एवं भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने की प्रक्रिया

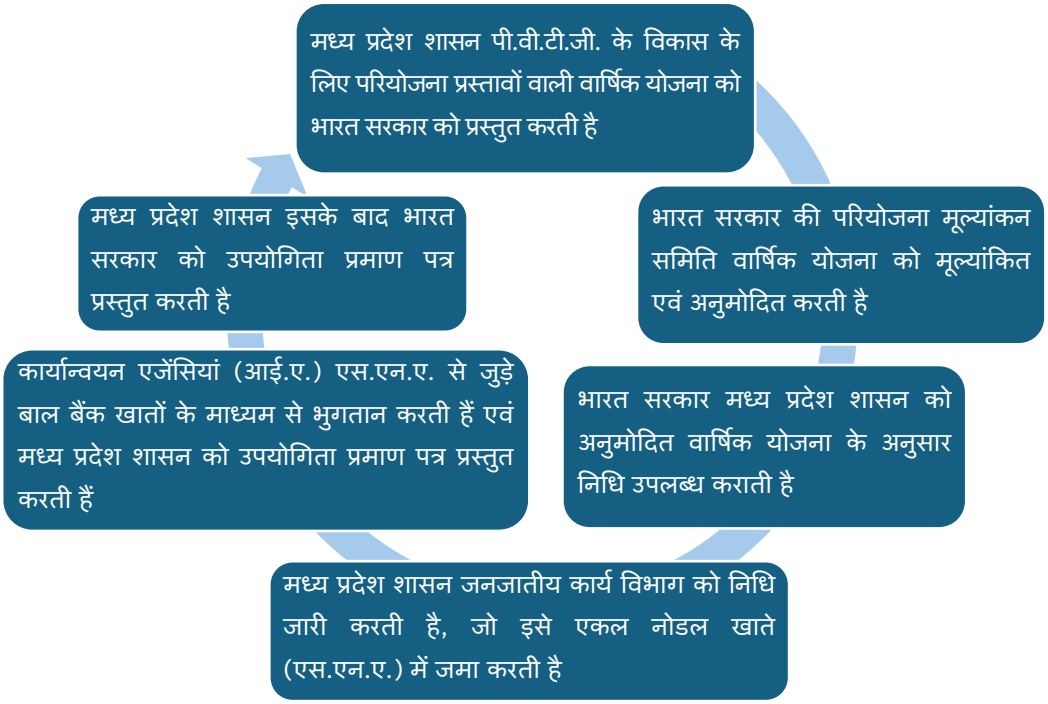

अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की स्थिति तथा भारत सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति **तालिका-2.3.1** में दी गई है:

तालिका 2.3.1: भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों तथा भारत सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष (वर्ष के आरम्भ में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र)	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि	वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी राशि	कुल उपलब्ध राशि	भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाणपत्र	अंतिम शेष (वर्ष के अंत में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र)
1	2	3	4	5	6	7(5-6)
2018-19	49.52	85.08	79.98	129.50	0.00	129.50
2019-20	129.50	125.75	77.52	207.02	55.09	151.93
2020-21	151.93	51.88	21.88	173.81	42.84	130.97
2021-22	130.97	47.68	28.89	159.86	20.08	139.78
2022-23	139.78	0	0	139.78	33.35	106.43
कुल			**208.27**		**151.36**	

स्रोत: सी.टी.ए.डी., भोपाल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/अभिलेख

अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से परियोजनावार प्राप्त राशि एवं उसके विरुद्ध किए गए व्यय का विवरण ***परिशिष्ट-2.3.1*** में दिया गया है।

हमने पाया कि सी.टी.ए.डी. द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को विलंब से राशि जारी करने तथा असत्य उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, निष्क्रिय योजना निधि को एकल नोडल खाता (एस.एन.ए.) में जमा न करने तथा अनधिकृत व्यय के प्रकरण पाए जिन पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.3.3.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को विलंब से राशि जारी करना

भारत सरकार के राशि जारी करने के आदेशों के अनुसार, राज्य शासन को पी.वी.टी.जी. के विकास के लिए गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का तत्काल हस्तांतरण सुनिश्चित करना था।

यह देखा गया कि इस अवधि के दौरान, सी.टी.ए.डी. ने ₹7.67 करोड़ समय पर जारी किए, ₹239.42 करोड़[44] क्रियान्वयन एजेंसियों को 24 से 1,182 दिवसों (भारत सरकार से राशि प्राप्त होने की तिथि से) के विलंब से जारी किए एवं वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 (अगस्त 2023 तक) के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹13.83 करोड़ जारी ही नहीं किए। कुल राशि ₹257.79 करोड़[45] सम्मिलित थी।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकरण को सुधारने का आश्वासन दिया।

2.3.3.2 वास्तविक व्यय को सुनिश्चित किए बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

सामान्य वित्तीय नियम 2017 में प्रावधान है कि केंद्रीय अनुदान प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करना होगा। उपयोगिता प्रमाणपत्र, उस उद्देश्य हेतु राशि के वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

यह देखा गया कि इस अवधि के दौरान ₹257.79 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरुद्ध सी.टी.ए.डी. ने ₹151.36 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से ₹53.43 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र क्रियान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र पर आधारित थे एवं ₹97.93 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र क्रियान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त

---

[44] वर्ष 2018-19 (₹57.19 करोड़), 2019-20 (₹106.89 करोड़), 2020-21 (₹39.05 करोड़) एवं 2021-22 (₹36.29 करोड़)।

[45] वर्ष 2018-19 के आरंभ में प्रारंभिक शेष- ₹49.52 करोड़ तथा अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधि- ₹208.27 करोड़।

किये बिना क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए आवंटित पर आधारित थे। इस प्रकार, गतिविधियों पर वास्तविक व्यय को सुनिश्चित किए बिना, आई.ए. को आवंटन के आधार पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, भारत सरकार को असत्य उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना दर्शाता है। आगे, सी.टी.ए.डी. ने भारत सरकार को ₹106.43 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये (अगस्त 2023) जिसके कारण आगामी वर्षों के लिए ₹21.58 करोड़[46] जारी ही नहीं किए गए।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान, विभाग द्वारा किए गए व्यय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को भेजे गए थे, जो कि स्वीकार्य है क्योंकि संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों पर व्यय किया था। ₹106.43 करोड़ में से ₹54.86 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजे जा चुके हैं एवं शेष नियत समय से भेजे जाएँगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय संबंधित अभिलेख विभाग के पास नहीं थे।

2.3.3.3 अनधिकृत व्यय

'पी.वी.टी.जी. के विकास की योजना' के दिशानिर्देशों (मार्च 2015) के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना मूल्यांकन समिति सी.सी.डी. योजना का मूल्यांकन करेगी, जिसमें एक वार्षिक योजना एवं पांच वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना शामिल होगी।

आगे, सामान्य वित्त नियम (जी.एफ.आर.) 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्त संस्थान को जारी अनुदान सहायता अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए।

सचिव, भारिया विकास एजेंसी (बी.डी.ए.), तामिया के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2024) में पाया गया कि कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा (फरवरी 2019 एवं फरवरी 2020) विभिन्न कार्यों/योजनाओं[47] हेतु ₹ 2.11 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ, वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के सी.सी.डी. योजनाओं की शेष राशि तथा अर्जित ब्याज से कराए जाने हेतु जारी की गयी। राशि तीन ग्राम पंचायतों को जारी (मार्च 2019 एवं फरवरी 2020) की

[46] वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2021-22 के लिए क्रमशः ₹5.10 करोड़, ₹5.10 करोड़ एवं ₹11.38 करोड़।

[47] ग्राम पंचायत कारेआम रातेड, घटलिंगा एवं हर्राकछार में सी.सी. रोड एवं स्टॉप डैम का निर्माण, डीजल पंप का वितरण आदि कार्य किया जाना था।

गई तथा कार्यों के पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ संबंधित ग्राम पंचायतों से प्राप्त किए गए। कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा प्रदत्त उक्त प्रशासनिक स्वीकृति जनजातीय कार्य विभाग, भारत सरकार की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के बिना जारी की गई, जो कि लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सचिव, बी.डी.ए., तामिया ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि उपरोक्त कार्य कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर जनहित में कार्यान्वित किए गए थे। शासन ने कंडिका का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

सचिव का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य केवल पी.ए.सी. के मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता था। आगे, ब्याज राशि से किया गया व्यय सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यय/स्वीकृति को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

2.3.3.4 राशि का अवरुद्ध रहना

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देश (मार्च 2021) दिया कि वह किसी भी परियोजना/गतिविधि की अव्ययित राशि, उस पर अर्जित ब्याज राशि सहित, एस.एन.ए.[48] में जमा करे।

(क) यह देखा गया कि सी.टी.ए.डी. ने वन्या प्रकाशन को हस्तांतरित (सितंबर 2021) ₹14 करोड़ एस.एन.ए. में जमा करने के लिए कार्रवाई नहीं की एवं यह राशि अगस्त 2023 तक बैंक खाते में अवरुद्ध रही। आगे, सी.टी.ए.डी. ने एस.एन.ए. में ₹ 21.68 करोड़[49] की अव्ययित राशि जमा करना भी सुनिश्चित नहीं किया।

(ख) हमने यह भी देखा कि सी.टी.ए.डी. के निर्देशों (जुलाई 2019 एवं फरवरी 2019) के अनुपालन में, छिंदवाड़ा, उमरिया एवं शिवपुरी जिलों के ए.सी.टी.ए.डी. ने छात्रावासों के निर्माण से संबंधित ₹ 10.32 करोड़[50] ब्याज सहित (बैंक खाते में रखी गई पी.वी.टी.जी. योजना निधि पर प्राप्त ब्याज) वन्या प्रकाशन के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिए। यह राशि वन्या प्रकाशन के पास ही पड़ी है, जो योजना निधि को एस.एन.ए. में जमा करने संबंधी भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है।

---

[48] बैंक ऑफ बड़ौदा में पी.वी.टी.जी. योजना के तहत सी.टी.ए.डी. ने एकल नोडल खाता खोले (सितंबर 2021)।

[49] पोषण शक्ति-महिला एवं बाल विकास पोषण परियोजना (₹17.01 करोड़, पारंपरिक कृषि का संरक्षण-कोदो-कुटकी (₹2.34 करोड़) एवं सिंगल फेज विद्युत पंप आधारित नल जल योजना (₹2.33 करोड़–क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सी.टी.ए.डी. को समर्पित लेकिन एस.एन.ए. में जमा नहीं किया गया)

[50] छिंदवाड़ा-₹33 लाख (छात्रावास निर्माण की राशि), उमरिया- ₹1.00 करोड़ (ब्याज राशि) एवं शिवपुरी-₹8.99 करोड़ (ब्याज राशि)।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को अव्ययित राशि को एस.एन.ए. खाते में जमा करने के निर्देश दिए (जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022) गए थे। आगे, यह भी कहा कि ₹21.68 करोड़ में से ₹2.33 करोड़ सी.टी.ए.डी. को सौंप दिए गए थे, इसलिए इसे एस.एन.ए. में जमा नहीं किया जा सका। यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्या प्रकाशन के पास पड़ी अव्ययित राशि के मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

2.3.4 पी.वी.टी.जी. के विकास के लिए आय सृजन परियोजनाएं

अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आय सृजन परियोजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जांच में हमने निम्नलिखित कमियां पाई:

2.3.4.1 'पारंपरिक कृषि संरक्षण परियोजना' का अपर्याप्त क्रियान्वयन

भारत सरकार ने 'तकनीकी ज्ञान संवर्धन, पारंपरिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, कृषि प्रसंस्करण एवं बाज़ार संपर्क के माध्यम से पारंपरिक कृषि (कोदो एवं कुटकी) का संरक्षण' परियोजना अनुमोदित (जून 2017) की तथा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹14.68 करोड़ जारी की। यह परियोजना मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम[51] (एम.पी.एम.वी.वी.एन.), भोपाल द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु बड़ी संख्या में कुशल, ज्ञानवान एवं आत्मविश्वासी महिला कृषकों का सृजन करना है।

कार्यालय महाप्रबंधक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल एवं सी.टी.ए.डी., भोपाल में (अगस्त 2023) देखा गया कि:-

(क) एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल ने एस.एन.ए. में ₹ 11.88 करोड़ की अव्ययित निधि (ब्याज राशि सहित) जमा नहीं की (अगस्त 2023 तक) जबकि परियोजना मार्च 2022 में बंद हो चुकी थी।

महाप्रबंधक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि सी.टी.ए.डी., डब्ल्यू.सी.डी. विभाग एवं एम.पी.एम.वी.वी.एन. शेष परियोजना गतिविधियों को पूरा करने के लिए परियोजना की समय सीमा बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

(ख) सी.टी.ए.डी., भोपाल ने परियोजना के अंतर्गत एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल को ₹40.76 करोड़ प्रदान किए। एम.पी.एम.वी.वी.एन. ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए

[51] महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत एक निगम।

अपनी जिला इकाई को ₹15.46 करोड़ की राशि जारी की एवं जिला इकाई ने विभिन्न क्लस्टर स्तरीय संघों (सी.एल.एफ.) के माध्यम से इस अवधि के दौरान ₹13.06 करोड़ का व्यय किया। तथापि, एम.पी.एम.वी.वी.एन. ने ₹13.06 करोड़ के व्यय के विरुद्ध सी.टी.ए.डी. को ₹26.64 करोड़ के त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।

महाप्रबंधक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल ने स्वीकार किया एवं उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि उपरोक्त राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र सी.टी.ए.डी. को उनकी मांग के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि सी.एल.एफ. से वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने एवं जिला कार्यालय द्वारा संकलन के बाद इन उपयोगिता प्रमाणपत्रों को राज्य कार्यालय को भेजने की प्रक्रिया में समय लगता है।

(ग) परियोजना के ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य स्तरीय समिति द्वारा आंतरिक मूल्यांकन तथा परियोजना की सरकारी एजेंसी, अर्थात प्रशासनिक अकादमी के गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस स्कूल, द्वारा बाह्य मूल्यांकन प्रत्येक छः माह में एक बार तथा रबी एवं खरीफ के फसल चक्र की समाप्ति के एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना था।

आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों का समयबद्ध रूप से किया जाना सुधारात्मक उपायों हेतु समय पर हस्तक्षेप तथा हस्तक्षेपों के प्रभाव के आकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो परियोजनाओं के परिणामों के सत्यापन के लिए आवश्यक है।

यह पाया गया कि एम.पी.एम.वी.वी.एन. ने इस परियोजना का आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन नहीं किया। परियोजना के आवधिक आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अभाव में, परियोजना के क्रियान्वयन के कारण कृषि पद्धतियों में सुधार तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति का आँकलन नहीं किया जा सका।

महाप्रबंधक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि परियोजना का आंतरिक मूल्यांकन, निर्धारित प्रारूप में जिले से जानकारी प्राप्त करके नवंबर 2021 में किया गया था। आगे, इस परियोजना का बाह्य मूल्यांकन मेसर्स एमपीकॉन लिमिटेड के माध्यम से किया गया था। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि महाप्रबंधक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल ने ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के अनुसार प्रत्येक छह माह में एक बार योजना का मूल्यांकन नहीं किया।

(घ) डिंडोरी जिले की परियोजना में, एम.पी.एम.वी.वी.एन. के जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) के पास 4,500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए ₹15.82 करोड़ थे। हालाँकि, उन्होंने प्रबंध निदेशक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., भोपाल को ₹1.65 करोड़

समर्पित कर दिए (अगस्त 2022) तथा तेजस्विनी महिला संघों के पास शेष ₹1.10 करोड़ अव्ययित रहे, जो पी.वी.टी.जी. हितग्राहियों के लाभ के लिए एम.पी.एम.वी.वी.एन., डिंडोरी के जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) द्वारा निधि का उपयोग न किया जाना दर्शाता है।

जिला परियोजना समन्वयक, एम.पी.एम.वी.वी.एन., डिंडोरी ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि महिला संघों से राशि की वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

2.3.4.2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) परियोजना की स्थापना तथा संचालन

भारत सरकार ने 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर (हल्दी, शहद एवं सरसों प्रसंस्करण)[52] के माध्यम से क्लस्टरों का विकास' परियोजना के लिए पी.वी.टी.जी. योजना के अंतर्गत ₹2.11 करोड़ स्वीकृत किए (जून 2018) एवं राज्य को राशि जारी (सितंबर 2018) की। सी.टी.ए.डी. ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) को ₹2.11 करोड़ की राशि जारी (नवंबर 2019) की।

2.3.4.2 (i) भारत सरकार के अनुमोदन के बिना सी.एफ.सी. के स्थान में परिवर्तन

भारत सरकार की पी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना के अनुसार, हल्दी प्रसंस्करण के लिए उमरिया, शहद प्रसंस्करण के लिए मुरैना तथा सरसों प्रसंस्करण के लिए श्योपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) स्थापित किए जाने थे।

यह पाया गया कि हल्दी प्रसंस्करण के लिए श्योपुर (उमरिया के स्थान पर) एवं सरसों प्रसंस्करण के लिए शिवपुरी (श्योपुर के स्थान पर) में सी.एफ.सी. की स्थापना भारत सरकार से स्थान परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गई थी। इसके अतिरिक्त, उमरिया जिले में कोई सी.एफ.सी. स्थापित नहीं की गयी थी।

उपायुक्त, एस.आर.एल.एम., भोपाल ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि वर्ष 2019-20 तक उमरिया जिले में स्वयं सहायता समूहों के साथ पर्याप्त संख्या में निजी व ग्रामीण विकास समूहों (पी.वी.टी.जी.) के सदस्यों को नहीं जोड़ा जा सका। इसलिए, हल्दी सी.एफ.सी. का स्थान उमरिया जिले से बदलकर श्योपुर जिले में कर दिया गया। आगे, सरसों प्रसंस्करण सी.एफ.सी. का स्थान श्योपुर से बदलकर शिवपुरी जिले में करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। शासन ने कंडिका का उत्तर नही दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.टी.ए.डी. को सी.एफ.सी. के स्थान परिवर्तन के लिए भारत सरकार से अनुमोदन लेना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त **कंडिका 2.3.2.2** में उल्लिखित

[52] यह परियोजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.), भोपाल द्वारा क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन (सी.एल.एफ.) के माध्यम से क्रियान्वित की जानी थी।

अपेक्षित सर्वेक्षणों के न किए जाने तथा प्रतिनिधि-आधारित विकास एजेंसियों के कार्यशील न होने के कारण, उचित आधार के बिना विवेकाधिकार के प्रयोग का जोखिम उत्पन्न हुआ, जो इस मामले में परिलक्षित भी हुआ।

2.3.4.2(ii) सी.एल.एफ. खाते में राशि का अवरुद्ध रहना

एस.आर.एल.एम., भोपाल ने हल्दी प्रसंस्करण इकाई के लिए सी.एफ.सी. की स्थापना हेतु इसकी श्योपुर जिला इकाई को ₹77.18 लाख प्रदान (अप्रैल 2021) किए, जिसे आगे शक्ति क्लस्टर स्तरीय संघ (सी.एल.एफ.), बरगवां, श्योपुर को प्रदान किया (मई 2021) गया।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.), एस.आर.एल.एम., श्योपुर एवं शक्ति सी.एल.एफ., बरगवां के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया (जनवरी 2024) कि शक्ति सी.एल.एफ., बरगवां को जारी ₹ 77.18 लाख (मई 2021) के विरुद्ध, हल्दी प्रसंस्करण मशीनरी, प्रशिक्षण, कच्चे माल आदि की खरीद पर ₹18.63 लाख (24 प्रतिशत) जनवरी 2024 तक खर्च किए गए थे। शेष ₹58.55 लाख की राशि शक्ति सी.एल.एफ. बरगवां के बैंक खाते में अवरुद्ध थी तथा डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., श्योपुर द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., श्योपुर ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि सी.एफ.सी. के लिए मशीनें नहीं खरीदी जा सकीं क्योंकि एस.आर.एल.एम. द्वारा परियोजना क्रियान्वयन हेतु उचित निर्देश प्रदाय नहीं किए गए थे।

शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

2.3.4.2 (iii) सरसों प्रसंस्करण की सी.एफ.सी. की स्थापना एवं संचालन में कमियां

डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., शिवपुरी ने सरसों प्रसंस्करण हेतु सी.एफ.सी. की स्थापना के लिए बनकड़े बाबा सी.एल.एफ., करई, शिवपुरी का चयन (जनवरी 2022) किया तथा सी.एल.एफ. को जनवरी 2022 में ₹28.20 लाख तथा मई 2022 में ₹28.20 लाख प्रदान किए।

एस.आर.एल.एम., शिवपुरी एवं बनकड़े बाबा सी.एल.एफ., करई, शिवपुरी में इस परियोजना के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2024) से निम्नलिखित पता चला:

(क) सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 161 के अनुसार, ₹25 लाख एवं उससे अधिक अनुमानित मूल्य के सामान के क्रय के लिए विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। आगे, नियम 162 में प्रावधान है कि ₹25 लाख तक के अनुमानित मूल्य का सामान 'सीमित निविदा पूछताछ' द्वारा क्रय किया जा सकता है।

(ख) यह पाया गया कि बनकड़े बाबा सी.एल.एफ., करई, शिवपुरी ने सी.एफ.सी. की स्थापना तथा इसके संचालन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु तीन फर्मों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर नर्मदा कंसल्टेंट कंपनी, भोपाल का चयन टर्नकी अनुबंध के आधार पर

किया तथा फर्म के साथ एक अनुबंध निष्पादित (जनवरी 2022) किया। इस फर्म को उपकरण/मशीनों की आपूर्ति एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ₹49.53 लाख का कार्य आदेश जारी किया गया। यह सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 161 का उल्लंघन था क्योंकि उपरोक्त मामले में फर्म का चयन विज्ञापित निविदा के आधार पर नहीं, बल्कि कोटेशन के आधार पर किया गया था।

इंगित करने पर डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., शिवपुरी ने बताया (जनवरी 2024) कि समय की कमी के कारण खुली निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी।

(ग) बनकड़े बाबा सी.एल.एफ., कराई, शिवपुरी ने सरसों तेल एवं अन्य उप-उत्पादों के उत्पादन/बिक्री, कच्चे माल की खपत के लक्ष्य एवं उपलब्धि आदि से संबंधित अभिलेख/सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई। अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा सी.एल.एफ. के कुशल संचालन की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इंगित करने पर, डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., शिवपुरी ने उत्तर में बताया (मई 2024) कि चूँकि सी.एल.एफ. का संचालन अभी भी नर्मदा कंसल्टेंसी कंपनी, भोपाल द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये अभिलेख सी.एल.एफ. के पास उपलब्ध नहीं हैं। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

प्रस्तुत उत्तर से यह स्थापित होता है कि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए चयनित एजेंसी के माध्यम से व्यय किया गया। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा सी.एल.एफ. की क्रियाशीलता की निगरानी का अभाव भी रहा।

2.3.4.3 कड़कनाथ (पोल्ट्री पालन) परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं

भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में कड़कनाथ परियोजना के लिए ₹ एक करोड़ स्वीकृत की, जिसके अंतर्गत चार जिलों[53] के 1,770 हितग्राहियों को लाभ पहुचाया जाना था तथा हितग्राहियों की वार्षिक आय में ₹12,000 से ₹24,000 की वृद्धि का आँकलन किया गया था। इन आवश्यकताओं में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) एवं पी.वी.टी.जी. समुदायों की महिला हितग्राहियों की पहचान के लिए हितग्राही सर्वेक्षण कराना भी शामिल था। हितग्राहियों को चिन्हित कर संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना था तथा उन्हें छ: माह के अंतराल पर दो बैचों में 24 कड़कनाथ चूजे, 15 दिनों के आहार सहित, उपलब्ध कराए जाने थे, जिसमे प्रत्येक लाभ पैकेज की लागत ₹2,000 आंकी गई थी।

लेखापरीक्षा में दो जिलों (श्योपुर और शिवपुरी) में हितग्राही सर्वेक्षण न किए जाने, 100 हितग्राहियों के प्रकरण में पहले चरण में ही 40 चूजों का वितरण एवं शिवपुरी जिले में 400

[53] बालाघाट, छिंदवाड़ा, श्योपुर एवं शिवपुरी

हितग्राहियों के प्रकरण में अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के रूप में विचलन पाया गया। इसके अतिरिक्त, छिंदवाड़ा में, पी.वी.टी.जी. के लिए निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर रहने वाले 408 व्यक्तियों को लाभ दिया गया।

आगे, 22 हितग्राहियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024 के बीच) में पता चला कि श्योपुर जिले में कड़कनाथ की उपलब्धता केवल एक हितग्राही तक ही सीमित है। केवल इस हितग्राही ने अपनी वार्षिक आय में ₹10,000 की वृद्धि बताई।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले भारिया जनजातियों (निर्दिष्ट पी.वी.टी.जी.) को भी लाभ दिया गया है।

प्रस्तुत उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले पी.वी.टी.जी. को ही लाभान्वित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, उत्तर में वितरित चूज़ों की संख्या में विचलन, हितग्राही सर्वेक्षण न किए जाने तथा शिवपुरी जिले में चूज़ों के वितरण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति आवश्यक सर्वेक्षणों के अभाव का परिणाम प्रतीत होती है।

2.3.4.4 'वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.), 2006 के अंतर्गत प्राप्त भूमि के इष्टतम उपयोग द्वारा बैगा जनजातियों की आजीविका पर प्रभाव' परियोजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने 'वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त भूमि के इष्टतम उपयोग द्वारा बैगा जनजातियों की आजीविका पर प्रभाव' परियोजना के लिए ₹9.84 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2019) किए एवं जुलाई 2019 से जनवरी 2021 के बीच यह राशि जारी की। सी.टी.ए.डी. ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) को यह राशि जारी (सितंबर 2019 एवं दिसंबर 2021) की। इस परियोजना का उद्देश्य भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार एवं संवर्धन करना तथा डिंडोरी जिले के बैगा परिवारों[54] को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त भूमि अधिकार का उत्पादक उपयोग करने में मदद करना था।

2.3.4.4 (i) परियोजना के अंतर्गत अव्ययित राशि का अवरुद्ध रहना

यह पाया गया कि एस.आर.एल.एम., भोपाल ने सी.टी.ए.डी. से राशि प्राप्त होने के 22 माह बाद, डिंडोरी स्थित जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.) को ₹9.83 करोड़ प्रदान (जुलाई 2021 एवं जनवरी 2023) किए। एस.आर.एल.एम. डिंडोरी के डी.पी.एम. द्वारा तीन ब्लॉकों के सी.एल.एफ.

[54] इस परियोजना के अंतर्गत तीन ब्लॉकों समनापुर, बजाग एवं करंजिया के 10 गांवों के 1,000 बैगा परिवारों को शामिल किया जाना था तथा परियोजना को तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था।

को प्रदान की गई राशि की स्थिति एवं सी.एल.एफ. द्वारा किए गए व्यय का विवरण **तालिका-2.3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.3.2: फरवरी 2024 तक सी.एल.एफ. को प्रदान की गई राशि एवं किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सी.एल.एफ., बजाग	सी.एल.एफ., करंजिया	सी.एल.एफ., समनापुर
डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम. डिंडोरी ने सी.एल.एफ. को प्रदाय राशि	3.46	3.25	3.13
सी.एल.एफ. द्वारा किया गया व्यय	0.79	0.54	1.62
सी.एल.एफ. के पास अव्ययित निधि	2.67 (77 प्रतिशत)	2.71 (83 प्रतिशत)	1.51 (48 प्रतिशत)

स्रोत: डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., डिंडोरी द्वारा प्रदाय की गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि फरवरी 2024 तक सी.एल.एफ. बजाग, सी.एल.एफ. करंजिया एवं सी.एल.एफ. समनापुर में क्रमशः 77 प्रतिशत, 83 प्रतिशत और 48 प्रतिशत राशि अव्ययित थी, जबकि परियोजना को तीन वर्षों के भीतर अर्थात फरवरी 2022 तक पूरा किया जाना था।

डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., डिंडोरी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2024) कि गतिविधियाँ शीघ्र ही क्रियान्वित की जाएँगी तथा निधि का उपयोग किया जाएगा। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

2.3.4.4 (ii) सोलर पंपों के क्रय में अनियमितता

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 161 के अनुसार, ₹25 लाख एवं उससे अधिक अनुमानित मूल्य के सामान के क्रय के लिए विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग किया जाएगा। आगे, नियम 162 में प्रावधान है कि ₹25 लाख तक के अनुमानित मूल्य के सामान का क्रय 'सीमित निविदा पूछताछ' द्वारा किया जा सकता है।

हमने पाया (फरवरी 2024) कि सी.एल.एफ. समनापुर, सी.एल.एफ. बजाग एवं सी.एल.एफ. करंजिया ने विभिन्न फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके तथा न्यूनतम दर के आधार पर 'श्री इलेक्ट्रॉनिक्स, भोपाल' फर्म का चयन करके क्रमशः ₹88 लाख, ₹60 लाख एवं ₹22.42 लाख के सहायक उपकरण एवं फिटिंग के साथ सोलर पंप क्रय (मार्च 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान) किए। ₹1.70 करोड़ के ये क्रय सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि इन्हें खुली निविदा (₹25 लाख से ऊपर) या सीमित निविदा (₹25 लाख तक) के माध्यम से क्रय किया जाना था। क्रय का विवरण ***परिशिष्ट-2.3.2*** में दिया गया है।

शासन ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

2.3.4.4 (iii) वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 239 में प्रावधान है कि केंद्रीय अनुदान प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सामान्य वित्तीय नियम 12-सी प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किए जाएँगे। उपयोगिता प्रमाणपत्र उस उद्देश्य के लिए धनराशि के वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी।

वित्त नियंत्रक, एस.आर.एल.एम., भोपाल ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संबंधित सी.एल.एफ. से राशि के वास्तविक उपयोग की स्थिति का पता लगाए बिना डी.पी.एम., एस.आर.एल.एम., डिंडोरी द्वारा सी.एल.एफ. को किए गए धनराशि के हस्तांतरण के आधार पर सी.टी.ए.डी .को ₹5.60 करोड़ का त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित (जनवरी 2023) किया।

एस.आर.एल.एम., भोपाल ने उत्तर दिया (मई 2024) कि सी.एल.एफ. को हस्तांतरित राशि को उपयोग में मानते हुए ₹5.60 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र सी.टी.ए.डी. को भेज दिया गया था तथा एस.आर.एल.एम. की डिंडोरी जिला इकाई से राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

2.3.4.5 सोलर पंप योजना के क्रियान्वयन में कमियाँ

भारत सरकार ने चार जिलों[55] में पी.वी.टी.जी. के खेतों में 512 सोलर पंपों की स्थापना के लिए राज्य को 'सौर पंप योजना' परियोजना के लिए ₹12 करोड़ स्वीकृत (मई 2018) एवं जारी (सितंबर 2018) किए। सी.टी.ए.डी. ने योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम (एम.पी.यू.वी.एन.), भोपाल को ₹12 करोड़ जारी (अक्टूबर 2018 एवं जुलाई 2019) किए।

एम.पी.यू.वी.एन., भोपाल ने अवधि 2018-19 से 2019-20 के दौरान 512 सोलर पंपों की स्थापना पर ₹11.45 करोड़ व्यय किए, परन्तु ₹12.11 करोड़ का बढाकर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जो ₹66.71 लाख अधिक था।

मुख्य अभियंता, एम.पी.यू.वी.एन. ने कमी स्वीकार की (जुलाई 2024) एवं कहा कि अप्रयुक्त राशि जनजातीय कार्य विभाग को वापस कर दी जाएगी।

[55] बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी एवं मंडला

2.3.5 पी.वी.टी.जी. के लिए अधोसंरचना परियोजनाएं

2.3.5.1 सिंगल फेज विद्युत पंप आधारित नल जल योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने सिंगल फेज विद्युत पंप आधारित नल जल योजना के लिए ₹15 करोड़ स्वीकृत (मई 2018) किए, जिसे राज्य के 15 जिलों के 150 गाँवों में क्रियान्वित किया जाना था। सी.टी.ए.डी. ने वर्ष 2019-20 में क्रियान्वयन एजेंसी (प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग) को राशि आवंटित की। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

2.3.5.1 (i) राशि का व्यपवर्तन

यह पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसी (आई.ए.) ने पाँच जिलों के आठ डी.डी.ओ.[56] को अवधि 2020-21 और 2021-22 के दौरान ₹2.99 करोड़ आवंटित किए, जो चिन्हित पी.वी.टी.जी. जिलों से संबंधित नहीं थे एवं ₹89.82 लाख इन जिलों में व्यय किए गए। कार्यान्वयन एजेंसी ने 15 जिलों के 150 पी.वी.टी.जी. गांव के लिए चिन्हित निधि का व्यपवर्तन करके भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि पी.वी.टी.जी. योजना की राशि समायोजन हेतु, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें, भोपाल को पत्र भेजा (दिसम्बर 2024) गया है।

2.3.5.1 (ii) विद्युत पंप पर निष्फल व्यय

(क) निविदा दस्तावेज के 'अनुबंध की विशेष शर्तों (एस.सी.सी.)' के अनुसार विद्युत कनेक्शन का कार्य निविदाकर्ता द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार किया जाना था।

मुख्य अभियंता, पी.एच.ई., जबलपुर परिक्षेत्र ने वर्ष 2018-19 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से ₹10.50 लाख स्वीकृत किये तथा पी.वी.टी.जी. योजना के अंतर्गत सात ग्रामों[57] में पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु ₹57.19 लाख के सात कार्यों

---

[56] डी.डी.ओ. 1103402001 ई.ई., पी.एच.ई.डी., धार (आवंटन ₹30 लाख एवं व्यय ₹14.91 लाख); 1163402002 ई.ई., पी.एच.ई. क्यू.सी. सरदारपुर (आवंटन ₹40 लाख एवं व्यय ₹31.74 लाख); 1813402006 ई.ई., पी.एच.ई. एम.ई.सी.एच. डी.एन. जे.बी.पी. (आवंटन ₹148 लाख एवं व्यय-शून्य): 4103402001 ई.ई., पी.एच.ई. संभाग एन सीधी (आवंटन ₹30 लाख एवं व्यय ₹30 लाख); 4903402003 ई.ई., फ्लोरोसिक कंट्रोल प्रोजेक्ट पी.एच.ई. अलीराजपुर (आवंटन ₹35 लाख एवं व्यय शून्य) वर्ष 2021-22 के दौरान एवं 1803402002 ई.ई., पी.एच.ई. डी.ई.पी. पी.एच. डी.एन. जे.बी.पी. (आवंटन ₹3 लाख एवं व्यय ₹2.6 लाख); 1813402003 ई.ई., पी.एच.ई. एम.ई.सी.एच. डी.वी. जे.बी.पी. (आवंटन ₹5 लाख एवं व्यय ₹5 लाख); एवं 3603402001 ई.ई., पी.एच.ई. डी.एन. सिवनी (आवंटन ₹8.50 लाख एवं व्यय ₹5.57 लाख) वर्ष 2022-23 के दौरान।

[57] घाटलिंगा, गुढ़ीछत्री, भरियाधाना, भौरियापानी, हर्राकछार, पलानीगैलडुब्बा एवं कर्रापानी

(प्रत्येक ₹8.17 लाख) भी स्वीकृत किये । इन कार्यों पर ₹65.13 लाख का व्यय किया गया।

यह देखा गया कि इस कार्य के लिए, जो अनुबंध का एक हिस्सा था, बिल ऑफ़ क्वांटिटी (बी.ओ.क्यू.) में सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन हेतु ₹15,000 का कार्य मद शामिल था, जिसमें कनेक्टिंग केबल एवं आवश्यक फिटिंग आदि शामिल थे। यह पाया गया कि आठवें एवं अंतिम चलित देयक तक इस घटक पर कोई व्यय नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि आठ कार्यों में से किसी के अंतर्गत विद्युत पंप के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया था और विद्युत पंप निष्क्रिय रहे। विद्युत पंपों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई। इस प्रकार, योजना पर किया गया ₹65.13 लाख का व्यय निष्फल रहा।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि विद्युत पंपों के लिए विद्युत कनेक्शन संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान किए गए थे, एवं इसलिए बी.ओ.क्यू. में शामिल विद्युत कनेक्शन की राशि व्यय नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी.ओ.क्यू. में विद्युत कनेक्शन के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया था तथा यह निर्देश प्रचलन में नहीं था कि ग्राम पंचायतें इसकी लागत का वहन करेंगी। गैर-क्रियाशील विद्युत पंपों से पी.वी.टी.जी. परिवारों को विश्वसनीय एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

(ख) छ: चयनित जिलों[58] में निष्पादित 23 कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) से पता चला कि तीन विद्युत पंप (अनूपपुर जिले में दो और शिवपुरी जिले में एक) क्रियाशील थे और 20 विद्युत पंप, एक प्रकरण (अनूपपुर जिले) में विद्युत मोटर की स्थापना न होने के कारण और शेष 19 प्रकरणों में अन्य विभिन्न कारणों, जैसे जल स्रोत पर स्थापित पानी की मोटर के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं होना, पाइपलाइन की अनुचित फिटिंग, मशीनरी की खराबी, जल स्रोत में पानी की कमी आदि के कारण अक्रियाशील थे।

शासन ने सूचित (जनवरी 2025) किया कि विद्युत पंप के कार्यों के पूरा होने के बाद, उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया था जो उनके संचालन/रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने अक्रियशील विद्युत पंपों के संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

[58] अनूपपुर-07 कार्य, छिंदवाड़ा-02 कार्य, डिंडोरी-03 कार्य, श्योपुर-02 कार्य, शिवपुरी- 5 कार्य एवं उमरिया-4 कार्य

2.3.5.2 पी.वी.टी.जी. के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण

सी.टी.ए.डी. ने इस योजना के अंतर्गत 50 सामुदायिक केंद्रों के निर्माण हेतु ₹34.50 करोड़ की स्वीकृति (फरवरी 2020) प्रदान की एवं इनमें से ₹24 करोड़ की लागत से 40 सामुदायिक केंद्रों के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित (एम.पी.एस.टी.डी.सी.), भोपाल को निर्माण एजेंसी नियुक्त (जनवरी 2021) किया। सात सामुदायिक केंद्रों के निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित (एम.पी.एस.सी.एच.एफ.एल.), भोपाल को ₹4.50 करोड़ की लागत से सौंपा गया तथा शेष तीन सामुदायिक केंद्रों का निर्माण विभागीय स्तर पर किया जाना था।

यह पाया गया कि जून 2025 तक, एम.पी.एस.टी.डी.सी. तथा एम.पी.एस.सी.एच.एफ.एल. ने क्रमशः 30 (40 में से) और चार (सात में से) सामुदायिक केंद्रों का निर्माण पूर्ण किया। भूमि की अनुपलब्धता के कारण 13 (एम.पी.एस.टी.डी.सी. को आवंटित 10 और एम.पी.एस.सी.एच.एफ.एल. को आवंटित तीन) सामुदायिक केंद्रों का निर्माण शुरू नहीं हो सका। आगे, विभाग द्वारा तीन सामुदायिक केंद्रों का निर्माण निविदा स्तर एवं लेआउट स्तर पर प्रगतिरत था। इस प्रकार, 50 स्वीकृत कार्यों में से 16 का अपूर्ण/प्रारंभ न होना, सामाजिक अन्तःक्रिया, शिक्षा, कौशल विकास तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुँच एवं समावेशी सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने हेतु एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य को कमजोर किया।

इन कार्यों के क्रियान्वयन पर आपत्तियाँ आगामी कंडिकाओं में दी गई हैं।

2.3.5.2 (i) निविदाएं प्रदान करने में अनियमितताएं

लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के कार्य नियमावली तथा मध्य प्रदेश शासन के आदेश (मार्च 2015) के अनुसार, यदि कोई निविदाकार, जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है, अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है/कार्य से पीछे हटता है, तो उसकी निविदा प्रतिभूति जब्ती के अतिरिक्त उसे निलंबित कर दिया जाएगा/काली सूची में डाल दिया जाएगा, या निविदा शर्त के अनुसार उस पर कोई अन्य अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन (न्यूनतम दर निविदाकार के रूप में) को दो निविदाओं के माध्यम से एम.पी.एस.टी.डी.सी. द्वारा आठ सामुदायिक केंद्रों के निर्माण का कार्य अनुमानित लागत (₹4.16 करोड़) से 36.80 प्रतिशत कम की उद्धृत दर पर दिया (सितंबर 2021) गया।

हमने देखा कि ठेकेदार ने एम.पी.एस.टी.डी.सी., भोपाल को सूचित (नवंबर 2021) किया कि फर्म द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण किए बिना की दरें उद्धृत की गई थीं, तथा उद्धृत दरों पर कार्य करने से इंकार कर दिया। इसके बाद, एम.पी.एस.टी.डी.सी., भोपाल ने दोनों निविदाएँ रद्द कर

दीं एवं निविदा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली, लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. तथा मध्य प्रदेश शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए निविदाकर्ता को काली सूची में नहीं डाला।

आगे, एम.पी.एस.टी.डी.सी., भोपाल ने दोनों कार्यों के लिए पुनः निविदाएँ आमंत्रित (नवंबर 2021) कीं, एवं उसी फर्म को (अनुमानित लागत के 12.26 प्रतिशत से कम पर) निविदाएँ प्रदान कीं। इसके परिणामस्वरूप ₹1.02 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय दायित्व बना तथा ठेकेदार को समतुल्य लाभ हुआ।

उसी निविदाकर्ता को, जो पहली निविदा में कार्य से पीछे हट गया था, उसी कार्य की दूसरी निविदा में भाग लेने की अनुमति देना, उपर्युक्त शासकीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, यह निविदाकर्ता को दिए गए अनुचित पक्षपात को भी दर्शाता है।

एम.पी.एस.टी.डी.सी., भोपाल ने उत्तर में बताया (अगस्त 2024) कि निविदाकर्ता द्वारा पूर्व में उद्धृत दरों की अव्यवहारिकता उचित थी। शासन ने कंडिका का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

उत्तर न तो मुद्दे से संबंधित है और न ही तर्कसंगत है। लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), मध्य प्रदेश शासन के मार्च 2015 के आदेश की शर्तों के अनुसार, निविदाकार को निलंबित किया जाना था/काली सूची में डालना आवश्यक था।

2.3.5.3 पी.वी.टी.जी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'स्मार्ट कक्षा' परियोजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने राज्य के आठ जिलों[59] के 370 पी.वी.टी.जी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए ₹21.83 करोड़ (प्रत्येक स्मार्ट कक्षा के लिए ₹5.90 लाख की दर से) स्वीकृत (मई 2020) किए। परियोजना प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण पी.वी.टी.जी. छात्र विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों में कमजोर हैं, इसलिए वे व्यावसायिक[60] प्रवेश परीक्षाओं में चयनित नहीं हो पाते। इसे देखते हुए, राज्य मुख्यालय/संभागीय मुख्यालय स्तर से विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों के पैनल द्वारा ऐसे छात्रों को शिक्षा/कोचिंग प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

2.3.5.3 (i) क्रियान्वयन एजेंसी की नियुक्ति में विलंब

प्रशासनिक स्वीकृति (जनवरी 2021) जारी होने के बाद क्रियान्वयन एजेंसियों (संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों) की नियुक्ति (मार्च 2022) में सी.टी.ए.डी. ने एक वर्ष से अधिक समय लिया।

---

[59] अनूपपुर (67), बालाघाट (36), छिंदवाड़ा (53), डिंडौरी (54), मंडला (78), शहडोल (59), श्योपुर (10), एवं उमरिया (13)।

[60] जे.ई.ई., नीट एवं एम्स।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2025) कि एस.एन.ए. की नई प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण, नई प्रणाली को समझने एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने में समय लगा। शासन ने आगे कहा कि विलंब इसलिए हुआ क्योंकि इस प्रणाली के तहत, क्रियान्वयन एजेंसियों को चाइल्ड खाते खोले जाने थे, एजेंसियों के पास रखी राशि को एस.एन.ए. में जमा की जानी थी तथा चाइल्ड खातों की आहरण सीमाएं तय की जानी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें बताये गए कारण क्रियान्वयन एजेंसी की नियुक्ति में विलंब से संबंधित नहीं हैं । एस.एन.ए. प्रणाली अधिकतम भुगतान में विलंब का कारण बन सकता है, जो नियंत्रण योग्य विलंब की श्रेणी में आता है।

2.3.5.3 (ii) स्मार्ट कक्षा परियोजना के क्रियान्वयन में कमियाँ

चयनित पाँच जिलों[61] में इस परियोजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला (जनवरी और फरवरी 2024) कि इन जिलों में 197 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जानी थीं, जिनमें से 128 स्मार्ट कक्षाएं (लागत ₹11.62 करोड़) स्थापित की जा सकी (फरवरी 2024 तक)। शेष 69 स्मार्ट कक्षाएं निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने तथा अन्य कारणों से स्थापित नहीं की जा सकी, जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-2.3.3*** में दिया गया है।

आगे, सी.टी.ए.डी. ने फरवरी 2024 तक राज्य मुख्यालय/सम्भागीय मुख्यालय स्तर पर विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों का पैनल नहीं बनाया। परिणामस्वरूप, उपरोक्त विषयों की कोई परस्पर संवादात्मक कक्षा आयोजित नहीं की गई तथा छात्रों को कोई शिक्षा/कोचिंग नहीं दी जा सकी।

शासन ने (जनवरी 2025) परस्पर संवादात्मक कक्षाओं के लिए शिक्षकों का पैनल न बनाए जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

2.3.5.4 "स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र" परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण में कमी

मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) ने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी सोसायटी (आईसेक्ट), भोपाल के साथ एक अनुबंध (जून 2022) किया। अनुबंध के अनुसार, प्रशिक्षण के दो पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने थे, जिनमें एक वर्ष में 'डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर' पाठ्यक्रम के आठ बैच आयोजित करके 240 प्रशिक्षुओं को और 'एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिशिंग' पाठ्यक्रम के दो बैच आयोजित करके

[61] अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, श्योपुर एवं उमरिया।

60 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त, आईसेक्ट को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट प्रदान करना था।

हमने पाया कि सितंबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान केवल 'डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर' पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था एवं इस पाठ्यक्रम के तहत पांच प्रशिक्षण केंद्रों में 1052 प्रशिक्षुओं (1920[62] प्रशिक्षुओं के विरुद्ध) को प्रशिक्षित किया गया था, जबकि एसोसिएट डेस्क टॉप पब्लिशिंग पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, जिससे इन पांच केंद्रों में 300 छात्र प्रशिक्षण से वंचित रह गए।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.3.5.5 पी.वी.टी.जी. छात्रावासों का निर्माण एवं उपयोग

भारत सरकार ने पांच जिलों में चार वरिष्ठ आदिवासी बालिका छात्रावास भवनों एवं 16 वरिष्ठ आदिवासी बालक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 44 करोड़ स्वीकृत कर (फरवरी 2019) जारी (सितंबर 2019 और जनवरी 2021) किए। पी.आई.यू., पी.डब्ल्यू.डी. तथा मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (एम.पी.एच.आई.डी.बी.) को क्रमशः 19 और एक छात्रावास के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया।

यह पाया गया कि जारी की गई राशि में से, सी.टी.ए.डी., भोपाल ने इन क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 33.33 करोड़ (दिसंबर 2020 एवं नवंबर 2021 के मध्य) एवं पांच जिलों के संभागीय परियोजना अभियंता (डी.पी.ई.), पी.आई.यू., पी.डब्ल्यू.डी. को ₹ 7.31 करोड़ उनके चाइल्ड खातों के लिए एस.एन.ए. से निकासी की अधिकतम सीमा तय करके (नवंबर 2022) हस्तांतरित किए।

इस प्रकार, सी.टी.ए.डी. ने इन कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद से क्रियान्वयन एजेंसियों के निर्धारण में 13 से 26 माह का समय लिया, तथा 15 माह बाद पुनः पी.आई.यू. को राशि जारी की, जिसके कारण इन छात्रावासों के निर्माण में विलंब हुआ, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि एस.एन.ए. के लागू होने के बाद, विभागों के चाइल्ड खाते खोले गए एवं एस.एन.ए. में राशि हस्तांतरित की गई, जिसके कारण विलंब हुआ। प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं कोविड-19 की दो लहरों के कारण विलंब हुआ।

कोविड-19 महामारी के कारण हुआ विलंब आंशिक रूप से स्वीकार्य है, परन्तु प्रशासनिक प्रक्रियाओं और एस.एन.ए. के माध्यम से वित्त पोषण के कार्यान्वयन से संबंधित विलंब नियंत्रणीय था।

[62] आठ जिलों में से प्रत्येक में 240 प्रशिक्षु (240x8)।

2.3.5.5 (i) पी.वी.टी.जी. छात्रावासों के निर्माण में विलंब

सी.टी.ए.डी. ने चयनित छः जिलों में से तीन में 13 छात्रावासों (लागत राशि ₹ 27.42 करोड़) की स्वीकृति दी। तथापि, 13 में से पाँच छात्रावासों (विवरण ***परिशिष्ट-2.3.4*** में दिए गए हैं) का निर्माण पूरा (जनवरी 2024 तक) नहीं हुआ था। क्रियान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध कराने में विलंब, ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में देरी एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण छः माह से 40 माह तक का विलंब हुआ।

पी.आई.यू., अनूपपुर तथा छिंदवाड़ा ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024) कि भूमि विवाद, बजट की कमी तथा कोविड-19 के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी का बड़ा हिस्सा नियंत्रणीय था।

2.3.5.5 (ii) छात्रावासों में क्षमता से अधिक अधिभोग

वरिष्ठ आदिवासी बालक छात्रावास, छिंदवाड़ा (50 सीटर) के अभिलेखों/सूचनाओं की जांच तथा भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सत्र 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान छात्रावास में कक्षा 6 से 9 तक की क्रमशः 204 एवं 276 छात्राएं रह रही थीं। इस प्रकार, बालिकाओं के लिए बालक छात्रावास का उपयोग तथा स्वीकृत संख्या (50 सीटर) के विरुद्ध तीन से चार गुना अधिक छात्राओं को रखना अनियमित था।

ए.सी.टी.ए.डी., छिंदवाड़ा ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि यह तत्कालीन कलेक्टर के आदेश पर किया गया था, जिसमें छात्राओं को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कन्या परिसर में नवनिर्मित छात्रावास में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया था। शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि छात्रावास की क्षमता से तीन से चार गुना अधिक छात्रों को रखना छात्रों के लिए कष्टकारी होता है।

2.3.5.6 क्रियान्वयन एजेंसियों को सोलर गीजर के लिए राशि जारी करने में विलंब

भारत सरकार ने 'सभी आवासीय संस्थानों, आश्रम विद्यालयों एवं छात्रावासों में सोलर गीजर की स्थापना' परियोजना के लिए ₹26 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2019) किए।

यह पाया गया कि सी.टी.ए.डी. ने ₹26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी (जून 2019) की तथा 14 पी.वी.टी.जी. बहुल जिलों के 378 आश्रम विद्यालयों/छात्रावासों के अभिभावक-शिक्षक संघ (पी.टी.ए.) के बैंक खातों में सोलर गीजर स्थापित करने हेतु ₹9.82 करोड़ हस्तांतरित करने

अनुमोदन प्रदान (मई 2021) किया। आगे, सी.टी.ए.डी., भोपाल ने राज्य के आठ जिलों[63] के 594 छात्रावासों/आश्रमों में ₹16.16 करोड़ की लागत से सोलर गीजर स्थापित करने हेतु संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों/ए.सी.टी.ए.डी. को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त (मई 2022 और दिसंबर 2022) किया।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति (फरवरी 2019) के पश्चात क्रियान्वयन एजेंसी (पी.टी.ए. एवं कलेक्टर्स/ए.सी.टी.ए.डी.) के चयन एवं निधि के हस्तांतरण में सी.टी.ए.डी. को दो वर्ष लग गए।

सी.टी.ए.डी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि उपर्युक्त विलंब क्रियान्वयन एजेंसी के चयन में किए गए परिवर्तनों और कोविड-19 की लहर के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो वर्ष के विलंब को उचित ठहराने के लिए बताए गए कारण तर्कसंगत नहीं थे। शासन ने कंडिका का उत्तर नहीं दिया।

2.3.5.6 (i) सोलर गीजरों की स्थापना न करना

चयनित जिलों में इस परियोजना से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया (जनवरी 2024) कि ₹14.11 करोड़ की लागत वाले 518 सोलर गीजर की स्थापना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित आश्रम विद्यालयों/छात्रावासों के पी.टी.ए. एवं कलेक्टर/ए.सी.टी.ए.डी. थे। तथापि, हमने पाया कि पी.टी.ए. एवं कलेक्टर/ए.सी.टी.ए.डी. ने 518 सोलर गीजर में से 167[64] की खरीद नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप पी.टी.ए. को राशि हस्तांतरित होने के 33 माह एवं कलेक्टर/ए.सी.टी.ए.डी. को राशि हस्तांतरित होने के 14 से 21 माह बीत जाने के बाद भी, क्रय समिति का गठन न होने एवं निविदा आमंत्रित न होने तथा निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने से, सोलर गीजर की स्थापना नहीं हो (फरवरी 2024 तक) पाई। संबंधित आश्रम विद्यालयों/छात्रावासों के पी.टी.ए. तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर/ए.सी.टी.ए.डी. द्वारा सोलर गीजर की स्थापना की स्थिति का विस्तृत विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट-2.3.5*** एवं ***परिशिष्ट-2.3.6*** में दिया गया है।

इस प्रकार, सोलर गीजर की स्थापना न होने से आश्रम विद्यालयों/छात्रावासों में रहने वाले पी.वी.टी.जी. छात्रों को सर्दियों के मौसम में गर्म पानी की सुविधा से वंचित होना पड़ा।

शासन ने इस आपत्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया।

---

[63] अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ग्वालियर, मंडला, शहडोल एवं शिवपुरी।

[64] ए.सी.टी.ए.डी., डिंडोरी ने 12 सोलर गीजर की जानकारी नहीं दी।

2.3.5.7 आंगनवाडी केंद्रों के निर्माण में विलंब होना

भारत सरकार ने 160 आंगनवाड़ी भवन-सह-बाल शिक्षा केंद्रों के निर्माण हेतु ₹45.22 करोड़ स्वीकृत किए (नवंबर 2021) तथा ₹28.89 करोड़ जारी (दिसंबर 2021) किए। सी.टी.ए.डी. ने आंगनवाड़ी भवन-सह-बाल शिक्षा केंद्रों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी (मई 2022) की। आंगनवाड़ी, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हमने पाया कि चयनित पांच जिलों (शिवपुरी को छोड़कर) में पी.वी.टी.जी. निधि से ₹26.28 करोड़ की लागत से 93 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। पी.डब्ल्यू.डी. संभागों के पी.आई.यू. को अक्टूबर 2022 एवं फरवरी 2023 के मध्य कार्य प्रदाय किया गया था, जिनकी पूर्णता की निर्धारित तिथियां मार्च 2023 तथा दिसम्बर 2023 के मध्य थी। तथापि, फरवरी 2024 तक, 93 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 20 का निर्माण कार्य पूरा हो गया था एवं 56 का निर्माण कार्य कार्य की धीमी प्रगति तथा भूमि आवंटन में विलंब के कारण निर्माणाधीन था। शेष 17 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण अन्य आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता तथा भूमि आवंटन न होने के फलस्वरूप स्थान परिवर्तन के कारण प्रारंभ नहीं किया गया था। इन निर्माणों का कार्यवार विवरण ***परिशिष्ट-2.3.7*** में दिया गया है। राशि जारी होने के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी 93 में से 73 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण न होना विभाग के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है तथा इस प्रकार हितग्राही पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से भी वंचित रह गए।

शासन ने कंडिका का कोई उत्तर नहीं दिया।

2.3.5.8 पी.वी.टी.जी. के लिए सांस्कृतिक केंद्रों के निर्माण में विलंब

भारत सरकार ने "सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण (पी.वी.टी.जी.)" परियोजना के अंतर्गत चार सांस्कृतिक केंद्रों के निर्माण के लिए ₹26.95[65] करोड़ स्वीकृत (2016-17 में) किए तथा इन सांस्कृतिक केंद्रों के लिए 2017-18 के साथ-साथ 2018-19 के लिए ₹8.49 करोड़ आवर्ती व्यय को अनुमोदित किया।

सी.टी.ए.डी. ने संस्कृति संचालनालय, भोपाल को तीन सांस्कृतिक केंद्रों[66] के निर्माण के लिए ₹26.19 करोड़[67] प्रदान (सितंबर 2017, जनवरी 2018 एवं अप्रैल 2018) किए। संस्कृति संचालनालय, भोपाल ने तीन वर्षों से अधिक समय तक निधि को निष्क्रिय रखने के बाद

---

[65] तीन केन्द्रों (डिंडोरी, श्योपुर एवं छिंदवाड़ा) के लिए ₹17.70 करोड़ एवं भोपाल केन्द्र (50 प्रतिशत) के लिए ₹9.25 करोड़।

[66] डिंडोरी, श्योपुर एवं छिंदवाड़ा

[67] जनवरी 2018 में ₹17.70 करोड़ एवं अप्रैल 2018 में ₹8.49 करोड़

एस.एन.ए. में ₹25.78 करोड़ जमा (2022-23) किए। तथापि, संस्कृति निदेशालय द्वारा शेष ₹41.04 लाख (कारण नहीं बताया गया) एवं इस राशि पर अर्जित ब्याज की राशि एस.एन.ए. में जमा नहीं की (अगस्त 2024 तक) गई।

आगे हमने पाया कि सी.टी.ए.डी. ने बिना यह बताए कि राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई थी एवं शेष राशि को एस.एन.ए. में जमा न करने के कारण क्या थे, संस्कृति संचालनालय को पी.वी.टी.जी. योजना निधि से ₹4.90 करोड़ प्रदान (अगस्त 2018) किए।

आगे, सी.टी.ए.डी. ने सांस्कृतिक केंद्र, भोपाल की आवर्ती लागत के लिए वन्या प्रकाशन को ₹8.49 करोड़ प्रदान (सितंबर 2019) किए। वन्या प्रकाशन ने 28 माह बाद यह राशि एस.एन.ए. में जमा (फरवरी 2022) की । तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस राशि पर अर्जित ब्याज की राशि एस.एन.ए. में जमा नहीं की।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि छिंदवाड़ा जिले को छोड़कर, जहां पर सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अब तक केवल सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी के चयन का कार्य ही पूरा हुआ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने केन्द्रों के निर्माण में सात वर्षों के विलम्ब तथा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा एस.एन.ए. में शेष राशि/ अर्जित ब्याज जमा न करने के कारण नहीं बताए हैं।

2.3.5.9 गैर-चिन्हित क्षेत्रों में की गई गतिविधियाँ

जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश (मई 2000) के अनुसार, पी.वी.टी.जी. के लिए आवंटित राशि का उपयोग केवल पी.वी.टी.जी. चिन्हित क्षेत्रों में ही किया जाएगा।

चयनित जिलों में, अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि पी.वी.टी.जी. निधि का उपयोग गैर-चिह्नित क्षेत्रों में किया गया था। ऐसी परियोजनाओं का विवरण, जिनका उल्लेख प्रतिवेदन की पिछली कंडिकाओं में नहीं किया गया है, **तालिका-2.3.3** में दिया गया है।

तालिका-2.3.3: गैर-चिन्हित क्षेत्रों में क्रियान्वित परियोजनाओं का विवरण

स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	सिंगल फेज विद्युत पंप आधारित नल जल योजना	मुख्य अभियंता, पी.एच.ई., भोपाल ने 19[68] गैर-चिह्नित गांवों में परियोजना का क्रियान्वयन किया
2.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	सी.टी.ए.डी. ने गैर-चिन्हित पी.वी.टी.जी. गांवों में ₹37.30 करोड़ की लागत से 132 आंगनवाड़ी केंद्रों (160 में से) को स्वीकृति (मई 2022) दी।

[68] भरियाढाना, भौरियापानी, कर्रापानी (छिंदवाड़ा), कांकरा, पालमपुर, नाहर का सहराना, इंद्र आवास कॉलोनी, रामनगर, डुवेरा, धोरेना, डांगपुरा (श्योपुर) और रामपुर, करणपुरा, जमुनिहा, उर्दना, कुड़िया, खेरवा, जमुड़ी, बुढ़ना, नरवर (उमरिया)।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि ज़िलों के अन्य स्थानों पर फैले हुए पी.वी.टी.जी. को लाभ प्रदान किया गया। आगे, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव के आधार पर 2021-22 में आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई। टी.आर.डी.आई. ने 2004-05 में सर्वेक्षण किया तथा इस बीच नए टोले एवं मजरे (छोटे आवास) स्थापित किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार की योजना के दिशानिर्देशों में छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए टोले/आवासों में पृथक, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पी.वी.टी.जी. को शामिल करने एवं पी.वी.टी.जी. क्षेत्रों में संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन ने निर्धारित सर्वेक्षण न करके, सी.सी.डी. योजना तैयार न करके एवं पी.वी.टी.जी. विकास एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल न करके निर्धारित योजना दिशानिर्देशों और संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से विचलन को उचित ठहराया है।

2.3.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सी.सी.डी. योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण भारत सरकार के अधिकारियों, राज्य शासन के अधिकारियों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त की जाने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की जानी थी।

2.3.6.1 कार्यकारी समिति की बैठकों की कमी

दिशानिर्देशों के अनुसार, योजनाओं/ परियोजनाओं का मंत्रालय द्वारा विभिन्न अनुश्रवण तंत्रों के माध्यम से निरंतर आधार पर अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित था, जैसे कि राज्य जनजातीय विभाग (नोडल) द्वारा तिमाही आधार पर कार्यकारी समिति[69] (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) द्वारा प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करना, राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट इत्यादि। परिप्रेक्ष्य दस्तावेज एवं योजना का मूल्यांकन तथा अनुमोदन, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं योजना के क्रियान्वयन का वार्षिक मूल्यांकन कार्यकारी समिति के प्रमुख कार्य थे।

हमने पाया कि कार्यकारी समिति (ई.सी.) ने तिमाही आधार पर वार्षिक योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित नहीं की, क्योंकि अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान आवश्यक 20 बैठकों के स्थान पर केवल नौ ई.सी. बैठकें आयोजित की गईं।

आगे, प्रमुख सचिव, टी.ए.डी. एवं आयुक्त, टी.ए.डी. ने पाँच वर्ष की अवधि के दौरान सी.सी.डी. योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ 12 बैठकें[70]

---

[69] कार्यकारी समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष, संबंधित विभागों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव एवं जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टी.आर.आई.) के निदेशक को सदस्य तथा नोडल विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

[70] 2, 1, 2, 2, एवं 5 बैठकें क्रमशः वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान।

कीं। आगे, सी.टी.ए.डी. ने इस अवधि के दौरान वार्षिक योजना के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए राज्य शासन के अधिकारियों के फील्ड विजिट सुनिश्चित नहीं किए।

शासन ने कहा (जनवरी 2025) कि कार्यकारी समिति की बैठकों के आयोजन के लिए कोई समय-सारिणी निर्धारित नहीं थी एवं बैठकें भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गईं। शासन ने आगे कहा कि क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें समय-समय पर शासकीय स्तर पर तथा सी.टी.ए.डी. स्तर पर भी आयोजित की गईं। यह भी कहा गया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से किए गए कार्यों का अनुश्रवण समय-समय पर क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों/जिला अधिकारियों द्वारा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी.ए.डी. ने वार्षिक योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए ई.सी. की त्रैमासिक बैठकें सुनिश्चित न करके पी.वी.टी.जी. योजना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

2.3.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

आधारभूत सर्वेक्षणों एवं सी.सी.डी. योजनाओं के अभाव में पी.वी.टी.जी. के विकास योजना के योजना-निर्माण एवं क्रियान्वयन में कमी थी। अवधि 2018-23 के दौरान राज्य स्तरीय प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय पी.वी.टी.जी. विकास एजेंसियां कार्यशील नहीं थीं, इस प्रकार पी.वी.टी.जी. अपने विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के योजना-निर्माण एवं क्रियान्वयन में भाग नहीं ले सके। क्रियान्वयन एजेंसियों को विलंब से निधि जारी करने, वास्तविक व्यय की पुष्टि किए बिना भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा पी.ए.सी. के अनुमोदन के बिना पूर्व अवधि से संबंधित निधियों से व्यय करने के कारण योजना के लिए धन प्रवाह प्रभावित हुआ। क्रियान्वयन एजेंसी/सी.एल.एफ. के बैंक खातों में अव्ययित अवरुद्ध निधि एवं भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एस.एन.ए. में अव्ययित निधि जमा न करने के कारण योजना के क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे, नियमों का उल्लंघन करके क्रय के प्रकरणों एवं परियोजनाओं के निष्पादन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी की नियुक्ति में विलंब के प्रकरण भी सामने आए। शासन द्वारा कार्यकारी समिति बैठकों में कमी एवं योजना का कमजोर अनुश्रवण किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि शासन यह सुनिश्चित करे:

i. *क्रियान्वयन एजेंसियों को समय पर राशि जारी करना, तंत्र को मजबूत करने, साथ ही वास्तविक व्यय के आधार पर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना। (कंडिका संख्या 2.3.3 के संदर्भ में)*

ii. *पी.वी.टी.जी. निधियों के अनियमित/अनधिकृत व्यय, व्यपवर्तन एवं अवरोधन के लिए जिम्मेदारी तय करना। (कंडिका संख्या 2.3.4.2 (i), 2.3.4.4 (ii) एवं 2.3.5.1 (i) के संदर्भ में)*

iii. *आधारभूत सर्वेक्षण के माध्यम से आवश्यकता के आँकलन के बाद सी.सी.डी. योजनाओं की तैयारी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना में परिवर्तनों का अनुमोदन करना। (कंडिका संख्या 2.3.2 के संदर्भ में)*

iv. *विकास गतिविधियों में पी.वी.टी.जी. की सक्रिय भागीदारी एवं बैठकों तथा फील्ड विजिट के माध्यम से भारत सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना। (कंडिका संख्या 2.3.2.2 एवं 2.3.6 के संदर्भ में)*

शासन ने अनुशंसाएं स्वीकार की एवं सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ग्वालियर **(सिद्धार्थ बोन्दाडे)**

दिनांक: 19 जनवरी 2026 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),**

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 22 जनवरी 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.1.1, पृष्ठ संख्या 10)

राज्य के चयनित नमूनों के विवरण को दर्शाता विवरण पत्रक

क्र. सं	जिला	खंड	संकुल का नाम	स्कूल का नाम
1	अशोकनगर	चंदेरी	प्रधानाचार्य, बालक एच.एस.एस., चंदेरी	जी.एच.एस. सोटर (6 से 10)
2				जी.एम.एस. जामाखेड़ी (1 से 8)
3				जी.पी.एस. चक महोली
4			बी.ई.ओ., चंदेरी	जी.पी.एस. डाबिया
5				जी.एम.एस. लालोइटंका (1 से 8)
6				जी.एच.एस. प्रानपुर (1 से 10)
7		मुगावली	बी.ई.ओ., मुंगावली	जी.पी.एस. ओझरपुर
8				जी.एम.एस. मडीबुजुर्ग (1 से 8)
9				जी.एच.एस. अचलगढ़
10			प्रधानाचार्य, एच.एस.एस. मल्हारगढ़	जी.पी.एस. हरिजन चक भैन्सोखुर्द
11				जी.एम.एस. लपतोरा (1 से 8)
12				जी.एच.एस. बिल्हेरू
13	भोपाल	बेरसिया	प्रधानाचार्य, शासकीय एच.एस.एस. (बालक), बेरसिया	शासकीय एच.एस.एस. बालक, बेरसिया (6 से 12)
14			प्रधानाचार्य, सरोजिनी नायडू शासकीय एच.एस.एस. (बालिका), बेरसिया	शासकीय पी.एस. खुजा खेडी (1 से 5)
15				शासकीय एम.एस. गरेठिया खालसा (1 से 8)
16				शासकीय एच.एस. इमलिया नरेन्द्र (1 से 10)
17		फांदा ग्रामीण	प्रधानाचार्य, शासकीय एच.एस.एस., ईंटखेडी, भोपाल	शासकीय पी.एस. परवलिया सानी (1 से 5)
18				शासकीय एम.एस. अरवालिया (1 से 8)
19				शासकीय एच.एस. रायपुर (6 से 10)
20			प्रधानाचार्य, शासकीय एच.एस. (बालिका), गांधी नगर, भोपाल	शासकीय एच.एस. बरखेड़ा बोंदर (1 से 10)

क्र. सं	जिला	खंड	संकुल का नाम	स्कूल का नाम
21	इंदौर	इंदौर नगरीय	प्रधानाचार्य शासकीय नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल सं. 3, इंदौर	जी पी एस सामू भवन गडारिया (1 से 5)
22				जी एम एस हरिजन कॉलोनी राज मोहल्ला (1 से 8)
23				जी एच एस संगम नगर (1 से 10)
24			इंदौर प्रधानाचार्य शासकीय एच.एस.एस., रजत जयंती गाड़ी अड्डा इंदौर	जी.एच.एस.एस. रजत जयंती गड़ी अड्डा (1 से 12)
25		सांवेर	प्रधानाचार्य एच एस एस चंद्रवतीगंज	जी.पी.एस. खामोद खंदन
26				जी.एम.एस. थीराखेड़ी
27				शासकीय एच.एस. मगरखेड़ी
28			प्रधानाचार्य, एच एस एस धरमपुरी सांवेर	जी.पी.एस. इमलीखेड़ा
29				जी.एम.एस. रेवती
30				शासकीय एच.एस. बरोली
31	रतलाम	आलोट	प्रधानाचार्य बी.एच.एस.एस. आलोट	यू.ई.जी.एस. रेलवे स्टेशन लूनी
32				एम.एस. बापचा
33				शासकीय एच.एस. विक्रमनगर
34			प्रधानाचार्य शासकीय एच.एस. खरावाकला	जी.पी.एस. शेरपुर बुजुर्ग
35				जी.एम.एस. निपनिया लीला
36				शासकीय एच.एस. थंब गुराडिया
37		रतलाम	प्रधानाचार्य शासकीय एम.एच.एस.एस. सं.1 रतलाम	यू.ई.जी.एस. भगोरापड़ा
38				एम.एस. बदलीपडा
39				शासकीय एच.एस. कुआझागर
40			प्रधानाचार्य एच.एस.एस. बंगरोद	पी.एस. सिंगाखेड़ी
41				एम.एस. धमोत्तर
42				शासकीय एच.एस. धमोत्तर
43	सतना	राम नगर	प्रधानाचार्य जी.एच.एस.एस. रामनगर	जी.पी.एस. गुरजन्हा (1 से 5)
44				जी.एम.एस. दिगिया खुर्द (1 से 8)

क्र. सं	जिला	खंड	संकुल का नाम	स्कूल का नाम
45				जी.एच.एस. गोविंदपुर (1 से 10)
46			रामनगर - प्रधानाचार्य जी.एच.एस. कनद्वारी	जी.पी.एस. बकुरा (1 से 5)
47				जी.एम.एस. दोगरहा (1 से 8)
48		सतना (सोहावल)	सोहावल - प्रधानाचार्य जी.एच.एस.एस. सोहावल	जी.पी.एस. भटगवां (1 से 5)
49				जी.एम.एस. शेरगंज (1 से 8)
50				जी.एच.एस. इटवा (1 से 10)
51			सोहावल - प्रधानाचार्य जी.एच.एस.एस. (संस्कृत) सोहावल	जी.एच.एस.एस. संस्कृत सोहावल (6 से 12)
52	शहडोल	बेओहारी	बी.ई.ओ. जयसिंह नगर	जी.पी.एस. अडी तेंदुहा (1 से 5)
53			प्रधानाचार्य शासकीय एच.एस.एस.बालिका बेओहारी	जी.पी.एस. डोंगरीहान टोला, देवरी (1 से 5)
54				जी.एम.एस. भमराहा II (1 से 8)
55				जी.एच.एस. भन्नी (1 से 10)
56		सोहागपुर	प्रधानाचार्य, शासकीय एच.एस.एस. एम.एल.बी. बालिका शहडोल	जी.पी.एस. ए.जे.के. पुरानी बस्ती (1 से 5)
57				जी.एम.एस. वार्ड सं. 4 (6 से 8)
58				जी.एच.एस. चुनिया सिंदूरी (9 से 10)
59			प्रधानाचार्य, शासकीय एच.एस.एस. बालक धनपुरी	जी.एच.एस.एस. बालक धनपुरी (9 से 12)
60	श्योपुर	श्योपुर	प्रधानाचार्य हजारेश्वर एच.एस.एस. श्योपुर	जी.पी.एस. पिल्लिया का टपरा
61				एन.एम.एस. विद्यालय रामबाड़ी
62				जी.एच.एस. बरोदाराम
63			प्रधानाचार्य बालक एच.एस.एस. श्योपुर	शासकीय एम.एस. सं. 1 श्योपुर
64		विजयपुर	प्रधानाचार्य बालक एच.एस.एस. विजयपुर	एन.पी.एस. कुण्डीपुरा
65				एन.एम.एस. खितरपाल
66				शासकीय एच.एस. आगरा
67			प्रधानाचार्य एच.एस.एस. ऊछापुरा	सैटेलाइट विद्यालय कोटका ओछापुरा
68				एन.एम.एस. खड़ी क्र. 2

क्र. सं	जिला	खंड	संकुल का नाम	स्कूल का नाम
69	टीकमगढ़	जतारा	प्रधानाचार्य एच.एस.एस. मोहनगढ़	जी.पी.एस. जीरा (1 से 5)
70				ई.पी.ई.एस.जी. एम.एस. दरगाय खुर्द (1 से 8)
71				ई.पी.ई.एस. जी.एच.एस. मालपीठा (1 से 10)
72			प्रधानाचार्य शासकीय एच.एस. वारेवर	जी.पी.एस. किटाखेडा (कक्षा 1 से 5)
73				ई.पी.ई.एस. जी.एम.एस. चन्द्रपुरा (1 से 8)
74				ई.पी.ई.एस.जी.एच.एस. हरपुरा (1 से 10)
75		टीकमगढ़	प्रधानाचार्य मल्टी. एच.एस.एस. टीकमगढ़	जी.एच.एस.एस. मॉडल विद्यालय टीकमगढ़ (6 से 12)
76			प्रधानाचार्य एच.एस.एस. बड़ागाँव टीकमगढ़	जी.पी.एस. मैरोन डुंडा टोरा (यूईजीएस) (1 से 5)
77				ई.पी.ई.एस. जी.एम.एस. बीरनगर (1 से 8)
78				ई.पी.ई.एस. जी.एच.एस. दरगवा (6 से 10)
79	बैतूल	भीमपुर	प्रधानाचार्य शासकीय एच.एस. प्रभुधना	सैटेलाइट विद्यालय खज्जुदाना
80				एम.एस. बेहदादाना (1 से 8)
81				ई.पी.ई.एस. शासकीय एच.एस. जमन्या (6 से 10)
82			बी.ई.ओ.(टी.डब्ल्यू.) भीमपुर	पी.एस. बालक आश्रम अंग्रेजी एम. भीमपुर
83		शाहपुर	बीजादेही	जी.पी.एस. रतनदाना
84				प्राइमरी के साथ मिडिल स्कूल (1 से 8)
85			शाहपुर	जी.पी.एस.(यू) जीलेरी
86				जी.एम.एस. देशावाडी
87				शासकीय एच.एस. सिलपटी (1 से 10)
88	मंडला	निवास	एच.एस.एस. ई.एक्स.सी. निवास	पी.एस. (ई.जी.एस.) भरद्वारा
89				एम.एस. भीकमपुर ई.पी.ई.एस. (1 से 8)
90				शासकीय एच.एस. बम्हनी निवास ई.पी.ई.एस. (6 से 10)
91			एच.एस.एस. हाथीतारा	पी.एस. (ई.जी.एस.) हरिसिंगोरी

क्र. सं	जिला	खंड	संकुल का नाम	स्कूल का नाम
92				एम.एस. गुंडलई
93		मवाई	एच.एस.एस. घुटस	पी.एस. (ई.जी.एस.) बाबा टोला (परसाटोला)
94				एम.एस. बीजा
95				शासकीय एच.एस. सहजपुरी ई.पी.ई.एस. (1 से 10)
96			एच.एस. दरहीभानपुर	पी एस मैनपुरी
97				एन.एम.एस. भार्खी (09 से10) ई.पी.ई.एस. (1 से 8)
98				शासकीय एच.एस. सकवाह

चयन हेतु मानक

चयन विवरण	चयन का आधार
दस जिले	राज्य के प्रत्येक संभाग से एक जिला
खंड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ)	प्रत्येक चयनित जिले में दो विकासखंड (कुल 20 खंड)
खंड संसाधन समन्वयक (बी.आर.सी)	प्रत्येक चयनित जिले में दो विकासखंड (कुल 20 खंड)
संकुल [71] (प्रत्येक खंड से एक)	नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर (एक सबसे अधिक एवं एक सबसे कम नामांकित छात्रों की संख्या वाला)
सेकेंडरी स्कूल	चयनित संकुल में से एक सेकेंडरी स्कूल जिसमें अधिकतम संख्या में छात्र नामांकित हों
मिडिल स्कूल	चयनित संकुल से छात्रों की औसत[72] संख्या वाला एक मिडल स्कूल
प्राइमरी स्कूल	चयनित संकुल से न्यूनतम छात्रों वाला एक प्राइमरी स्कूल

[71] संकुल का तात्पर्य स्कूलों के समूह से है, जिनकी शैक्षणिक प्रगति एक ही स्कूल संकुल प्रधानाचार्य पर निर्भर करती है।

[72] सबसे कम एवं सबसे अधिक के बीच छात्रों की संख्या।

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.2.2, पृष्ठ संख्या 16)

स्वीकृत संख्या के विरुद्ध पदस्थ स्टाफ

जिला	स्कूल श्रेणी	शहरी स्कूलों की संख्या	स्वीकृत (शहरी)	पदस्थ (शहरी)	कमी प्रतिशत में	ग्रामीण स्कूल की संख्या	स्वीकृत (ग्रामीण)	पदस्थ (ग्रामीण)	कमी प्रतिशत में
अशोकनगर	प्राइमरी स्कूल	16	45	52	-15.56	787	1819	1618	11.05
	मिडिल स्कूल	10	141	159	-12.77	338	1970	1158	41.22
	हाई स्कूल	1	8	6	25	67	645	297	53.95
	हायर सेकेंडरी स्कूल	10	328	194	40.85	21	524	200	61.83
बैतूल	प्राइमरी स्कूल	27	57	70	-22.81	445	979	1069	-9.19
	मिडिल स्कूल	9	39	59	-51.28	292	1452	1227	15.5
	हाई स्कूल	4	44	62	-40.91	62	584	464	20.55
	हायर सेकेंडरी स्कूल	12	363	368	-1.38	61	1279	781	38.94
भोपाल	प्राइमरी स्कूल	71	210	266	-26.67	383	877	881	-0.46
	मिडिल स्कूल	60	473	591	-24.95	206	1171	976	16.65
	हाई स्कूल	19	274	333	-21.53	40	397	312	21.41
	हायर सेकेंडरी स्कूल	50	1698	1675	1.35	21	508	354	30.31
इंदौर	प्राइमरी स्कूल	108	316	330	-4.43	438	972	999	-2.78
	मिडिल स्कूल	110	777	886	-14.03	330	1839	1635	11.09

जिला	स्कूल श्रेणी	शहरी स्कूलों की संख्या	स्वीकृत (शहरी)	पदस्थ (शहरी)	कमी प्रतिशत में	ग्रामीण स्कूल की संख्या	स्वीकृत (ग्रामीण)	पदस्थ (ग्रामीण)	कमी प्रतिशत में
	हाई स्कूल	12	173	188	-8.67	56	564	479	15.07
	हायर सेकेंडरी स्कूल	57	1642	1578	3.9	37	821	601	26.8
मंडला	मिडिल स्कूल	1	0	3	0	1	0	1	0
	हायर सेकेंडरी स्कूल	3	64	28	56.25	5	104	34	67.31
रतलाम	प्राइमरी स्कूल	55	137	153	-11.68	677	1580	1568	0.76
	मिडिल स्कूल	30	176	198	-12.5	292	1426	979	31.35
	हाई स्कूल	5	58	37	36.21	70	650	420	35.38
	हायर सेकेंडरी स्कूल	19	476	362	23.95	51	1022	444	56.56
सतना	प्राइमरी स्कूल	126	273	300	-9.89	1736	3724	3247	12.81
	मिडिल स्कूल	39	281	265	5.69	657	3746	2568	31.45
	हाई स्कूल	10	140	199	-42.14	135	1448	871	39.85
	हायर सेकेंडरी स्कूल	33	1197	965	19.38	122	3137	1614	48.55
शहडोल	प्राइमरी स्कूल	13	27	24	11.11	233	500	474	5.2
	मिडिल स्कूल	9	45	42	6.67	68	422	249	41
	हाई स्कूल	0	0	0	0	17	193	119	38.34
	हायर सेकेंडरी स्कूल	3	116	78	32.76	18	462	212	54.11
श्योपुर	प्राइमरी स्कूल	13	52	48	7.69	479	1365	1187	13.04
	मिडिल स्कूल	8	78	102	-30.77	174	1120	585	47.77

जिला	स्कूल श्रेणी	शहरी स्कूलों की संख्या	स्वीकृत (शहरी)	पदस्थ (शहरी)	कमी प्रतिशत में	ग्रामीण स्कूल की संख्या	स्वीकृत (ग्रामीण)	पदस्थ (ग्रामीण)	कमी प्रतिशत में
	हाई स्कूल	0	0	0	0	28	271	168	38.01
	हायर सेकेंडरी स्कूल	7	228	210	7.89	20	424	166	60.85
टीकमगढ़	प्राइमरी स्कूल	38	137	138	-0.73	863	2385	2009	15.77
	मिडिल स्कूल	17	164	192	-17.07	333	2436	1318	45.89
	हाई स्कूल	2	26	52	-100	89	975	502	48.51
	हायर सेकेंडरी स्कूल	21	706	376	46.74	39	1125	408	63.73
योग		**1,028**	**10,969**	**10,589**	**3.46**	**9,691**	**44,916**	**32,194**	**28.32**

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.2.2, पृष्ठ संख्या 17)

सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत पर शिक्षकों की कमी का प्रभाव

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
1	2018-19	अशोकनगर	मुंगावली	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. मल्हारगढ़	120	96 [80%]	24 [20%]	11	5	5	10	1 [9%]	2018-19 की अवधि के दौरान 11 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध पांच नियमित एवं पांच अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे। हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी का पद 2013 से रिक्त था तथा राजनीति विज्ञान 2018 से रिक्त था।
2	2019-20	अशोकनगर	मुंगावली	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. मल्हारगढ़	84	60 [72%]	24 [28%]	13	4	7	11	2 [15%]	वर्ष के दौरान 13 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध चार नियमित शिक्षक एवं सात अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे।
3	2021-22	अशोकनगर	मुंगावली	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. मल्हारगढ़	76	62 [81%]	14 [19%]	11	3	6	9	2 [18%]	वर्ष के दौरान 11 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध तीन नियमित एवं छ: अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे।
4	2022-23	अशोकनगर	मुंगावली	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. मल्हारगढ़	157	14 [9%]	143 [91%]	12	4	6	10	2 [17%]	वर्ष के दौरान 12 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध चार नियमित एवं छ: अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे। 2013 से गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विषय के लिए, 2018 से अंग्रेजी, एवं 2021 से अर्थशास्त्र के लिए कोई नियमित शिक्षक तैनात नहीं

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
														था। वर्ष के दौरान कोई भौतिकी शिक्षक तैनात नहीं था।
5	2018-19	अशोकनगर	चंदेरी	12वीं	शासकीय एक्सीलेंस एच.एस.एस. चंदेरी	216	168 [78%]	48 [22%]	26	11	3	14	12 [46%]	सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं वाणिज्य विषय के लिए दो-दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक तैनात नहीं किया गया था। हमने यह भी पाया कि एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध भौतिकी विषय के लिए दो नियमित शिक्षकों को तैनात किया गया था।
6	2019-20	अशोकनगर	चंदेरी	12वीं	शासकीय एक्सीलेंस एच.एस.एस. चंदेरी	316	196 [62%]	120 [38%]	26	10	9	19	7 [27%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, इतिहास विषय के लिए एक अतिथि शिक्षक पदस्थ किया गया था, जबकि इस विषय के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत विषय के लिए दो-दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। हमने यह भी पाया कि एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध भौतिकी विषय के लिए दो नियमित शिक्षकों को पदस्थ किया गया था।
7	2021-22	अशोकनगर	चंदेरी	12वीं	शासकीय एक्सीलेंस	294	168 [57%]	126 [43%]	26	10	10	20	6 [23%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, इतिहास विषय के लिए दो अतिथि शिक्षक

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
					एच.एस.एस. चंदेरी									पदस्थ किए गए थे, जबकि इस विषय के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय के लिए दो-दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। हमने यह भी पाया कि एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध भौतिकी विषय के लिए दो नियमित शिक्षकों को पदस्थ किया गया था।
8	2022-23	अशोकनगर	चंदेरी	12वीं	शासकीय एक्सीलेंस एच.एस.एस. चंदेरी	362	156 [43%]	206 [57%]	26	10	9	19	7 [27%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, 26 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 19 शिक्षक कार्य कर रहे थे। हालांकि, हमने पाया कि अंग्रेजी एवं जीव विज्ञान के लिए 4 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध, क्रमशः दो एवं तीन शिक्षक कार्य कर रहे थे। एक स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अर्थशास्त्र विषय के लिए कोई शिक्षक तैनात नहीं किया गया था एवं इतिहास विषय के लिए दो शिक्षकों को तैनात किया गया था लेकिन कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया था । दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध सामाजिक विज्ञान के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
9	2021-22	अशोकनगर	चंदेरी	10वीं	शासकीय एच.एस. प्राणपुर	136	26 [19%]	110 [81%]	16	10	0	10	6 [38%]	2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान 16 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध क्रमशः दस एवं 11 नियमित शिक्षक कार्य कर रहे थे।
10	2022-23	अशोकनगर	चंदेरी	10वीं	शासकीय एच.एस. प्राणपुर	143	118 [83%]	25 [18%]	16	11	0	11	5 [31%]	
11	2019-20	बैतूल	भीमपुर	10वीं	शासकीय एच.एस. जमन्या	73	18 [25%]	55 [75%]	6	0	5	5	1 [17%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध किसी भी अंग्रेजी विषय शिक्षक को पदस्थ नहीं पाया गया था
12	2022-23	बैतूल	भीमपुर	10वीं	शासकीय एच.एस. जमन्या	49	12 [24%]	37 [76%]	6	0	5	5	1 [17%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई हिंदी विषय शिक्षक पदस्थ नहीं पाया गया ।
13	2019-20	बैतूल	शाहपुर	12वीं	शासकीय बालिका एच एस.एस. शाहपुर	289	153 [53%]	136 [47%]	11	7	3	10	1 [9%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध भूगोल विषय के लिए किसी भी शिक्षक को पदस्थ नहीं किया गया है।
14	2018-19	बैतूल	शाहपुर	10वीं	शासकीय एच.एस. सिलपटी	67	35 [52%]	32 [48%]	6	0	5	5	1 [17%]	वर्ष 2018-19 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई अंग्रेजी विषय शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया है।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
15	2019-20	बैतूल	शाहपुर	10वीं	शासकीय एच.एस. सिलपटी	44	14 [32%]	30 [68%]	6	0	5	5	1 [17%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया है।
16	2022-23	बैतूल	शाहपुर	10वीं	शासकीय एच.एस. सिलपटी	34	22 [65%]	12 [35%]	6	1	4	5	1 [17%]	गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय प्रत्येक के लिए एक स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया है।
17	2018-19	भोपाल	बेरसिया	12वीं	शासकीय बालक एच.एस.एस. बेरसिया	95	63 [66%]	32 [34%]	16	5	6	11	5 [31%]	वर्ष 2018-19 के दौरान विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए दो-दो अतिथि शिक्षक तैनात किए गए जबकि उन विषयों में कोई रिक्ति नहीं थी ।
18	2019-20	भोपाल	बेरसिया	12वीं	शासकीय बालक एच.एस.एस. बेरसिया	109	69 [63%]	40 [37%]	16	4	9	13	3 [19%]	2019-20 के दौरान, 16 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 4 नियमित शिक्षक एवं 9 अतिथि शिक्षक तैनात किए गए थे।
19	2021-22	भोपाल	बेरसिया	12वीं	शासकीय बालक एच.एस.एस. बेरसिया	127	94 [74%]	33 [26%]	16	6	2	8	8 [50%]	अंग्रेजी, संस्कृत एवं गणित के लिए कोई शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था।
20	2019-20	भोपाल	फांदा ग्रामीण	12वीं	शासकीय महात्मा गाँधी	55	42 [76%]	13 [24%]	17	13	3	16	1 [6%]	दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक पदस्थ किया गया है।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
					एच.एस.एस. गाँधी नगर									
21	2021-22	भोपाल	फांदा ग्रामीण	12वीं	शासकीय महात्मा गाँधी एच.एस.एस. गाँधी नगर	46	25 [54%]	21 [46%]	18	15	2	17	1 [6%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध राजनीति विज्ञान विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था ।
22	2018-19	भोपाल	फांदा ग्रामीण	10वीं	शासकीय एच.एस. बरखेड़ा बोंदर	41	24 [59%]	17 [41%]	6	3	2	5	1 [17%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध विज्ञान विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
23	2022-23	भोपाल	फांदा ग्रामीण	10वीं	शासकीय एच.एस. बरखेड़ा बोंदर	46	17 [37%]	29 [63%]	6	4	1	5	1 [17%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध गणित विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था ।
24	2018-19	इंदौर	सांवेर	10वीं	शासकीय एच.एस. मगरखेड़ी	28	22 [79%]	6 [21%]	6	4	1	5	1 [17%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। 2008 से पद रिक्त है ।
25	2021-22	इंदौर	सांवेर	10वीं	शासकीय एच.एस. मगरखेड़ी	37	20 [54%]	17 [46%]	6	3	2	5	1 [17%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। 2008 से पद रिक्त है ।
26	2022-23	इंदौर	सांवेर	10वीं	शासकीय एच.एस. मगरखेड़ी	36	29 [81%]	7 [19%]	6	2	3	5	1 [17%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध हिंदी विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
														किया गया था। 2022 से पद रिक्त है।
27	2022-23	इंदौर	सांवेर	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. धरमपुरी	92	49 [53%]	43 [47%]	16	9	4	13	3 [19%]	एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अर्थशास्त्र विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। 2021 से पद रिक्त है।
28	2018-19	इंदौर	इंदौर शहरी	12वीं	शासकीय रजत जयंती जी.एच.एस. विद्यालय	19	16 [84%]	3 [16%]	11	0	8	8	3 [27%]	संस्कृत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था
29	2021-22	इंदौर	इंदौर शहरी	12वीं	शासकीय रजत जयंती जी.एच.एस. विद्यालय	29	26 [89%]	3 [11%]	11	5	1	6	5 [45%]	वर्ष के दौरान पांच यू एम एस एवं एक अतिथि शिक्षक 11 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्यरत थे।
30	2022-23	इंदौर	इंदौर शहरी	12वीं	शासकीय रजत जयंती जी.एच.एस. विद्यालय	47	22 [47%]	25 [53%]	11	7	0	7	4 [36%]	वर्ष के दौरान सात यू. एम. एस. शिक्षक 11 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्यरत थे।
31	2019-20	मंडला	मवाई	10वीं	शासकीय एच.एस. सकवाह	46	35 [76%]	11 [24%]	6	0	5	5	1 [17%]	अवधि 2019-20 के दौरान पांच अतिथि शिक्षक छः की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्यरत थे। विज्ञान विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
32	2018-19	मंडला	निवास	12वीं	शासकीय एक्सीलेंस एच.एस.एस. निवास	105	86 [82%]	19 [18%]	12	7	4	11	1 [8%]	अवधि 2018-19 के दौरान सात नियमित शिक्षक एवं चार अतिथि शिक्षक 12 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे।
33	2019-20	मंडला	निवास	12वीं	शासकीय एक्सीलेंस एच.एस.एस. निवास	129	104 [81%]	25 [19%]	12	7	3	10	2 [17%]	अवधि 2018-19 के दौरान सात नियमित शिक्षक एवं तीन अतिथि शिक्षक 12 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे।.
34	2019-20	मंडला	निवास	10वीं	शासकीय एच.एस. बम्हनी	61	22 [36%]	39 [64%]	6	0	5	5	1 [17%]	अवधि 2019-20 के दौरान पांच अतिथि शिक्षक छः की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। संस्कृत विषय के लिए कोई शिक्षक तैनात नहीं किया गया था।
35	2018-19	रतलाम	रतलाम	10वीं	शासकीय एच.एस. खौजाघर	60	49 [82%]	11 [18%]	10	7	2	9	1 [10%]	वर्ष 2018-19 के दौरान सात नियमित एवं दो अतिथि शिक्षक दस की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी विषय में, 2016-17 से एक पद रिक्त रहा।
36	2019-20	रतलाम	रतलाम	10वीं	शासकीय एच.एस. खौजाघर	37	33 [89%]	4 [11%]	10	7	2	9	1 [10%]	वर्ष 2019-20 के दौरान सात नियमित एवं दो अतिथि शिक्षक दस की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी विषय में, 2016-17 से एक पद रिक्त रहा।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
37	2021-22	रतलाम	रतलाम	10वीं	शासकीय एच.एस. खौजाघर	72	49 [68%]	23 [32%]	10	8	0	8	2 [20%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, आठ नियमित शिक्षक 10 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। रिक्त पदों के विरुद्ध कोई अतिथि शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था। दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी विषय में, 2016-17 से एक पद रिक्त रहा।
38	2022-23	रतलाम	रतलाम	10वीं	शासकीय एच.एस. खौजाघर	36	14 [39%]	22 [61%]	10	8	0	8	2 [20%]	वर्ष 2022-23 के दौरान आठ नियमित शिक्षक 10 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। रिक्त पदों के विरुद्ध कोई अतिथि शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था। दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी विषय में, 2016-17 से एक पद रिक्त रहा।
39	2022-23	रतलाम	रतलाम	12वीं	प्रधानाचार्य शासकीय एम.एच.एस. एस. सं. 1 रतलाम	61	23 [38%]	38 [62%]	14	11	2	13	1 [7%]	वर्ष 2022-23 के दौरान गणित विषय में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक अतिथि शिक्षक पदस्थ किया गया था।
40	2018-19	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एकीकृत हाई स्कूल, विक्रमगढ़	52	38 [73%]	14 [27%]	12	5	6	11	1 [8%]	वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्कृत विषय में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक नियमित शिक्षक पदस्थ किया गया था।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
41	2019-20	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एकीकृत हाई स्कूल, विक्रमगढ़	60	29 [48%]	31 [52%]	12	6	4	10	2 [17%]	वर्ष 2019-20 के दौरान सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत विषय प्रत्येक में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक नियमित शिक्षक पदस्थ किया गया था।
42	2021-22	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एकीकृत हाई स्कूल, विक्रमगढ़	75	31 [41%]	44 [59%]	12	7	4	11	1 [8%]	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्कृत विषय में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक नियमित शिक्षक पदस्थ किया गया था।
43	2022-23	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एकीकृत हाई स्कूल विद्यालय, विक्रमगढ़	43	34 [79%]	9 [21%]	12	6	5	11	1 [8%]	वर्ष 2022-23 के दौरान संस्कृत विषय में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक अतिथि शिक्षक पदस्थ किया गया था।.
44	2019-20	रतलाम	आलोट	12वीं	प्रधानाचार्य शासकीय, एच.एस. खरावाकला	195	70 [36%]	125 [64%]	18	4	9	13	5 [28%]	वर्ष 2019-20 के दौरान राजनीति विज्ञान और भौतिकी में किसी शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गई थी। अंग्रेजी में तीन की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक अतिथि शिक्षक पदस्थ किया गया था।
45	2021-22	रतलाम	आलोट	12वीं	प्रधानाचार्य शासकीय, एच.एस.खरा वाकला	150	117 [78%]	33 [22%]	19	5	6	11	8 [42%]	वर्ष 2021-22 के दौरान अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान विषयों में किसी शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गई थी। हिंदी में तीन की स्वीकृत

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
														संख्या के विरुद्ध एक अतिथि शिक्षक पदस्थ किया गया था।
46	2022-23	रतलाम	आलोट	12वीं	प्रधानाचार्य शासकीय, एच.एस. खरावाकला	119	61 [51%]	58 [49%]	19	5	8	13	6 [32%]	वर्ष 2022-23 के दौरान इतिहास एवं राजनीति विज्ञान विषयों में किसी शिक्षक की पदस्थापना नहीं की गई थी। हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों में प्रत्येक तीन की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल एक अतिथि शिक्षक पदस्थ किये गये थे। भौतिकी विषय में दो शिक्षकों को एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध पदस्थ किया गया था।
47	2019-20	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एच.एस. थांब गुराडिया	34	25 [74%]	9 [26%]	12	2	4	6	6 [50%]	वर्ष 2019-20 के दौरान अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। हिंदी एवं संस्कृत विषयों में प्रत्येक दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल एक शिक्षक पदस्थ किया गया था।
48	2021-22	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एच. एस. थांब गुराडिया	38	22 [58%]	16 [42%]	12	3	3	6	6 [50%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में प्रत्येक दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
49	2022-23	रतलाम	आलोट	10वीं	शासकीय एच. एस. थांब गुराडिया	50	31 [62%]	19 [38%]	7	2	3	5	2 [29%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक अंग्रेजी विषय में पदस्थ नहीं था।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
50	2022-23	सतना	रामनगर	12वीं	जी.एच.एस.एस., रामनगर	36	8 [22%]	28 [78%]	23	16	3	19	4 [17%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, हिंदी, अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र विषयों में कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। वाणिज्य में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक शिक्षक पदस्थ किया गया था।
51	2019-20	सतना	सोहावल	12वीं	जी.एच.एस.एस., संस्कृत	5	1 [20%]	4 [80%]	8	4	0	4	4 [50%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में एक एवं दो क्रमशः की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
52	2021-22	सतना	सोहावल	12वीं	जी.एच.एस.एस. संस्कृत	5	3 [60%]	2 [40%]	8	4	0	4	4 [50%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में एक एवं दो क्रमशः की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
53	2022-23	सतना	सोहावल	12वीं	जी.एच.एस.एस. संस्कृत	6	0 [0%]	6 [100%]	10	4	0	4	6 [60%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में प्रत्येक की एक स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। एक शिक्षक को संस्कृत में तीन की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध पदस्थ किया गया था।
54	2019-20	सतना	सोहावल	10वीं	जी.एच.एस. इटवा	64	36 [56%]	28 [44%]	7	3	2	5	2 [29%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, कोई भी शिक्षक अंग्रेजी विषय में पदस्थ नहीं

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
														था। गणित विषय में दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल एक शिक्षक पदस्थ किया गया था।
55	2019-20	श्योपुर	श्योपुर	12वीं	प्रधानाचार्य बालक एच.एस.एस. श्योपुर	567	509 [90%]	58 [10%]	38	27	1	28	10 [26%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, कोई भी शिक्षक वाणिज्य विषय में पदस्थ नहीं था। अंग्रेजी विषय में छः की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 2 शिक्षक पदस्थ किए गए थे।
56	2022-23	श्योपुर	श्योपुर	12वीं	प्रधानाचार्य बालक एच.एस.एस. श्योपुर	431	381 [88%]	50 [12%]	43	30	1	31	12 [28%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, भूगोल विषय में कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। अंग्रेजी विषय में छह की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 2 शिक्षक पदस्थ किए गए थे।
57	2018-19	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	प्रधानाचार्य बालक एच.एस.एस. विजयपुर	74	45 [61%]	29 [39%]	22	9	6	15	7 [32%]	वर्ष 2018-19 के दौरान, किसी भी शिक्षक को अंग्रेजी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों में क्रमशः दो, एक एवं एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध पदस्थ नहीं किया गया था।
58	2019-20	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	प्रधानाचार्य बालक एच.एस.एस. विजयपुर	53	25 [47%]	28 [53%]	22	9	4	13	9 [41%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, कोई भी शिक्षक अंग्रेजी एवं जीव विज्ञान विषयों में पदस्थ नहीं था। हमने यह भी देखा कि गणित विषय में चार की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक शिक्षक पदस्थ किया गया था।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
59	2021-22	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	प्रधानाचार्य बालक एच. एस.एस. विजयपुर	69	34 [50%]	35 [50%]	22	13	3	16	6 [27%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, जीव विज्ञान विषय में कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। हमने यह भी देखा कि गणित विषय में चार की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक शिक्षक पदस्थ किया गया था।
60	2022-23	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	प्रधानाचार्य बालक एच. एस.एस. विजयपुर	51	17 [34%]	34 [66%]	22	11	2	13	9 [41%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, हिंदी एवं जीव विज्ञान विषय में कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। हमने यह भी देखा कि गणित विषय में चार की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक शिक्षक पदस्थ किया गया था।
61	2018-19	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	शासकीय एच. एस.एस. ओछापुरा	25	16 [64%]	9 [36%]	13	0	6	6	7 [54%]	वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्ष के दौरान कोई नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था, केवल अतिथि शिक्षक ही कार्य कर रहे थे। अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान विषयों में प्रत्येक में एक स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं था।
62	2019-20	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. ओछापुरा	8	7 [88%]	1 [13%]	15	0	10	10	5 [33%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, वर्ष के दौरान कोई नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था, केवल अतिथि शिक्षक

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
														ही कार्य कर रहे थे। भौतिकी, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों में प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं था।
63	2021-22	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. ओछापुरा	14	7 [50%]	7 [50%]	15	5	6	11	4 [27%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों में प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
64	2022-23	श्योपुर	विजयपुर	12वीं	शासकीय एच.एस.एस. ओछापुरा	18	15 [83%]	3 [17%]	15	2	7	9	6 [40%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, भौतिकी, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों में प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
65	2021-22	टीकमगढ़	जतारा	10वीं	ई.पी.ई.एस. जी.एच.एस. हरपुरा	78	20 [26%]	58 [74%]	6	2	3	5	1 [17%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अंग्रेजी विषय के लिए कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
66	2022-23	टीकमगढ़	जतारा	10वीं	ई.पी.ई.एस. जी. एच.एस. हरपुरा	57	20 [35%]	37 [65%]	6	2	2	4	2 [33%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, अंग्रेजी एवं संस्कृत विषयों के लिए प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
67	2018-19	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य एच.एस.एस. बड़ागांव टीकमगढ़	239	180 [75%]	59 [25%]	20	4	0	4	16 [80%]	वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रत्येक की स्वीकृत संख्या चार के विरुद्ध हिंदी (2018 से) एवं अंग्रेजी (2015 से) विषयों के लिए कोई नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था। इसके अलावा संस्कृत (2018 से), गणित (2010 से), भौतिकी (2016 से), रसायन विज्ञान (2008 से) एवं वाणिज्य (2018 से) विषयों के लिए प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
68	2019-20	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य एच.एस.एस, बड़ागांव टीकमगढ़	239	169 [71%]	70 [29%]	20	4	6	10	10 [50%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्कृत (2018 से) एवं भौतिकी (2016 से) विषयों के लिए प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
69	2021-22	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य एच.एस.एस, बड़ागांव टीकमगढ़	313	178 [57%]	135 [43%]	20	7	8	15	5 [25%]	वर्ष 2021-22 के दौरान, एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध किसी भी शिक्षक को भौतिकी (2016 से) के लिए पदस्थ नहीं किया गया था।
70	2022-23	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य एच एस एस,	251	140 [56%]	111 [44%]	20	5	9	14	6 [30%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, संस्कृत, भौतिकी, जीव विज्ञान के लिए प्रत्येक एक की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई

क्र. सं	वर्ष	जिला	खंड	कक्षा	स्कूल का नाम	बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र	उतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	अनुतीर्ण छात्रों की संख्या (प्रतिशत)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	कार्यरत शिक्षक			शिक्षकों की कमी (प्रतिशत)	टिप्पणी/कारण
										नियमित	अतिथि	योग		
					बड़ागांव टीकमगढ़									शिक्षक पदस्थ नहीं था एवं अर्थशास्त्र विषय के लिए दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
71	2018-19	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य जी एच.एस.एस. मॉडल, टीकमगढ़	80	64 [80%]	16 [20%]	14	12	0	12	2 [14%]	वर्ष 2018-19 के दौरान, दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध वाणिज्य विषय के लिए 2018 से कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
72	2019-20	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य जी एच.एस.एस. मॉडल, टीकमगढ़	94	76 [81%]	18 [19%]	14	12	0	12	2 [14%]	वर्ष 2019-20 के दौरान, दो की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध वाणिज्य विषय के लिए 2018 से कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।
73	2022-23	टीकमगढ़	टीकमगढ़	12वीं	प्रधानाचार्य जी.एच.एस.एस. मॉडल, टीकमगढ़	86	58 [67%]	28 [33%]	11	7	3	10	1 [9%]	वर्ष 2022-23 के दौरान, स्वीकृत संख्या के विरुद्ध अर्थशास्त्र के लिए 2020 से कोई शिक्षक पदस्थ नहीं किया गया था।

परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.3.1, पृष्ठ संख्या 24)

प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना

क्र. सं	अवधि	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत में कमी
1	2018-19	प्रधानाध्यापक नेतृत्व पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	14,400	7,000	51.39
2	2018-19	दक्षता उन्नयन कक्षा 1एवं 2 कक्षा 3 से 5 एवं 6 से 8	1,85,131	1,35,861	26.61
3	2019-20	डी.आर.जी. प्रशिक्षण पी.एस.	778	633	18.64
4	2019-20	सी.ए.सी. प्रशिक्षण एम.एस.	6,098	5,048	17.22
5	2020-21	सी.ए.सी. प्रशिक्षण	6,098	5,048	17.22
6	2021-22	सी.ए.सी. प्रशिक्षण	6,098	5,048	17.22
7	2022-23	सी.ए.सी. प्रशिक्षण	6,098	5,048	17.22
8	2022-23	एफ.एल.एन. रिफ्रेशर प्रशिक्षण	85,440	70,889	17.03
9	2019-20	बी.ए.सी. प्रशिक्षण एम.एस.	1,890	1,575	16.67
10	2020-21	बी.ए.सी. प्रशिक्षण	1,890	1,575	16.67
11	2021-22	बी.ए.सी. प्रशिक्षण	1,890	1,575	16.67
12	2022-23	बी.ए.सी. प्रशिक्षण	1,890	1,575	16.67
13	2019-20	बी.ए.सी. प्रशिक्षण बी.ए.सी.	1,316	1,097	16.64
14	2022-23	एफ एल एन 4.0 ई सी सी ई मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	6,965	6,000	13.85
15	2019-20	डी.आर.जी. प्रशिक्षण एम.एस.	778	672	13.62
16	2019-20	सी.ए.सी. प्रशिक्षण पी.एस.	5,138	4,522	11.99
17	2019-20	क्षमता निर्माण सी.ए.सी. प्रशिक्षण	5,138	4,522	11.99
18	2019-20	दक्षता उन्नयन पी.एस.	1,40,770	1,28,642	8.62
19	2019-20	क्षमता निर्माण कक्षा 1 एवं 2 शिक्षक प्रशिक्षण	1,40,770	1,28,642	8.62
20	2018-19	एम.आर.सी. प्रशिक्षण एम.आर.सी. बहु श्रेणी	315	290	7.94
21	2018-19	एस.एम.सी. प्रशिक्षण डी.आर.जी प्रशिक्षण	306	283	7.52
22	2018-19	एस.एम.सी. प्रशिक्षण एस.आर.जी. प्रशिक्षण	30	28	6.67
23	2022-23	एफ.एल.एन. पर सी.एम. राइज विद्यालय प्रशिक्षण	120	115	4.17
24	2021-22	एन.आई.एस.टी.एच.ऐ. एफ.एल.एन. 3.0 प्रशिक्षण	1,77,265	1,70,000	4.1
25	2018-19	एस.एम.सी. सदस्य प्रशिक्षण	19,00,000	18,25,000	3.95
26	2019-20	ए.पी.सी. (आई.ई.डी.) एवं एम. आर. सी.	364	350	3.85
27	2020-21	ए.पी.सी. (आई.ई.डी.) एवं एम. आर. सी.	364	350	3.85

क्र. सं	अवधि	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत में कमी
28	2021-22	ए.पी.सी.(आई.ई.डी.) एवं एम.आर.सी.	364	350	3.85
29	2019-20	एन.आई.एस.टी.एच.ऐ. के आर पी/एस आर. पी. प्रशिक्षण	510	497	2.55
30	2020-21	एन.आई.एस.टी.एच.ऐ. कक्षा 1 से 8 एन.सी.ई.आर.टी के अंतर्गत सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण	2,65,430	2,60,000	2.05
31	2018-19	क्षमता निर्माण सभी ए.पी.सी.अकादमिक	50	49	2
32	2019-20	एस. एम. सी. प्रशिक्षण डी.आर.जी. प्रशिक्षण	255	250	1.96
33	2019-20	क्षमता निर्माण बी.ए.सी. प्रशिक्षण	306	300	1.96
34	2022-23	एफ.एल.एन मिशन अंकुर	80,000	78,706	1.62
35	2019-20	दक्षता उन्नयन कक्षा 1 एवं 2 डी.आर.जी.	250	248	0.8
36	2019-20	दक्षता उन्नयन एम.एस.	67,117	66,663	0.68
37	2019-20	एस एम सी प्रशिक्षण सभी नवनियुक्त एस.एम.सी.सदस्य (प्रति विद्यालय 6)	89,662	89,600	0.07
38	2019-20	दक्षता उन्नयन कक्षा 1 एवं 2 एम.टी.	3,162	3,160	0.06
(स्रोतः आर. एस. के. द्वारा प्रदाय जानकारी)					

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.4.2, पृष्ठ संख्या 29)

अन्य विभागों से सम्बद्ध कर्मचारियों के भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं	नाम एवं पदनाम श्री	मूल कार्यालय	सम्बद्धता की तिथि	कार्यालय जिससे सम्बद्ध किया गया	संबद्धता की अवधि	भुगतान किये गए वेतन एवं भत्ते
1	विनोद कुमार पंत, एजी -2	बी.ई.ओ मुंगावली, अशोकनगर	09.01.2018	कलेक्टर, अशोकनगर	05 वर्ष	25,27,580
2	संतोष राजोरिया, ए जी-2	-तदैव-	12.10.2018	कलेक्टर, अशोकनगर	05 वर्ष	19,57,610
3	राकेश शर्मा, भृत्य	-तदैव-	20.10.2012	जिला पेंशन अधिकारी, अशोकनगर	11 वर्ष	18,20,633
4	मोरारी लाल सोनी लेखापाल	-तदैव-	06.01.2018	तहसील कार्यालय, मुंगावली, अशोकनगर	05 वर्ष	30,83,919
5	खालिक अंसारी, कनिष्ठ लेखापरीक्षक	-तदैव-	06.01.2018	तहसील कार्यालय, मुंगावली, अशोकनगर	05 वर्ष	24,99,100
6	सुरेश बाबू श्रीवास्तव , लेखापाल	-तदैव-	06.01.2018	तहसील कार्यालय, मुंगावली, अशोकनगर	05 वर्ष	33,51,646
7	पवन कश्यप, शिक्षक	बी.ई.ओ चंदेरी, अशोकनगर	10.06.2021	तहसील कार्यालय, चंदेरी, अशोकनगर	02 वर्ष	14,05,973
8	ओमप्रकाश तिवारी, यू डी सी	-तदैव-	कार्यालय आदेश उपलब्ध नहीं	तहसील कार्यालय, चंदेरी, अशोकनगर	06 वर्ष	36,59,962
9	जन्देल सिंह बुंदेला, भृत्य	-तदैव-	कार्यालय आदेश उपलब्ध नहीं	तहसील कार्यालय, चंदेरी, अशोकनगर	05 वर्ष	19,40,050
10	हनुमान तिवारी, भृत्य	डी.आई.ई. टी., शहडोल	19.08.2008	जिला पंचायत, शहडोल	15 वर्ष	22,63,592
11	गुलाब प्रसाद वर्मा , सहायक ग्रे.-III	डी.ई.ओ, शहडोल	कार्यालय आदेश उपलब्ध नहीं	कलेक्टरेट, शहडोल	15 वर्ष	30,15,781

क्र. सं	नाम एवं पदनाम श्री	मूल कार्यालय	सम्बद्धता की तिथि	कार्यालय जिससे सम्बद्ध किया गया	संबद्धता की अवधि	भुगतान किये गए वेतन एवं भत्ते
12	विजय भान, भृत्य	-तदैव-	कार्यालय आदेश उपलब्ध नहीं	जिला पंचायत, शहडोल	20 वर्ष	22,31,092
13	ब्रिजेश धनेलिया	बी.ई.ओ, श्योपुर	04.04.2018	कलेक्टरेट	05 वर्ष	17,15,609
14	भोपाल सिंह रानावत, भृत्य	डी.आई.ई.टी, रतलाम	17.07.2020	तहसील कार्यालय, पिपलोड़ा	साढ़े 03 वर्ष	12,45,340
योग						**3,27,17,887**

परिशिष्ट-2.1.6

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.5.2, पृष्ठ संख्या 31)

स्कूलों के निरीक्षण में कमी

जिला	कार्यालय का नाम	लक्ष्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
			निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी
अशोकनगर	डी.ई.ओ.	348	2	99.43	2	99.43	1	99.71	2	99.43	2	99.43
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	संकुल	360	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
बैतूल	डी.ई.ओ.	348	101	70.98	112	67.82	0	100.00	63	81.90	128	63.22
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	2	99.87	6	99.60	13	99.13
	संकुल	360	1	99.72	8	97.78	0	100.00	5	98.61	12	96.67
भोपाल	डी.ई.ओ.	348	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	98	71.84
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	संकुल	360	2	99.44	5	98.61	1	99.72	0	100.00	2	99.44
इंदौर	डी.ई.ओ.	348	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	संकुल	360	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	1	99.72
मंडला	डी.ई.ओ.	348	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	बी.ई.ओ.	1,488	48	96.77	91	93.88	0	100.00	50	96.64	111	92.54
	संकुल	360	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
रतलाम	डी.ई.ओ.	348	0	100.00	0	100.00	0	100.00	4	98.85	3	99.14
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	53	96.44	30	97.98	100	93.28	71	95.23
	संकुल	360	21	94.17	27	92.50	4	98.89	16	95.56	4	98.89

जिला	कार्यालय का नाम	लक्ष्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
			निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी	निरीक्षण	प्रतिशत में कमी
सतना	डी.ई.ओ.	348	28	91.95	58	83.33	22	93.68	18	94.83	13	96.26
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	संकुल	360	0	100.00	6	98.33	3	99.17	9	97.50	1	99.72
शहडोल	डी.ई.ओ.	348	322	7.47	441	-26.72	455	-30.75	484	-39.08	504	-44.83
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	32	97.85	2	99.87	79	94.69
	संकुल	360	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
श्योपुर	डी.ई.ओ.	348	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	संकुल	360	54	85.00	52	85.56	28	92.22	49	86.39	70	80.56
टीकमगढ़	डी.ई.ओ.	348	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	44	87.36
	बी.ई.ओ.	1,488	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
	संकुल	360	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00

(स्रोत: चयनित जिलों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.7

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.1.5.3 (ii), पृष्ठ संख्या 33)

शिक्षकों का अनियमित स्थानांतरण एवं पदस्थापना

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	बैतूल	5645/24.8.2019	श्रीमती रंजना मौखेकड़े	बालक अंग्रेजी आश्रम, भीमपुर	प्राइमरी स्कूल (पी.एस.) सिपलई, खंड चिचोली	रोस्टर क्र. सं. 122 के अनुसार, शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
2	बैतूल	5645/24.8.2019	श्रीमती नीतू भूमकर	अंग्रेजी आश्रम, घोडाडोंगरी	पी.एस. घोडाडोंगरी, खंड घोडाडोंगरी	रोस्टर क्र. सं के अनुसार, नामांकित छात्रों की संख्या 24 थी, तीन स्वीकृत पदों में से दो पहले ही भरे जा चुके थे।
3	बैतूल	5645/24.8.2019	श्री दिलीप कुमार कदुकर, सहायक अध्यापक (ए.टी.)	मिडिल स्कूल, रंभा, भीमपुर	प्राइमरीस्कूल चोपान, खंड भैंसदेही	रोस्टर क्र.सं. 79 के अनुसार, ब्लॉक भैंसदेही में, नामांकित छात्रों की संख्या 70 थी। एक स्वीकृत पद के विरुद्ध, दो शिक्षक पहले से ही पदस्थ थे।
4	बैतूल	5645/24.8.2019	श्री इन्द्राज देशमुख, पी.टी.	प्राइमरी स्कूल देंदुपुरा, खंड शाहपुर	बालिका पी एस भायावाड़ी, खंड शाहपुर	रोस्टर क्र.सं. 8 के अनुसार, खंड शाहपुर में, नामांकित छात्रों की संख्या 63 थी, शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
5	बैतूल	5645/24.8.2019	श्रीमती सुशीला पनसे, पी.टी.	प्राइमरी स्कूल संवलमेधा, खंड भैंसदेही	मिडिल स्कूल केरपानी, खंड भैंसदेही	रोस्टर क्र. सं. 49 के अनुसार, ब्लॉक भैंसदेही में, नामांकित छात्र 107 थे एवं शिक्षकों के तीन स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
6	बैतूल	5645/24.8.2019	श्री प्रमोद चौधरी, पी.टी.	प्राइमरी स्कूल बेलकुंड, खंड, अथनेर	पी एस मेंधाधाना, खंड अथनेर	रोस्टर क्र.सं. 53 के अनुसार, खंड अथनेर, नामांकित छात्र 73 थे एवं शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
7	बैतूल	5645/24.8.2019	श्री रामदास अमृते, पी.टी.	प्राइमरी स्कूल मानी, खंड अथनेर	मिडिल स्कूल धनोरा, खंड अथनेर	रोस्टर क्र.सं. 55 के अनुसार, खंड अथनेर, नामांकित छात्र 73 थे एवं शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
8	बैतूल	5645/24.8.2019	श्री कैलाश सिरसाम, पी.टी.	प्राइमरीस्कूल खिरकियाधाना, खंड भीमपुर	पी.एस. मोहदाधाना, खंड भीमपुर	रोस्टर क्र.सं. 115 के अनुसार, खंड भीमपुर, नामांकित छात्र 63 थे एवं शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
9	बैतूल	5645/24.8.2019	श्रीमती अनीता जोशी, पी.टी.	प्राइमरीस्कूल चिचोलिधाना, भैंसदेही	पी.एस. कोंडीधाना, खंड भैंसदेही	रोस्टर क्र. सं. 05 के अनुसार, खंड भैंसदेही, नामांकित छात्र 66 थे एवं शिक्षक के एक स्वीकृत पदों के विरुद्ध, दो पहले ही भरे जा चुके थे।
10	बैतूल	5645/24.8.2019	श्रीमती राजकुमारी परतेती, पी.टी.	मिडिल स्कूल लखीपुर, खंड घोडाडोंगरी	पी.एस. रातामती , खंड घोडाडोंगरी	रोस्टर क्र.सं. 171 के अनुसार, खंड घोडाडोंगरी, नामांकित छात्र 24 थे एवं शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
11	बैतूल	5645/24.8.2019	श्रीमती सोमती कसदे, पी.टी.	मिडिल स्कूल जाखली, खंड घोडाडोंगरी	पी.एस. बोथिया, खंड भैंसदेही	रोस्टर क्र. सं. 125 के अनुसार , खंड घोडाडोंगरी, नामांकित छात्र 121 थे एवं तीन स्वीकृत पदों के विरुद्ध दो शिक्षक पहले से ही कार्य कर रहे थे।
12	बैतूल	5631/24.8.2019	श्रीमती अंजना टेकम, पी.टी.	मिडिल स्कूल रजोला, खंड अथनेर	मिडिल स्कूल कुप्पा, खंड घोडाडोंगरी	रोस्टर क्र.सं. 119 के अनुसार , खंड घोडाडोंगरी, नामांकित छात्र 111 थे एवं तीन स्वीकृत पदों के विरुद्ध चार शिक्षक पहले से ही कार्य कर रहे थे।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
13	बैतूल	5631/24.8.2019	श्रीमती अलकेश नामदेव	हाई स्कूल, कुप्पा, खंड शाहपुर	बालक एम एस, खंड अथनेर	रोस्टर क्र.सं. 41 के अनुसार, खंड अथनेर, नामांकित छात्र 345 थे एवं शिक्षकों के दस स्वीकृत पदों के विरुद्ध पहले ही भरे जा चुके थे।
14	बैतूल	5633/24.8.2019	श्री वस्तीराम धुर्वे, पी.टी.	प्राइमरी स्कूल मोखमल, खंड शाहपुर	पी.एस. कान्हेगाँव, खंड शाहपुर	रोस्टर क्र. सं. 95 के अनुसार, खंड शाहपुर, नामांकित छात्र 152 थे एवं शिक्षकों के पांच स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
15	बैतूल	5633/24.8.2019	श्रीमती अंजुरानी बाला सरकार, पी टी	मिडिल स्कूल नई सलैया, खंड घोडाडोंगरी	पी.एस. कोरियाउमरी, खंड घोडाडोंगरी	रोस्टर क्र.सं. 209 के अनुसार, खंड घोडाडोंगरी, नामांकित छात्र 61 थे एवं शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
16	बैतूल	5633/24.8.2019	श्रीमती कविता वर्दे, पी.टी.	मिडिल स्कूल यू ई जी एस गुल्लार्धाना, खंड घोडाडोंगरी	पी.एस. शीतलझिरी, खंड घोडाडोंगरी	रोस्टर क्र.सं. 117 के अनुसार, खंड घोडाडोंगरी, नामांकित छात्र 124 थे एवं शिक्षकों के चार स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
17	बैतूल	5633/24.8.2019	श्री मनेश देशमुख, पी.टी.	यू.ई.जी.एस.बरेथधाना, खंड भीमपुर	पी.एस. जमखोदर, खंड घोडाडोंगरी	रोस्टर क्र.सं. 184 के अनुसार, खंड घोडाडोंगरी, नामांकित छात्र 50 थे एवं शिक्षकों के दो स्वीकृत पद पहले ही भरे जा चुके थे।
18	मंडला	7227/8.8.2019	बसंती भारतीय,	पी.एस. छिछारी, बिछिया	पी.एस. आई.टी.आई. अमानाला, मंडला	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 क्रम संख्या 120 के अनुसार, नामांकित छात्रों की संख्या 44, निरंक रिक्त पद एवं तीन पद पहले ही भरे जा चुके थे।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
19	मंडला	7227/8.8.2019	प्रमोद कुमार दुबे, प्राथमिक शिक्षक	एन.पी.एस. मुकद्दम टोला, भुद्कुर, घुघरी	पी.एस. खुडिया, मंडला	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 25, नामांकित छात्रों की संख्या 40, निरंक रिक्त पद और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
20	मंडला	7227/8.8.2019	श्रद्धा झा, प्राथमिक शिक्षक	जी.पी.एस. लिमरुआ, मंडला	पी.एस. गौंझी, मंडला	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 240 के अनुसार, नामांकित छात्रों की संख्या 52, निरंक रिक्त पद थी और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
21	मंडला	7251/8.8.2019	बसंत कुमार धुर्वे, प्राथमिक शिक्षक	यू.ई.जी.एस.तलब टोला (नाकावल) बिछिया	यू.ई.जी.एस.उपर टोला, मंडला	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 80, नामांकित छात्रों की संख्या 46, निरंक रिक्त पद और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
22	मंडला	7251/8.8.2019	तुलसी राम झरिया, प्राथमिक शिक्षक	यू.ई.जी.एस. उपर टोला, मंडला	यू.ई.जी.एस.तलब टोला (नाकावल) बिछिया	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 81, नामांकित छात्रों की संख्या 11, निरंक रिक्त पद थी और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
23	मंडला	7233/8.8.2019	सतीश पटेल, पी.टी.	पी.एसचारगाँव माल, बीजाडंडी	पी.एस. जे. पी. एस. सलेटोला, नैनपुर	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 153, नामांकित छात्रों की संख्या 16, निरंक

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
						रिक्त पद थी और एक पद पहले ही भरा जा चुका था।
24	मंडला	7233/8.8.2019	राजेश कुमार सिंगौर, पी.टी.	यू.ई.जी.एस. मुकद्दम टोला (धनवाह), गुघरी	बालिका पी.एस. सर्री, नैनपुर	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 211, नामांकित छात्रों की संख्या 18, निरंक रिक्त पद और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
25	मंडला	7233/8.8.2019	नेहरु लाल नागोतिया, पी.टी.	पी.एस. (सत) बकेल टोला (08 से 09), गुघरी	पी.एस. बहेरी	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 193, नामांकित छात्रों की संख्या 15, निरंक रिक्त पद थी और एक पद पहले ही भरा जा चुका था।
26	मंडला	7233/8.8.2019	सपना हरदाहा, पी.टी.	यू.ई.जी.एस. सकवाह, नैनपुर	यू.ई.जी.एस.केओलारी टोला सकवाह, नैनपुर	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 72, नामांकित छात्रों की संख्या 21, निरंक रिक्त पद थी और एक पद पहले ही भरा जा चुका था।
27	मंडला	7233/8.8.2019	अयोध्या प्रसाद पटले, पी टी	पी.एस. भानपुर, निवास	एन.पी.एस. रामू टोला, नैनपुर	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 219, नामांकित छात्रों की संख्या 26, निरंक रिक्त पद थी और एक पद पहले ही भरा जा चुका था।
28	मंडला	7231/8.8.2019	तारा सिंह पटेल, पी.टी.	पी.एस. बनियातारा , मोहगाँव	एन.पी.एस. भादगा टोला,	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
						33, नामांकित छात्रों की संख्या 21, निरंक रिक्त पद थी और एक पद पहले ही भरा जा चुका था।
29	मंडला	7231/8.8.2019	उषा टेकम, पी.टी.	एन.पी.एस. खुर्सी टोला, मुंगवानी,	पी.एस. जनपद पी.एस. चौगन, मोहनगाँव	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 163, नामांकित छात्रों की संख्या 86, निरंक रिक्त पद और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
30	मंडला	7205/8.8.2019	मधु माया उइके, पी.टी.	यू.ई.जी.एस. लोहार टोला, बिछिया	यू.ई.जी.एस. छिंदर टोला, घुघरी	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, एसएल नंबर 20, नामांकित छात्रों की संख्या 27, निरंक रिक्त पद थी और एक पद पहले ही भरा जा चुका था।
31	मंडला	7225/8.8.2019	दसरथ सिंह उलादी, पी.टी.	पी.एस. खम्हरिया (जी.पी. खम्हरिया), नारायणगंज	एम.एस. नन्दराम, मवाई	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 129, नामांकित छात्रों की संख्या 33, निरंक रिक्त पद और दो पद पहले ही भरे जा चुके थे।
32	मंडला	7223/8.8.2019	सोनचंद मार्को, पी.टी.	पी.एस. सलैया, बीजाडंडी	पी.एस. भभेरा, बीजाडंडी	स्थानांतरित, प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 162, नामांकित छात्रों की संख्या 20, निरंक रिक्त पद और एक पद पहले से ही भरे हुए थे।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
33	मंडला	7201/8.8.2019	राम शंकर पाण्डेय, माध्यमिक शिक्षक	कन्या शिक्षा परिसर, एच.एस. मंडला	एच.एस. बालिका पूर्व, मंडला	स्थानांतरित, माध्यमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्रम संख्या 98, नामांकित छात्रों की संख्या 87, 0 रिक्त पद और छह पद पहले ही भरे जा चुके थे।
34	मंडला	7172/8.8.2019	विवेक मिश्रा, सहायक शिक्षक	पी.एस. फूलवाड़ी मंडला	एच.एस.एस. बालक जग. सं. 2 मंडला	स्थानांतरित, व्याख्याता, प्रधान अध्यापक, यू डी टी एवं सहायक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्र.सं. 14 (सहायक शिक्षक), नामांकित छात्रों की संख्या 37, निरंक रिक्त पद और तीन पद पहले ही भरे जा चुके थे।
35	मंडला	7172/8.8.2019	मुन्ना लाल मार्को, सहायक शिक्षक	एम.एस. हिरदे नगर, मंडला	पी.एस. कटंगा टोला बिछिया	स्थानांतरित, व्याख्याता, प्रधान मास्टर, यूडीटी और सहायक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्र.संख्या 24 (सहायक शिक्षक), नामांकित छात्रों की संख्या 23, निरंक रिक्त पद थी और एक पद पहले से ही भरा हुआ था।
36	मंडला	7177/8.8.2019	रवि कुमार झरिया, प्रधानाध्यापक (मिडिल स्कूल)	एम.एस. हर्रा टोला, पखवार मवाई	एम.एस. केहरपुर, मंडला	स्थानांतरित, व्याख्याता, प्रधान मास्टर, यूडीटी और सहायक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2019-20 के अनुसार, क्र.संख्या 4 (प्रधानाध्यापक से माध्यमिक विद्यालय), नामांकित छात्रों की संख्या 104, निरंक रिक्त पद और सात पद पहले से ही भरे हुए थे।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
37	मंडला	5973/31.8.2021	श्रीमती गोमती चार्ल्स अध्यापक (सामाजिक विज्ञान)	एच.एस.एस. सलीवारा, नैनपुर	एम.एस. निवारी, नैनपुर	माध्यमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्रम सं. 66, नामांकित छात्रों की संख्या 98 स्वीकृत पद 4, 1 रिक्त पद एवं तीन पद पहले ही भरे जा चुके थे।
38	मंडला	5945/31/8.2021	श्रीमती अनीता यादव, पी टी	यू.ई.जी.एस. जैतपुरी, मवाई	पी.एस. रामपुरी नैनपुर	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र. संख्या 34
39	मंडला	5214/6.8.2021	सुश्री श्यामकली धुर्वे, पी टी	पी.एस. बरवानी, घुघरी	पी.एस. कुदोपानी, मोहगांव	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र. संख्या 118
40	मंडला	6055/31.8.2021	अनुरुद्ध कुमार पटेल, माध्यमिक शिक्षक	एन.एम. एस कुदोपानी, मोहगांव	एन.एम.एस. बकछेरा डोना मंडला	माध्यमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्रम सं 10, नामांकित छात्रों की संख्या 49, स्वीकृत पद 3, निरंक रिक्त पद एवं 3 पद पहले ही भरे जा चुके थे।
41	मंडला	5931/31.8.2021	श्रीमती रश्मि ठाकुर, माध्यमिक शिक्षक	जी.एम.एस घुटस मवाई	शासकीय एच.एस. कोको	नियमित शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र.सं. 14, नामांकित छात्रों की संख्या 52, स्वीकृत पद 6, 4 रिक्त पद एवं 2 पद पहले ही भरे जा चुके थे।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
42	मंडला	5941/31.8.2021	श्रीमती पुष्पा सिंघई, सहायक शिक्षक	पी.एस. ग्वारी, मंडला	पी.एस. सारसडोली , बिछिया	नियमित शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र.संख्या 19, नामांकित छात्रों की संख्या 36, स्वीकृत पद 2, निरंक रिक्त पद एवं 2 पद पहले ही भरे जा चुके थे।
43	मंडला	5947/31.8.2021	श्रीमती ज्योति उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षक	एन. एम. एस. हीरापुर, नैनपुर	कस्तूरबा कन्या माध्यमिक विद्यालय नैनपुर	नियमित शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित , क्र.सं. 10 ।
44	मंडला	5933/31.8.2021	श्रीमती महेश्वरी पटेल, पी टी	बालिका पी. एस. घुटस, मवाई	पी. एस. चिंदीटोला, बिछिया	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र. सं. 61, नामांकित छात्रों की संख्या 32 स्वीकृत पद 2 थी एवं 3 पद पहले ही भरे जा चुके थे। (1 अधिक पद पहले से ही भरे जा चुके थे)
45	मंडला	6073/31.8.2021	श्रीमती गोदावरी ठाकुर, पी .टी.	पी. एस. कुम्हा, मवाई	एन. पी. एस. नयाटोला, बिछिया	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र.सं. 64, नामांकित छात्रों की संख्या 69 स्वीकृत पद 3, 2 रिक्त पद एवं 1 पद पहले ही भरे जा चुके थे।
46	मंडला	6065/31.8.2021	दिनेश झारिया, पी. टी.	एन. पी. एस. तिनसाटोला, घुघरी	पी. एस. सकवाह नैनपुर	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021, क्र.सं. 82 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित किया गया।

क्र.सं.	जिला	आदेश सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान संस्थान	संस्थान का नाम जिसमे स्थानांतरित हुए	लेखापरीक्षा टिप्पणी
47	मंडला	5202/06.8.2021	श्यामदास बैरागी, पी. टी.	पी. एस. उपरटोला अमझार	पी. एस. सुरनदेवरी, मंडला	प्राथमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्र.सं. 55, नामांकित छात्रों की संख्या 37 स्वीकृत पद 2, 0 रिक्त पद एवं 2 पद पहले ही भरे जा चुके थे।
48	मंडला	5222/6.8.2021	श्री दिनेश कुमार सैयम माध्यमिक शिक्षक	एम एस रामटीला बीजाडंडी	एच. एस. देवहर, नारायणगंज	माध्यमिक शिक्षक स्थानांतरण प्रस्ताव 2021 के अनुसार समिति की अनुशंसा के बिना स्थानांतरित, क्रम सं 50, नामांकित छात्रों की संख्या, स्वीकृत पद एवं भरे गए पदों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था एवं निरंक पद रिक्त थे।
(स्रोत: चयनित जिलों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)						

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.3, पृष्ठ संख्या 37)

संतुष्टि सर्वेक्षण में चयनित जिलों, महाविद्यालयों तथा शामिल छात्रों की संख्या की सूची

क्र. सं.	ज़िला	चयनित महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	संतुष्टि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की संख्या
1	बैतूल	विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैतूल	नर्सिंग	10
2		एस. डी. कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, बैतूल	पैरामेडिकल	10
3		ओम आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बैतूल	आयुर्वेद	10
4	भिंड	एपेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, भिंड	नर्सिंग	00
5		श्री श्याम जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, भिंड	नर्सिंग	07
6	भोपाल	वीणा वादिनी आयुर्वेदिक कॉलेज, भोपाल	आयुर्वेदिक	10
7		मानसरोवर डेंटल कॉलेज कोलार रोड, भोपाल	दंत चिकित्सा	10
8		नारायण श्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भोपाल	होम्योपैथी	10
9		महावीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बड़वाई, भोपाल	चिकित्सा	10
10		एस. एम. ए. मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, भोपाल	प्राकृतिक चिकित्सा	00
11		गणपति नर्सिंग कॉलेज, भोपाल	नर्सिंग	10
12		मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	नर्सिंग	10
13		कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	नर्सिंग	10
14		वी.एन.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	नर्सिंग	10
15		डॉ. एस.पी. सिंह विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, भोपाल	नर्सिंग	10
16		वीनस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, भोपाल	पैरामेडिकल	10
17		हकीम सैयद हसन शासकीय (स्वायत्त) यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, भोपाल	यूनानी	10
18		ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटलसाइंस एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल	दंत चिकित्सा	10
19		आर.डी. मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज, भोपाल	आयुर्वेदिक	10
20		चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, भोपाल	चिकित्सा	10
21		कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	नर्सिंग	10
22		कॉर्पोरेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	नर्सिंग	10
23		के.एन.पी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	नर्सिंग	03
24		जय नारायण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	नर्सिंग	08
25		सुन्दर देवी नर्सिंग महाविद्यालय, भोपाल	नर्सिंग	10
26		महेको नर्सिंग महाविद्यालय, भोपाल	नर्सिंग	10

क्र. सं.	ज़िला	चयनित महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	संतुष्टि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की संख्या
27		राजदीप इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल, भोपाल	नर्सिंग	10
28		महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग, भोपाल	नर्सिंग	10
29	देवास	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देवास	चिकित्सा	10
30		ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, देवास (नर्सिंग)	नर्सिंग	10
31		अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देवास	पैरामेडिकल	10
32		एच.ए.एच. यूनानी मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, देवास	यूनानी	10
33	गुना	महारानी शिवांगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुना	नर्सिंग	10
34		ओमकार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनलस्टडीज, गुना	पैरामेडिकल	10
35	ग्वालियर	के.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	होम्योपैथी	10
36		वी.आई.एस.एम. कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर	नर्सिंग	10
37	इंदौर	एस.एम.एस. एनर्जी नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर	नर्सिंग	10
38		अरिहंत महाविद्यालय, इंदौर	पैरामेडिकल	08
39		महाविद्यालय ऑफ डेंटल.साइंस.राऊ, इंदौर	दंत चिकित्सा	10
40		सुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर	आयुर्वेद	10
41		अल फारूक यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, इंदौर	यूनानी	10
42		महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर	चिकित्सा	10
43		श्रीमती कमला बेनराऊ जी भाई पटेल गुजराती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इंदौर	होम्योपैथी	10
44		सीरम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, इंदौर	पैरामेडिकल	10
45		सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस हरसोला इंदौर	नर्सिंग	10
46	जबलपुर	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च, जबलपुर	नर्सिंग	10
47		सुख सागर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	चिकित्सा	10
48		अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल महाविद्यालय, जबलपुर	होम्योपैथी	10
49		बी.आई.पी.एम.एस. पैरामेडिकल कॉलेज, जबलपुर	पैरामेडिकल	10
50		पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ , जबलपुर	आयुर्वेद	10
51		हितकर्णी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जबलपुर	दंत चिकित्सा	10
52	झाबुआ	शासकीय जी.एन.एम. स्कूल, झाबुआ	नर्सिंग	10

क्र. सं.	ज़िला	चयनित महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	संतुष्टि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की संख्या
53		वाइटल पैरामेडिकल कॉलेज, झाबुआ	पैरामेडिकल	10
54	मंडला	सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, मंडला	नर्सिंग	10
55		पायनियर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, मंडला	पैरामेडिकल	10
56	पन्ना	माधव पैरामेडिकल कॉलेज, पन्ना	पैरामेडिकल	10
57	रतलाम	आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, रतलाम	नर्सिंग	10
58		सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, रतलाम	पैरामेडिकल	10
59		जिला होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रतलाम	होम्योपैथी	10
60		शासकीय मेडिकल कॉलेज,रतलाम	चिकित्सा	10
61		पं. डॉ. शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, रतलाम	आयुर्वेद	10
62	सागर	चैतन्य कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, सागर	पैरामेडिकल	10
63		भाग्योदय तिरिथ नर्सिंग महाविद्यालय, सागर	नर्सिंग	10
64		बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर	चिकित्सा	10
65	सतना	निषाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड साइंस, सतना	नर्सिंग	10
66		स्कॉलर्स होम पैरामेडिकल कॉलेज, सतना	पैरामेडिकल	10
67	शहडोल	शासकीय मेडिकल कॉलेज, शहडोल	पैरामेडिकल	10
68		विंध्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शहडोल	नर्सिंग	10
69		शासकीय मेडिकल कॉलेज, शहडोल	चिकित्सा	10
70	शिवपुरी	शासकीय मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी	पैरामेडिकल	10
71		लक्ष्मण सेठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शिवपुरी	नर्सिंग	10
72		शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी	चिकित्सा	10
73	टीकमगढ़	राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, टीकमगढ़	पैरामेडिकल	10
74	उज्जैन	आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन	चिकित्सा	10
75		उज्जैन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड फिजियोथेरेपी, उज्जैन	पैरामेडिकल	10
76		पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, उज्जैन	नर्सिंग	10

परिशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.5.3, पृष्ठ संख्या 42)

अवधि 2020-23 के दौरान संस्थानों को दिए गए अग्रिम का सारांश

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राशि ₹ में
1	एकेडमी ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस भोपाल	33,000
2	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज देवास	44,000
3	अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास	3,29,000
	अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास	2,28,000
4	अनुश्री होम्योपैथी कॉलेज जबलपुर	76,000
5	अरिहंत होम्योपैथी कॉलेज बड़वानी	76,000
6	अरबिंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	13,000
7	अवध माधव साईं श्रद्धा कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस छिंदवाड़ा	34,000
8	आयुर्वेदिक कॉलेज मंदसौर	76,000
9	बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर	47,59,600
10	चिरायु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा	13,000
11	चिरायु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	33,000
	चिरायु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	3,27,000
	चिरायु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	52,000
	चिरायु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	77,000
	चिरायु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	5,10,000
12	कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल इंदौर	16,63,000
13	जिला होम्योपैथी महाविद्यालय, रतलाम	80,000
14	डॉ. शंकर दयाल शर्मा महाविद्यालय भोपाल	14,000
15	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर	43,35,000
16	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	4,20,000
	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	4,97,000
	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	10,79,000
	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	87,000
	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	5,32,000
17	शासकीय नर्सिंग कॉलेज धनवारी सतना	63,000
18	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय निपानिया रीवा	39,000
19	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर	10,40,000
20	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर	1,48,000
	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर	86,000
21	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर	70,000
22	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर	1,63,000

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राशि ₹ में
	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर	68,000
23	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन	87,000
24	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा	1,14,000
	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा	83,000
25	शासकीय कन्या महाविद्यालय बालाघाट	7,47,000
26	शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल	1,25,000
27	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा	78,000
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा	1,91,000
28	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा	1,13,000
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा	3,25,000
29	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम	2,93,000
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम	4,96,000
30	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल	1,49,000
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल	1,90,000
31	शासकीय मेडिकल महाविद्यालय शिवपुरी	1,90,000
32	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा	1,09,000
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा	4,92,000
33	शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर	21,000
34	शासकीय नर्सिंग कॉलेज उज्जैन	1,91,000
35	शासकीय पी.जी. कॉलेज मंदसौर	1,88,000
36	शासकीय पी.जी. कॉलेज सिवनी	60,000
37	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर मालवा	24,000
38	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला	20,000
39	शासकीय स्वामी विवेकानन्द डिग्री महाविद्यालय सारंगपुर	45,000
40	शासकीय यूनानी महाविद्यालय भोपाल	42,000
41	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय खरगोन	3,73,000
42	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन	19,56,000
43	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर	37,000
44	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर	24,56,000
45	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया	1,14,000
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया	3,22,000
46	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालाघाट	13,000
47	हैनीमैन होम्योपैथी कॉलेज भोपाल	95,000
48	हितकर्णी डेंटल कॉलेज, जबलपुर	18,31,000
49	एच.एस.जेड.एच. यूनानी शासकीय महाविद्यालय भोपाल	13,36,000

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राशि ₹ में
50	इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर	68,000
	इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर	2,25,000
51	इंदिरा गांधी मेमोरियल होम्योपैथी कॉलेज धार	76,000
52	जय नारायण महाविद्यालय भोपाल	13,000
53	के.एस. होम्योपैथी कॉलेज ग्वालियर	76,000
54	कुशा भाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज भोपाल	25,000
55	एल.बी.एस. होम्योपैथी कॉलेज भोपाल	80,000
56	लॉर्ड कृष्णा महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग दतिया	23,000
57	महा मृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज बड़वानी	13,000
58	महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इंदौर	51,05,000
	महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इंदौर	5,65,000
	महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इंदौर	9,25,000
59	मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज भोपाल	14,000
60	मेहको कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	13,000
61	एम.जी.एम. एलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट (महसी) इंदौर	4,10,000
62	मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	13,000
63	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	98,000
64	न्यू एरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग	13,000
65	एन.आर.आई. इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग भोपाल	13,000
66	एन.एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज जबलपुर	90,67,000
67	ओजस्विनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च दमोह	55,000
68	ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज सागर	44,000
69	ओमकार महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग गुना	33,000
70	पाराशर नर्सिंग कॉलेज भोपाल	13,000
71	परीक्षा भवन जीवाजी विश्वविद्यालय	9,61,000
72	पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	2,40,000
	पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	87,000
73	पं. शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रतलाम	85,000
74	राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल	73,000
75	रण विजय प्रताप सिंह सरकार पीजी महाविद्यालय उमरिया	23,000
76	रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद एवं चिकित्सालय भोपाल	87,000
77	आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन	6,68,000
	आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन	4,94,000
	आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन	1,24,000
	आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन	5,11,000
78	सागर होम्योपैथी कॉलेज सागर	76,000

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राशि ₹ में
79	सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	46,000
80	संत हिरदाराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस फॉर विमेन भोपाल	1,45,000
81	सेंधवा होम्योपैथी कॉलेज बड़वानी	76,000
82	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा	30,86,000
	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा	3,29,000
	श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा	5,14,000
83	शिवांग होम्योपैथी कॉलेज भोपाल	80,000
84	श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर	89,000
	श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर	4,11,000
	श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर	7,19,000
	श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर	3,29,000
85	श्री अरबिंदो मेडिकल डेंटल कॉलेज इंदौर	41,11,000
86	श्री नाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलीराजपुर	65,000
87	श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज नर्सिंग दतिया	13,000
88	श्री स्वामीजी महाराज कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग दतिया	36,000
89	श्रीमती राजमाता विजयाराजे सिंधिया (शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय) शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	30,000
90	श्रीमती एस.एम. देव होमियोपैथी कॉलेज बालाघाट	76,000
91	सोफिया होमियोपैथी ग्वालियर	83,000
92	सुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर	83,000
93	स्वामी प्रणवानंद होमियोपैथी महाविद्यालय छतरपुर	76,000
94	वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय ग्वालियर	76,000
95	वीणा वादनी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल	64,000
96	वी.आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर	52,000
97	विशाल वाते मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	16,000
98	विज़न कॉलेज एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग बैतूल	33,000
99	योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय बड़वानी	14,000
	योग	**6,10,31,600**

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.6.1, पृष्ठ संख्या 45)

मार्च 2023 की स्थिति में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त रहे पद

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का आधार	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त पद	से रिक्त
1	कुलपति	नामांकन	1	1	0	
2	रेक्टर	प्रतिनियुक्ति	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
3	कुलसचिव		1	1	0	
4	वित्तीय नियंत्रक		1	1	0	
5	परीक्षा नियंत्रक		1	1	0	
6	छात्र कल्याण अधिष्ठाता		1	0	1	वर्ष 2021
7	उप कुलसचिव		7	5	2	विश्वविद्यालय की स्थापना
8	सहायक कुलसचिव		19	3	16	विश्वविद्यालय की स्थापना
9	कार्यपालन अभियंता (सिविल)		1	0	1	अक्टूबर 2022
10	सहायक अभियंता (सिविल)		1	0	1	नवंबर 2015
11	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)		2	0	2	विश्वविद्यालय की स्थापना
12	वित्त अधिकारी		1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
13	स्टाफ अधिकारी		3	0	3	विश्वविद्यालय की स्थापना
14	प्रशासनिक अधिकारी	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
15	जनसंपर्क अधिकारी	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
16	कंप्यूटर प्रोग्रामर	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
17	निजी सचिव	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	6	0	6	विश्वविद्यालय की स्थापना
18	सहायक प्रोग्रामर	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
19	अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	12	0	12	विश्वविद्यालय की स्थापना
20	लेखाकार	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति	4	0	4	विश्वविद्यालय की स्थापना

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का आधार	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त पद	से रिक्त
21	रोकड़िया	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति	3	0	3	विश्वविद्यालय की स्थापना
22	आशुलिपिक	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति	9	0	9	विश्वविद्यालय की स्थापना
2 3	भंडार लिपिक	पदोन्नति	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
24	सहायक ग्रेड I	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	12	0	12	विश्वविद्यालय की स्थापना
25	सहायक ग्रेड II	पदोन्नति	22	0	22	विश्वविद्यालय की स्थापना
26	पुस्तकालयाध्यक्ष	सीधी भर्ती	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
27	आशुलिपि टंकक	सीधी भर्ती	11	0	11	विश्वविद्यालय की स्थापना
	योग		**125**	**12**	**113**	
1	सहायक ग्रेड III सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती	48	13	35	विश्वविद्यालय की स्थापना (रिक्त पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे)
	योग		**48**	**13**	**35**	
1	बायोमेडिकल अभियंता	आउटसोर्स	1	0	1	विश्वविद्यालय की स्थापना
2	चालक	आउटसोर्स	19	4	15	विश्वविद्यालय की स्थापना
3	चपरासी सह माली सह सफाई कर्मचारी	आउटसोर्स	52	67	0	
4	सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्स	30	10	20	विश्वविद्यालय की स्थापना
	योग		**102**	**81**	**36**	
	महायोग		**275**	**106**	**184**	

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.6.2, पृष्ठ संख्या 47)

अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एजेंसी को भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	माह	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति (नियमित)	भरे जाने वाले रिक्त पद	पदस्थ व्यक्ति (आउटसोर्स कर्मचारी)	फर्म को भुगतान (व्यक्तियों की संख्या)	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारी	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को जी.एस.टी. के बिना किया गया भुगतान	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का कुल भुगतान जी.एस.टी. 18% के साथ
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-5)	9	10
सहायक ग्रेड III सह डी.ई.ओ.									
1	दिसंबर-2021	48	13	35	50	32 + 18	15	1,93,977	2,28,893
2	जनवरी-2022	48	13	35	55	32 + 23	20	3,38,231	3,99,113
3	फरवरी-2022	48	13	35	57	33 + 24	22	4,02,154	4,74,542
4	अप्रैल-2022	48	13	35	56	32 + 24	21	3,77,742	4,45,736
5	मई 2022	48	13	35	56	32 + 24	21	3,90,057	4,60,267
6	जून-2022	48	13	35	55	32 + 23	20	3,83,770	4,52,849
7	जुलाई-2022	48	13	35	56	33 + 23	21	4,04,177	4,76,929
8	अगस्त-2022	48	13	35	57	33 + 24	22	4,05,206	4,78,143
9	अक्टूबर-2022	48	13	35	56	32 + 24	21	4,08,484	4,82,011
10	नवंबर-2022	48	13	35	58	34 + 24	23	4,36,651	5,15,248
11	दिसंबर-2022	48	13	35	58	34 + 24	23	4,49,202	5,30,058
12	जनवरी-2023	48	13	35	57	33 + 24	22	4,28,514	5,05,647

क्र. सं.	माह	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति (नियमित)	भरे जाने वाले रिक्त पद	पदस्थ व्यक्ति (आउटसोर्स कर्मचारी)	फर्म को भुगतान (व्यक्तियों की संख्या)	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारी	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को जी.एस.टी. के बिना किया गया भुगतान	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का कुल भुगतान जी.एस.टी. 18% के साथ
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-5)	9	10
13	मार्च-2023	48	13	35	58	34 + 24	23	4,47,387	5,27,917
	योग							**50,65,552**	**59,77,353**
भृत्य सह माली सह सफाई कर्मचारी									
1	दिसंबर-2021	52	4	48	52	46 + 6	4	50,227	59,268
2	जनवरी-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,15,999	1,36,879
3	फरवरी-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,24,912	1,47,396
4	अप्रैल-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,32,833	1,56,743
5	मई 2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,39,194	1,64,249
6	जून-2022	52	4	48	57	46 + 11	9	1,21,835	1,43,765
7	जुलाई-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,39,603	1,64,732
8	अगस्त-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,33,460	1,57,483
9	अक्टूबर-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,29,909	1,53,293
10	नवंबर-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,21,697	1,43,602
11	दिसंबर-2022	52	4	48	58	47 + 11	10	1,40,758	1,66,094
12	जनवरी-2023	52	4	48	58	47 + 11	10	1,42,010	1,67,572
13	मार्च-2023	52	4	48	58	47 + 11	10	1,11,826	1,31,955
	योग							**16,04,263**	**18,93,031**

क्र. सं.	माह	स्वीकृत पद	पदस्थ व्यक्ति (नियमित)	भरे जाने वाले रिक्त पद	पदस्थ व्यक्ति (आउटसोर्स कर्मचारी)	फर्म को भुगतान (व्यक्तियों की संख्या)	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारी	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को जी.एस.टी. के बिना किया गया भुगतान	अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का कुल भुगतान जी.एस.टी. 18% के साथ
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-5)	9	10
					गृह सेवक				
1	जून-2022	0	0	0	5	5	5	69,801	82,365
2	जुलाई-2022	0	0	0	5	5	5	66,648	78,645
3	अगस्त-2022	0	0	0	5	5	5	63,044	74,392
4	अक्टूबर-2022	0	0	0	5	5	5	63,869	75,365
5	नवंबर-2022	0	0	0	5	5	5	56,961	67,214
6	दिसंबर-2022	0	0	0	5	5	5	42,754	50,450
7	जनवरी-2023	0	0	0	4	4	4	45,036	53,142
8	मार्च-2023	0	0	0	4	4	4	56,971	67,226
	योग							**4,65,084**	**5,48,799**
	महायोग							**71,34,899**	**84,19,183**

परिशिष्ट-2.2.5(अ)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.2 (i), पृष्ठ संख्या 52)

चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई अधोसंरचना की अनुपलब्धता का विवरण

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
1	1	बैतूल	1	ओम आयुर्वेदिक महाविद्यालय बैतूल	40	आयुर्वेदिक	चिकित्सालय	प्रसव कक्ष जिसमें शौचालय और स्नानघर संलग्न है	2021-22	21/07/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
2			2	विज़न कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर.डी. पब्लिक स्कूल के पास बैतूल (मप्र)	60	नर्सिंग	महाविद्यालय	इनडोर खेल हॉल	2020-21	17/11/2022	उपलब्ध	निर्माणाधीन
3								खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
4	2	भिंड	3	एपेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, भिंड	35+30	नर्सिंग	महाविद्यालय	दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष	2020-21	16/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
5							महाविद्यालय	प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
6							छात्रावास	वाचनालय (प्रति छह छात्र 50 वर्गफीट)			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
7							छात्रावास	मनोरंजन कक्ष (प्रति छह छात्रों के लिए 100 वर्गफीट)			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
8							छात्रावास	भोजन कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
9							छात्रावास	छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
10							छात्रावास	अंतःकक्ष खेल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
11							छात्रावास	खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
12	3	भोपाल	4	वीणा वादिनी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल कोलार रोड भोपाल	100	आयुर्वेदिक	चिकित्सालय	उप अधीक्षक कक्ष	2020-21	28/02/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
13								चिकित्सा अधिकारी कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
14								सहायता मैट्रन कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
15								**आईपीडी में--** (i) प्रत्येक वार्ड के लिए एक डॉक्टर ड्यूटी रूम, संलग्न शौचालय बाथरूम के साथ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
16								(ii) प्रत्येक वार्ड के लिए एक नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी रूम, संलग्न शौचालय बाथरूम के साथ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
17								(iii) लिनेन आदि के लिए भंडार कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
18								**ऑपरेशन थियेटर खंड में--** (i) प्रत्येक वार्ड के लिए एक डॉक्टर ड्यूटी रूम, संलग्न शौचालय बाथरूम के साथ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
19								(ii) प्रत्येक वार्ड के लिए एक नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी रूम, संलग्न शौचालय बाथरूम के साथ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
20								(iii) इंटर्न या हाउस ऑफिसर या रेजीडेंट डॉक्टर का कमरा जिसमें शौचालय-बाथरूम संलग्न हो			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
21								**पंचकर्म खंड में -** पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय स्नान में गीजर			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
22								**फिजियोथेरेपी यूनिट में-** फिजियोथेरेपिस्ट कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
23								चिकित्सालय रसोई और कैंटीन			उपलब्ध	दो दिन के भौतिक सत्यापन के दौरान चिकित्सालय का रसोई घर उपलब्ध नहीं था और कैंटीन बंद थी
24			5	गणपति नर्सिंग कॉलेज रायसेन रोड भोपाल	40	नर्सिंग	महाविद्यालय	बहुउद्देशीय कक्ष/सभागार	2020-21	01/06/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
25								विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
26							छात्रावास	अतिथि - कमरा,			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
27								वाचनालय,			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
28								भंडार			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
29								छात्रावास में मनोरंजन कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
30								छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
31								इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
32								खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
33								कॉमन रूम			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
34							चिकित्सालय	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बालरोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, आपातकालीन चिकित्सा, मनोचिकित्सा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
35			6	वी.एन.एस. महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग नीलबड़ भोपाल	60	नर्सिंग	महाविद्यालय	दृश्य-श्रव्य सहायता कक्ष	2018-19	29/05/2019	उपलब्ध	प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं है
36							छात्रावास	अतिथि – कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
37								वाचनालय			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
38								भंडार गृह			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
39								मनोरंजन कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
40			7	डॉ. एस.पी.सिंह विज्ञान एवं प्रबंधन			महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा	2020-21	21/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
41				संस्थान खजूरी कलां भोपाल	30+60	नर्सिंग		संकाय कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
42								छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं (निर्माणाधीन)
43								इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
44								खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
45							छात्रावास	छात्रावास भवन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
46							चिकित्सालय	प्रयोगशालाएँ--जैवरसायन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं (चिकित्सालय चालू नहीं था
47			8	कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	60	नर्सिंग	छात्रावास भवन	वाचनालय	2018-19	16/07/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
48							महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
49								इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
50			9	मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	35	नर्सिंग	महाविद्यालय	दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष	2019-20	16/01/2021	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
51								विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
52								संकाय कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
53								जैव रसायन प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
54							छात्रावास	वाचनालय			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
55								भंडार गृह			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
56								मनोरंजन कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
57								इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
58			10	ऋषिराज महाविद्यालय ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर गांधी नगर भोपाल	100	दंत चिकित्सा	महाविद्यालय	सभागार	2020-21	01/04/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
59			11	कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	25	नर्सिंग	महाविद्यालय	खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
60								कैंटीन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
61								बहुउद्देशीय कक्ष			उपलब्ध (सभागार)	उपलब्ध नहीं है
62							चिकित्सालय	चिकित्सा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
63								शल्य चिकित्सा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
64			12	राजदीप इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल	30	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	2020-21	21/12/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
65								इंडोर खेल कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
66								खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
67								स्वच्छ पेयजल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
68								बहुउद्देशीय कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
69								सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
70								स्टाफ कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
71								प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
72							चिकित्सालय	जैव-रसायन विज्ञान प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
73								क्लीनिकल सुविधा-नेत्र/ई.एन.टी.			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
74			13	महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल	20	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	2020-21	21/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
75			14	सुन्दर देवी नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	40	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	2020-21	17/08/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
76								जैव-रसायन विज्ञान प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
77			15	के.एन.पी. महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग भोपाल	60	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	2019-20	22/02/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
78								इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
79								जैव-रसायन विज्ञान प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
80							चिकित्सालय	चिकित्सा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
81								शल्य चिकित्सा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
82								प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
83								बाल रोग विशेषज्ञ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
84								हड्डी रोग विशेषज्ञ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
85								नेत्र/मनोरंजन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
86			16	मेहको महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग भोपाल	60	नर्सिंग	महाविद्यालय	संकाय कक्ष	2020-21	14/06/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
87			17	जय नारायण महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग भोपाल	60+40	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	2020-21	13/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
88								जैव-रसायन विज्ञान प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
89	4	इंदौर	18	एस.एम.एस. एनर्जी नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर	30	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	एलआईसी प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है	15/08/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
90								इंडोर खेलकक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
91								आग बुझाने का यंत्र			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
92								फिजियोलॉजी प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
93								जैव रसायन प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
94			19	सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस, इंदौर	30	नर्सिंग	छात्रावास	वाचनालय (प्रति छः छात्र 50 वर्गफीट)	2020-21		उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
95							छात्रावास	मनोरंजन कक्ष (प्रति छः छात्रों के लिए 100 वर्गफीट)		23/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
96							छात्रावास	छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
97							छात्रावास	इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
98							छात्रावास	खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
99							छात्रावास	आग बुझाने का यंत्र			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
100	5	जबलपुर	20	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च, जबलपुर	60	नर्सिंग	छात्रावास	छात्रावास में अतिथि कक्ष, वाचनालय, भण्डार एवं मनोरंजन कक्ष	2019-20	05/08/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
101								छात्र कल्याण कक्ष, छात्रावास में इंडोर खेल कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
102			21	पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषध विद्यापीठ , जबलपुर	100	आयुर्वेदिक	चिकित्सालय	चिकित्सालय भवन में सहायक मैट्रन कक्ष एवं शवगृह,	2021-22	15/04/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
103								आई.पी.डी. में नवजात (बालरोग) देखभाल कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
104								इंटर्न या हाउस ऑफिसर या रेजीडेंट डॉक्टरों का कमरा जिसमें शौचालय-बाथरूम संलग्न हो			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
105								रेडियोलॉजी एवं सोनोग्राफी अनुभाग			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
106	6	मंडला	22	सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग	45	नर्सिंग	महाविद्यालय	चिकित्सा विषयों के लिए पत्रिकाओं की संख्या	2020-21	28/04/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
107								संबद्ध विषयों के लिए पत्रिकाओं की संख्या			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
108							छात्रावास	वाचनालय (प्रति छः छात्र 50 वर्गफीट)			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
109								भोजन कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
110								छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
111	7	रतलाम	23	आरोग्य इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग रतलाम (म.प्र.)	40	नर्सिंग	महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)	2018-19	15/07/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
112								दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
113								प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
114								इनडोर खेल हॉल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
115								खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
116					40	नर्सिंग	महाविद्यालय	स्टाफ कक्ष	2019-20	28/03/2019	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
117				निषाद महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड साइंसेज				प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
118							छात्रावास	छात्र कल्याण कक्ष			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
119								इंडोर खेल			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
120	8	सतना	24					खेल का मैदान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
121								आग बुझाने का यंत्र			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
122			25	स्कॉलर्स होम पैरामेडिकल महाविद्यालय, सतना	50	पैरामेडिकल	चिकित्सालय	आई.सी.सी.यू. बिस्तर क्षमता	2020-21	31/03/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
123								प्रयोगशालाओं			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
124								आकस्मिक विभाग			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
125	9	शाहडोल	26	बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल			महाविद्यालय	पुस्तकालय	2020-21	01/08/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
126								छात्रावास भवन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
127				कॉलेज शहडोल (पैरामेडिकल)	30(बीएम एलटी)	पैरामेडिकल		छात्रों के लिए परिवहन का प्रावधान			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
128	10	सागर	27	भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग महाविद्यालय सागर	70	नर्सिंग	छात्रावास	भोजन कक्ष	2020-21	21/07/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
129	11	उज्जैन	28	उज्जैन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी उज्जैन	105	पैरामेडिकल	छात्रावास	अतिथि – कक्ष	2018-19	25/07/2018	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
130			29	पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन	75+30	नर्सिंग	महाविद्यालय	प्रत्येक विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा	2020-21	19/04/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
131							छात्रावास	छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
132							चिकित्सालय	क्लीनिकल सुविधाएं (vi) नेत्र/ई.एन.टी.			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
133	12	देवास	30		20	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्र कल्याण कक्ष	2020-21	20/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	जिले की संख्या	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय/ छात्रावास	भवन का नाम	शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण	स्थानीय निरीक्षण समिति (एल.आई.सी.) के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं	महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार उपलब्ध/ उपलब्ध नहीं
134				ज़ानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज देवास (नर्सिंग)			महाविद्यालय	इंडोर गेम हॉल	2020-21	20/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
135							चिकित्सालय	जीव रसायन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
136			31	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास (पैरामेडिकल)	50	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	कंप्यूटर प्रयोगशाला	2016-17, 2017-18	17/07/2018	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
137	13	झाबुआ	32	शासकीय जी.एन.एम. स्कूल झाबुआ	60	नर्सिंग	महाविद्यालय	खेल का मैदान	2020-21	07/05/2022	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
138							महाविद्यालय	स्वच्छ पेयजल			उपलब्ध	काम नहीं कर रहा
139							चिकित्सालय	फिजियोलॉजी प्रयोगशाला			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
140							चिकित्सालय	जीव रसायन			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है
141							चिकित्सालय	क्लीनिकल सुविधा- हड्डी रोग विशेषज्ञ			उपलब्ध	उपलब्ध नहीं है

परिशिष्ट-2.2.5 (ब)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.2 (i), पृष्ठ संख्या 52)

भौतिक सत्यापन के दौरान अधोसंरचना की उपलब्धता में देखी गई भिन्नता का विवरण

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ((10-12)*100/10)
1	बैतूल	1	ओम आयुर्वेदिक महाविद्यालय बैतूल	40	21/07/2022	आयुर्वेद	महाविद्यालय	संहिता एवं सिद्धांत विभाग	538	538	301	44
								द्रव्य गुण विभाग	1,345	1,345	807	40
								काया चिकित्सा विभाग	807	807	355	56
								पंचकर्म विभाग		538	301	
								शल्य विभाग	807	807	398	51
								शालक्य विभाग	807	807	322	60

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
								कोमार्याभृत्य (बालरोग) का विभाग		538	301	
		2	विज़न कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग बैतूल	60	17/11/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	संकाय कक्ष	1,800	2,000	800	56
2	भिंड	3	श्री श्याम जी पैरामेडिकल इंस्टीटयूट भिंड	डी एम एल टी-20 एवं डिप./डी. फार्मा-10		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	शिक्षण कक्ष डिप्लोमा	3,000		840	72
								एनाटॉमी प्रयोगशाला	1,500		628	58
								फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	1,500		628	58
								कंप्यूटर प्रयोगशाला	1,000		300	70
								पुरुषों के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1,000		500	50

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
								महिलाओं के लिए शौचालय (शौचालय वॉशबेसिन)	1,000		500	50
3	भोपाल	4	गणपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	40	01/06/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	स्टाफ कक्ष	1,000	1,000	100	90
								प्राचार्य कक्ष	300	300	120	60
								उप प्राचार्य कक्ष	200	200	100	50
								संकाय कक्ष	**1,800**	**3,600**	775	57
								लेक्चर कक्ष		11,000	2,800	
								फंडामेंटल नर्सिंग प्रयोगशाला		1,600	800	
								कंप्यूटर कक्ष		1,800	800	
								पोषण प्रयोगशाला		1,200	500	
								पुस्तकालय		2,500	1,400	
		5	वीणा वादिनी आयुर्वेदिक कॉलेज, भोपाल	30		आयुर्वेदिक	महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (लड़के एवं लड़कियां)	538		269	50

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
		6	वी.एन.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग नीलबड़ भोपाल	60	29/05/2019	नर्सिंग	महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)	1,000	2,000	225	78
								संकाय कक्ष	1,800	2,400	800	56
							छात्रावास	छात्रावास, भोजन कक्ष	3,000	3,000	150	95
								रसोई घर एवं भण्डार कक्ष	1,500	1,500	100	93
		7	डॉ. एस.पी. सिंह महाविद्यालय, भोपाल	30 (बी.एस. सी.) + 60 (पी बी बी एस सी)	21/05/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	कंप्यूटर प्रयोगशाला	1,500	1,400	240	84
								स्टाफ कक्ष	1,000	950	200	80
								प्रिंसिपल का कमरा	300	300	100	67
								पुस्तकालय	1,800	2,400	418	77
								शौचालय का प्रावधान	1,000	1,000	500	50
								नर्सिंग का मूल सिद्धांत (सी.एच.एन.)		1,500	694	
								पोषण प्रयोगशाला		950	240	

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
								उप-प्राचार्य का कमरा		300	120	
		8	मानसरोवर डेंटल महाविद्यालय भोपाल	100	24/02/2022	दंत चिकित्सा	महाविद्यालय	रखरखाव कमरा	1,000	1,600	240	76
								प्री-क्लीनिकल संरक्षण प्रयोगशाला		4,000	1,500	
								परीक्षा कक्ष		3,600	2,000	
								फोटोग्राफी एवं कलाकार कक्ष		400	225	
		9	नारायण श्री होम्योपैथिक महाविद्यालय	100		होम्योपैथिक	चिकित्सालय	चिकित्सालय प्रशासनिक खंड	538		108	80
								रेडियोलॉजी या सोनोग्राफी अनुभाग	431		161	63
								क्लिनिकल प्रयोगशाला (पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जैवरसायन)	431		215	50

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
		10	कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	60	16/07/2019	नर्सिंग	महाविद्यालय	कंप्यूटर कक्ष	1,500	585	440	71
								सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)	1,000		500	50
								स्टाफ कक्ष	1,000	353	220	78
								विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा	800		220	73
							छात्रावास	भोजन कक्ष	3,000	1,800	1,250	58
		11	मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	35	16/01/2021	नर्सिंग	छात्रावास	भोजन कक्ष	3,000	3,240	300	90
								रसोई घर एवं भण्डार कक्ष	1,500	1,560	140	91
							महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (पुरुष एवं महिला)		2140	896	
		12	ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	100		दंत चिकित्सा	महाविद्यालय	केंद्रीय भंडार	800		400	50
								रखरखाव कमरा	1,000		300	70
								फोटोग्राफी एवं कलाकार कक्ष	400		80	80
								मेडिकल स्टोर	300		120	60

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
			गांधीनगर भोपाल					सुविधा क्षेत्र (लड़कियों एवं लड़कों का सामान्य कक्ष, गैर-शिक्षण एवं शिक्षण स्टाफ का सामान्य कक्ष, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लॉकर रूम)	3,200		616	81
								क्लीनिकल प्रयोगशालाएँ (प्रोस्थोडोन्टिक्स + कंज़र्वेटिव दंत चिकित्सा)	3,100		1,320	57
		13	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पी.जी.	100		आयुर्वेद	महाविद्यालय	प्रशासनिक अनुभाग	3,229		1,507	53
								काया चिकित्सा विभाग	1,615		624	61
								हर्बल उद्यान	43,056		1,076	97

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
			महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरखेड़ी कला भदभदा रोड भोपाल				चिकित्सालय	चिकित्सालय प्रशासनिक खंड	1,615		226	86
								क्लीनिकल प्रयोगशाला (पैथोलॉजी, जैव रसायन)	1,615		301	81
4	गुना	14	महारानी शिवांगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च गुना	30		नर्सिंग	महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (पुरुष एवं महिला)	1,000		600	40
5	ग्वालियर	15	के.एस. होम्योपैथी मेडिकल महाविद्यालय	60	21/07/2022	होम्योपैथी	चिकित्सालय	ऑपरेशन थियेटर यूनिट		106	56	
		16	सीरम कॉलेज ऑफ	डिग्री/ बी एम एल टी-36		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	पेंट्री एवं कैंटीन	1,000		436.32	56
								पुस्तकालय	3,000		1,540	49

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
6	इंदौर		पैरामेडिकल, इंदौर	डिप./ डी एम एल टी-23 डिप./ योग-10				पीने के पानी के लिए वाटर कूलर	200		100	50
								पुरुषों के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1000		300	70
								महिलाओं के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1000		300	70
								छात्रावास भंडार	800		300	63
		17	सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, इंदौर	35	23/05/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	संकाय कक्ष	1,800	2,444	911	62
								व्याख्यान कक्ष (चार सदस्य)		4,352	2,942	
								सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग		1,820	1,304	
								बहुउद्देश्यीय कक्ष सभागार		3,015	2,291	

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
								सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)		2,016	1,364	
								स्टाफकक्ष		1,015	541	
								पुस्तकालय		2,444	1,718	
							छात्रावास	छात्रावास अतिथि कक्ष	500	516	100	80
								छात्रावास भंडार	500	510	100	80
								छात्रावास रसोई एवं भंडार कक्ष	1,500	1,560	200	87
								वार्डन कक्ष/कार्यालय	450		100	78
7	जबलपुर	18	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च, जबलपुर	60+15 (पीजी)	05/08/2019	नर्सिंग	महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)	1,000	2,000	300	70
								दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष	600	600	150	75
								संकाय कक्ष	1,800	2,400	1,000	44
							छात्रावास	छात्रावास भोजन कक्ष	3,000	3,000	200	93

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
		19	बी.आई.पी.एम.एस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जबलपुर	50 (बी एम एल टी) + 15 (एम एम एल टी)		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	एनाटॉमी प्रयोगशाला एवं फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	3,000		392	87
								सामान्य कक्ष (लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग)	2,400		512	79
								महिलाओं के लिए शौचालय	1,000		360	64
8	मंडला	20	सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, मंडला	60	28/04/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	कंप्यूटर प्रयोगशाला	1,500	1,200	456	70
								पुस्तकालय	1,800	2,000	1,084	40
								पोषण		850	658	
								बहुउद्देशीय कक्ष/ सभागार		3,200	1,911	
								दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष		900	427	

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
								छात्रावास रसोईघर एवं भण्डार कक्ष	1,500	900	212	86
		21	पायनियर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, मंडला	बी. एम. एल. टी- 32 डी. एम. एल. टी.- 47 डी. फार्मा-32 ओटी टेक.- 50 (प्रमाण पत्र)		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	शिक्षण कक्ष प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री	7,000		2,200	69
								कार्यालय अनुभाग	1,000		280	72
								एनाटॉमी प्रयोगशाला	1,500		285	81
								फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	1,500		285	81
								पुस्तकालय प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री	4,000		100	97
								पुरुषों के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1,000		100	90

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
								महिलाओं के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1,000		100	90
							छात्रावास	छात्रावास रसोईघर एवं भण्डार कक्ष	1,000		210	79
9	पन्ना	22	माधव पैरामेडिकल महाविद्यालय, पन्ना	डी एम एल टी- 50 डी फार्मा- 45 योग में डिप्लोमा -36		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	पीने का पानी के लिए वाटर कूलर	200		100	50
								पुरुषों के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1,000		500	50
10	रतलाम	23	जिला होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं	100		होम्योपैथिक	महाविद्यालय	एनाटॉमी विभाग	969		484	50
								फिजियोलॉजी विभाग	969		484	50
								होम्योपैथिक फार्मेसी प्रयोगशाला विभाग	969		484	50

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
			चिकित्सालय, रतलाम					पैथोलॉजी प्रयोगशाला विभाग	969		484	50
								स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग	646		269	58
								ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन विभाग	646		215	67
11	सागर	24	भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग कॉलेज सागर	70	21/07/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष	600	900	250	58
		25	चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सागर	डी एम एल टी- 50 डी फार्मा- 20		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	शिक्षण कक्ष (प्रमाणपत्र)	3,000		700	77
								एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	3,000		1500	50
								सामान्य कक्ष (पुरुष/ महिला)	1,000		200	80
							छात्रावास	छात्रावास में भंडार	800		400	50

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
12	सतना	26	निषाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड साइंसेज, सतना	40	28/03/2019	नर्सिंग	महाविद्यालय	छात्रावास अतिथि कक्ष	500		100	80
								छात्रावास भंडार	500		150	70
								रसोईघर एवं भण्डार कक्ष	1,500		200	87
								पोषण		900	640	
		27	स्कॉलर्स होम पैरामेडिकल कॉलेज, सतना	बी. पी. टी.-40, डी. एम. एल. टी.-10, डी. आई. पी./ एक्सरे 03/सी. ई. आर. टी./ ऑर्थो 20, सी. ई. आर. टी./ओटी 50, सी. ई. आर. टी./ एच. आई. 30		पैरामेडिकल	महाविद्यालय	एनाटॉमी प्रयोगशाला	1,500		384	74
								पेंट्री एवं कैंटीन	1,000		420	58
								कंप्यूटर प्रयोगशाला	1,000		456	54
								पुस्तकालय, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री	4,000		576	86

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	एल.आई.सी. द्वारा निरीक्षण की तिथि	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	आवश्यक क्षेत्र (वर्ग फीट)	एल.आई.सी. के अनुसार क्षेत्र फल (वर्ग फीट)	चयनित महाविद्यालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्र और अपेक्षित क्षेत्र के बीच कमियां प्रतिशत में
13	टीकमगढ़	28	राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, टीकमगढ़	32 (डी.. एम एल. टी.)	19/12/2019	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	एनाटॉमी प्रयोगशाला		1,500	1,000	
14	उज्जैन	29	पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन	60 बी. एस. सी.	19/04/2022	नर्सिंग	महाविद्यालय	कंप्यूटर प्रयोगशाला		1,700	1,088	
								सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)		2,100	726	
								पुस्तकालय		2,450	1,582	
								दृश्य श्रव्य सहायता कक्ष		700	480	

परिशिष्ट-2.2.5(स)

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.2 (i), पृष्ठ संख्या 52)

भौतिक सत्यापन में पाई गई अधोसंरचना की उपलब्धता में कमी का विवरण, जो एल.आई.सी. द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया था

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**भिंड**	1	श्री श्यामजी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, भिंड	डी.एम.एल.टी.-30 औरडिप./डी. फार्मा-20	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	शिक्षण कक्ष डिप्लोमा	3 कमरे 1000 वर्ग फुट	2020-21	02/10/2022	उल्लेख नहीं है	2 कमरे (प्रत्येक 420 वर्गफुट) कुल= 2*420= 840 वर्गफुट।
2	**भोपाल**	2	नारायणश्री होम्योपैथिक मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल	100	होम्योपैथिक	महाविद्यालय	फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सियोलोजी विभाग	646 वर्गफीट (60 वर्गमीटर)	2022-23	20/07/2022	उल्लेख नहीं है	398 वर्गफुट (लगभग)
		3	कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60	नर्सिंग	महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष के लिए एक कमरा	800 वर्गफुट	2018-19	16/07/2019	उल्लेख नहीं है	480 वर्गफुट (लगभग)

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
		4	ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर गांधीनगर भोपाल	100	दंत चिकित्सा	महाविद्यालय	केंद्रीय भंडार	800 वर्गफीट	2020-21	01/04/2022	उल्लेख नहीं है	400 वर्गफीट (लगभग)
		5	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पी.जी. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरखेड़ी कला भदभदा रोड भोपाल	100	आयुर्वेद	महाविद्यालय	प्रशासनिक अनुभाग	300 वर्गफीट	2020-21	16/03/2022	उल्लेख नहीं है	140 वर्गफीट (लगभग)
							रचना शरीर विभाग	250 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	160 वर्गफीट (लगभग)
							द्रव्य गुण विभाग	250 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	130 वर्गफीट (लगभग)
							काया चिकित्सा विभाग	150 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	58 वर्गफीट (लगभग)
							शालक्य विभाग	150 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	85 वर्गफीट (लगभग)
							हर्बल उद्यान	औषधीय पौधोंकी 2500 प्रजातियाँ			उल्लेख नहीं है	औषधीय पौधों की 100 प्रजातियाँ

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
						चिकित्सालय	चिकित्सालय प्रशासनिक खंड	150 वर्गमीटर			उल्लेख नहीं है	21 वर्गमीटर(लगभग)
							फिजियोथेरेपी यूनिट	150 वर्गमीटर			उल्लेख नहीं है	82 वर्गमीटर (लगभग)
							क्लीनिकल प्रयोगशाला (पैथोलॉजी, जैवरसायन)	150 वर्गमीटर			उल्लेख नहीं है	28 वर्गमीटर (लगभग)
							रेडियोलॉजी अनुभाग	100 वर्गमीटर			उल्लेख नहीं है	56 वर्गमीटर (लगभग)
3	**ग्वालियर**	6	वी.आई.एस. एम. कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	50	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	प्रधान प्रकोष्ठ/ नोडल अधिकारी	350 वर्गफीट	2020-21	30/03/2022	उल्लेख नहीं है	270 वर्गफीट (लगभग)
							एनाटॉमी प्रयोगशाला	1500 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	1092 वर्गफीट. (लगभग)
							फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	1500 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	1092 वर्गफीट. (लगभग)
						छात्रावास	छात्रावास कक्ष	दो छात्रों के लिए 200 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	120 वर्गफीट प्रति दो छात्र

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
							छात्रावास बाथरूम	प्रति दो छात्रों पर एक			उल्लेख नहीं है	प्रति 4 छात्रों में से एक
							छात्रावास शौचालय	प्रति दो छात्रों पर एक			उल्लेख नहीं है	प्रति 4 छात्रों पर एक
4	**इंदौर**	7	सीरम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज	डीईजी./ बीएमएलटी-36 डिप./डीएमएल टी-47 एक्स-रे - 03 योग-08	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	शिक्षण कक्ष प्रमाणपत्र	2 कमरे 1000 वर्गफुट	2020-21	08/04/2022	उल्लेख नहीं है	6 कमरे; 910, 910, 445, 448, 1294, 455 कुल क्षेत्रफल = 4562 वर्गफुट. (लगभग)
							डिप्लोमा	3 कमरे 1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	
							डिग्री	4 कमरे 1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	
							कार्यालय अनुभाग	1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	746 वर्गफीट (लगभग)
							पेंट्री और कैंटीन	1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	436.32 वर्गफीट (लगभग)
							पुस्तकालय प्रमाणपत्र	1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	1540 वर्गफीट. (लगभग)

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
							डिप्लोमा	1000 वर्गफुट			उल्लेखनहीं है	
							डिग्री	2000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	
							पीनेकेपानीकेलिए वाटरकूलर	200 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	100 वर्गफुट (लगभग)
							पुरुषों के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	300 वर्गफुट (लगभग)
							महिलाओं के लिए शौचालय (शौचालय/ वॉशबेसिन)	1000 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	300 वर्गफुट (लगभग)
						छात्रावास	छात्रावास कक्ष	दो छात्रों के लिए 200 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	120 वर्गफीट प्रति दो छात्र
							छात्रावास बाथरूम	प्रति दो छात्रों पर एक			उल्लेख नहीं है	तीन छात्रों पर एक

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
							छात्रावास शौचालय	प्रति दो छात्रों पर एक			उल्लेख नहीं है	तीन छात्रों पर एक
							छात्रावास भंडार	800 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	300 वर्गफीट (लगभग)
							रसोई और भंडार गृह	500-500 वर्गफीट			उल्लेख नहीं है	300 वर्गफुट (लगभग।)
		8	सफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस, इंदौर		नर्सिंग	छात्रावास	वार्डन कक्ष/ कार्यालय	150 वर्गफीट प्रति वार्डन अधिकतम 450 वर्गफीट	2020-21	23/05/2022	उल्लेख नहीं है	100 वर्गफुट (लगभग।)
5	**जबलपुर**	9	पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ, जबलपुर	100	आयुर्वेदिक	महाविद्यालय	काया चिकित्सा विभाग ,	150 वर्गमीटर	2021-22	15/04/2022	उल्लेख नहीं है	निर्माणाधीन
		10	बी.आई.पी.एम. एस. इंस्टीट्यूट	15 (एमएमएलटी)	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	एनाटॉमी प्रयोगशाला और	1500+1500 वर्गफीट	2020-21	20/06/2022	उल्लेख नहीं है	392 वर्गफीट (लगभग)

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
			ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जबलपुर				फिजियोलॉजी प्रयोगशाला					
6	**मंडला**	11	पायनियर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, मंडला	डीएमएलटी -47 बीएमएलटी -32 डी.फार्मा-32	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	शिक्षण कक्ष प्रमाणपत्र डिप्लोमा डिग्री	2 कमरे 1000 वर्गफुट	2020-21	29/04/2022	उल्लेख नहीं है	7 कमरे (325, 465, 300, 300, 285, 285, 240) = 2200 वर्गफीट (लगभग)
7	**पन्ना**	12	माधव पैरामेडिकल महाविद्यालय	डीएमएलटी -50 डी.फार्मा-45 योग में डिप्लोमा - 36		महाविद्यालय	अध्ययन कक्ष सभी पाठ्यक्रमों के लिए 15 कमरे आवश्यक हैं (1 प्रमाणपत्र, 3 डिप्लोमा, 1 डिग्री)	15 कमरे (प्रत्येक 1000 वर्गफीट)	2020-21	22/04/2022	उल्लेख नहीं है	6 कमरे (704, 616, 660, 700, 702, 702) = 4084 वर्गफीट (लगभग)
8	**रतलाम**	13	जिला होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं	100	होम्योपैथिक	महाविद्यालय	एनाटॉमी विभाग	90 वर्गमीटर	एलआईसी में उल्लेख नहीं	21/07/2022	उल्लेख नहीं है	लगभग 45 वर्गमीटर

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
			चिकित्सालय, रतलाम									
9	**सागर**	14	चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सागर	डीएमएलटी-50 डी. फार्मा (आयुर्वेद)-20	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	प्रमाणपत्र (शिक्षण कक्ष)	2x1000 वर्गफुट	एलआईसी में उल्लेख नहीं	21/11/2019	उल्लेख नहीं है	1x700 वर्गफुट (लगभग)
							एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	2x1500 वर्ग. फुट			उल्लेख नहीं है	1x1500 वर्गफुट (लगभग)
							सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)	2200 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	200 वर्गफीट (लगभग)
						छात्रावास	छात्रावास में भंडार	800 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	400 वर्गफुट (लगभग)
10	**सतना**	15	निषाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड साइंसेज, सतना			महाविद्यालय	सामान्य कक्ष (पुरुष/महिला)	900 वर्गफुट	एलआईसी में उल्लेख नहीं	28/03/2019	उल्लेख नहीं है	381+611=992 वर्गफुट.
						छात्रावास	छात्रावास अतिथि कक्ष	900 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	100 वर्गफीट (लगभग)
							छात्रावास भंडार	900 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	150 वर्गफीट (लगभग)
							रसोईघर और भण्डार कक्ष	900 वर्गफुट			उल्लेख नहीं है	200 वर्गफीट (लगभग)

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
		16	स्कॉलर्स होम पैरामेडिकल कॉलेज, सतना	बी.पी.टी.-40, डी.एम.एल.टी.-10, डी.आई.पी./एक्सरे 03/ सी.ई.आर.टी./ऑर्थो 20, सी.ई.आर.टी./ओटी 50, सी.ई.आर.टी./एच.आई. 30	पैरामेडिकल		शिक्षण कक्ष (3 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 3 डिप्लोमा पाठ्यक्रम और 2 डिग्री पाठ्यक्रम)	23*1000 वर्गफीट	2020-21	31/03/2022	उल्लेख नहीं है	24 कमरे, प्रत्येक का क्षेत्रफल 440 वर्गफुट (लगभग)
11	**टीकमगढ़**	17	राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, टीकमगढ़	32-डी.एम.एल.टी.	पैरामेडिकल	महाविद्यालय	फिजियोलॉजी प्रयोगशाला	1500 वर्गफुट	2018-19	19/12/2019	उल्लेख नहीं है	संयुक्त लगभग 1000 वर्गफुट

जिले की क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालय का क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रवेश क्षमता	संकाय	महाविद्यालय/ चिकित्सालय	कमरे/कक्ष/ सुविधाओं का नाम	अपेक्षित क्षेत्र	शैक्षणिक सत्र के लिए एल.आई.सी. का निरीक्षण	एल.आई.सी. के निरीक्षण की तिथि	एल.आई.सी. के अनुसार उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल	चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल
12	**उज्जैन**	18	आर. डी. गार्डी मेडिकल महाविद्यालय	150 एम.बी.बी.एस.	चिकित्सा	महाविद्यालय	जीव रसायन	240 वर्गमीटर	2020-21	12/03/2022	उल्लेख नहीं है	203 वर्गमीटर (लगभग)

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.2.8.2 (i), पृष्ठ संख्या 53)

छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण प्रतिक्रिया में चिह्नित सुविधाओं की कमी वाले महाविद्यालयों की सूची (कम्प्यूटर सुविधाएं)

क्र. सं.	महाविद्यालयों का नाम	छात्रों की संख्या
1	अल फारूक यूनानी मेडिकल कॉलेज इंदौर	6
2	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास	1
3	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास (पैरामेडिकल)	4
4	अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर	7
5	अरिहंत महाविद्यालय इंदौर (पैरामेडिकल)	1
6	बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर	6
7	जिला होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	6
8	डॉ. एस पी सिंह विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, भोपाल	3
9	शासकीय जी.एन.एम. स्कूल झाबुआ	3
10	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	2
11	शासकीय पैरामेडिकल महाविद्यालय, शिवपुरी	5
12	हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय (स्वायत्त) यूनानी मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल	6
13	के. एस. होम्योपैथिक महाविद्यालय, पिपरौली, ग्वालियर	1
14	कस्तूरबा महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग, भेल, भोपाल	1
15	लक्ष्मण सेठ नर्सिंग महाविद्यालय, दिनारा, शिवपुरी	3
16	महारानी शिवांगी महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुना	5
17	एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज, इंदौर	6
18	मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	1
19	ओम आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल, बैतूल	1
20	पायनियर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, मंडला	7
21	पं. डॉ. शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय, रतलाम	4
22	आर. डी. गार्डी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन	2
23	आर. डी. मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल	3
24	राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, टीकमगढ़	3
25	राजदीप इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल भोपाल	3
26	ऋषिराज डेंटल कॉलेज भोपाल	4
27	एस. के. आर. पी. गुजराती होम्योपैथी मेडिकल महाविद्यालय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर	2
28	सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, खैरी, मंडला (म.प्र.)	2
29	श्री श्यानजी पैरामेडिकल महाविद्यालय, महगांव , भिंड	1

क्र. सं.	महाविद्यालयों का नाम	छात्रों की संख्या
30	शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय इंदौर	2
31	वीनस महाविद्यालय ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल (पैरामेडिकल)	6
32	वी एन एस महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग, भोपाल	2
	योग	**109**

(खेल एवं मनोरंजन सुविधाएं)

क्रम सं.	महाविद्यालयों का नाम	छात्रों की संख्या
1	अल फारूक यूनानी मेडिकल महाविद्यालय इंदौर	6
2	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास	4
3	आरोग्य इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग, रतलाम	2
4	बी. आई. पी. एम. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जबलपुर	3
5	बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर	8
6	चैतन्य कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सागर	1
7	कॉर्पोरेट महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग भोपाल	1
8	जिला होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	9
9	डॉ. एस. पी. सिंह विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, भोपाल	6
10	गणपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	1
11	शासकीय जी. एन. एम. स्कूल झाबुआ	4
12	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	2
13	शासकीय पैरामेडिकल महाविद्यालय, शिवपुरी	6
14	ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज देवास (नर्सिंग)	4
15	एच. ए. एच. यूनानी मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय देवास	6
16	हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय (स्वायत्त) यूनानी मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल	4
17	जय नारायण कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	1
18	के. एस. होम्योपैथिक महाविद्यालय, पिपरौली , ग्वालियर	8
19	लक्ष्मण सेठ महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग, दिनारा, शिवपुरी	3
20	माधव पैरामेडिकल महाविद्यालय, पन्ना	10
21	महारानी शिवांगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुना	5
22	महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, भोपाल	2
23	मेहको नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	10
24	एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज, इंदौर	9
25	नारायण श्री होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज, भोपाल	4
26	पायनियर कॉलेज ऑफ़ पैरामेडिकल साइंसेज, मंडला	10
27	पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एंड अनुसंधान पीठ जबलपुर	5
28	पं. डॉ. शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, रतलाम	3
29	आर. डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन	1

क्रम सं.	महाविद्यालयों का नाम	छात्रों की संख्या
30	आर. डी. मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल	1
31	राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, टीकमगढ़	2
32	राजदीप इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल भोपाल	5
33	ऋषिराज डेंटल कॉलेज भोपाल	1
34	स्कॉलर्स होम पैरामेडिकल कॉलेज, डालीबाबा, सतना	10
35	श्री श्यानजी पैरामेडिकल कॉलेज, महगांव , भिंड	7
36	एस. एम. एस. एनर्जी नर्सिंग कॉलेज, इंदौर	4
37	उज्जैन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड फिजियोथेरेपी, उज्जैन	1
38	वीनस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल (पैरामेडिकल)	8
39	वाइटल पैरामेडिकल कॉलेज, झाबुआ	4
	योग	**181**

(यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक समिति)

क्रम सं.	महाविद्यालयों का नाम	छात्रों की संख्या
1	अल फारूक यूनानी मेडिकल महाविद्यालय इंदौर	4
2	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास	1
3	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास (पैरामेडिकल)	2
4	अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर	1
5	अरिहंत महाविद्यालय इंदौर (पैरामेडिकल)	5
6	आरोग्य इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग, रतलाम	10
7	बी. आई. पी. एम. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जबलपुर	3
8	कैरियर महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग भोपाल	1
9	चिरायु मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	1
10	कॉर्पोरेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	5
11	जिला होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	8
12	डॉ. एस. पी. सिंह विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान, भोपाल	8
13	गणपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	3
14	शासकीय जी. एन. एम. स्कूल झाबुआ	6
15	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	8
16	ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज देवास (नर्सिंग)	7
17	एच. ए. एच. यूनानी मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय देवास	5
18	हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय (स्वायत्त) यूनानी मेडिकल महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल	4
19	हितकारिणी डेंटल महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल जबलपुर	1
20	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च	3
21	जय नारायण कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	4

क्रम सं.	महाविद्यालयों का नाम	छात्रों की संख्या
22	के. एस. होम्योपैथिक कॉलेज, पिपरौली, ग्वालियर	10
23	कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भेल, भोपाल	2
24	के. एन. पी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	3
25	माधव पैरामेडिकल महाविद्यालय, पन्ना	1
26	महारानी शिवांगी महाविद्यालय ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुना	9
27	महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, भोपाल	2
28	मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	1
29	नारायण श्री होम्योपैथी मेडिकल महाविद्यालय, भोपाल	1
30	ओमकार महाविद्यालय ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (पैरामेडिकल), गुना	4
31	पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन	2
32	पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान पीठ जबलपुर	4
33	पं. डॉ. शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, रतलाम	9
34	आर. डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन	7
35	राय इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, टीकमगढ़	9
36	राजदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल भोपाल	9
37	ऋषिराज डेंटल कॉलेज भोपाल	2
38	एस. डी. महाविद्यालय ऑफ पैरामेडिकल साइंस, बैतूल	2
39	एस. के. आर. पी. गुजराती होम्योपैथी मेडिकल महाविद्यालय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर	5
40	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जावरा, रतलाम	9
41	सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, खैरी, मंडला (म.प्र.)	10
42	सीरम ऑफ पैरामेडिकल साइंस इंदौर	1
43	श्री श्यानजी पैरामेडिकल कॉलेज, महगांव , भिंड	7
44	शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इंदौर	1
45	एस. एम. एस. एनर्जी नर्सिंग कॉलेज, इंदौर	10
46	सुन्दर देवी नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	9
47	उज्जैन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड फिजियोथेरेपी, उज्जैन	1
48	वीणा वादिनी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	5
49	वीनस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल (पैरामेडिकल)	9
50	विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैतूल	2
51	वी. आई. एस. एम. ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर	8
52	वाइटल पैरामेडिकल कॉलेज झाबुआ	5
53	वी. एन. एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	7
	योग	**256**

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.3, पृष्ठ संख्या 64)

भारत सरकार द्वारा जारी राशि एवं उसके विरूद्ध किये गए व्यय का परियोजना वार विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
1.	तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, पारंपरिक फसल की उत्पादकता में वृद्धि, कृषि-प्रगति एवं बाजार संपर्क के माध्यम से पारंपरिक कृषि (कोदो एवं कुटकी) का संरक्षण	डिंडौरी	2017-18	4310.60	1436.88	2873.76	2873.76	1519.79	एम.पी.एम.वी.वी.एन.
	कम उपयोग किए जाने वाले बाजरा (कोदो एवं कुटकी) के भौतिक-रासायनिक तथा पोषण संबंधी विशेषताओं पर अध्ययन एवं मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास			93.36	31.12	62.24	62.24	उपलब्ध नहीं कराया	एन.आई.एफ.टी.ई.एम. - हरियाणा
2.	पी.वी.टी.जी. सांस्कृतिक केंद्र	भोपाल, डिंडौरी श्योपुर एवं छिंदवाड़ा	2016-17	4393.00	3544.00	849.00	849.00	उपलब्ध नहीं कराया	सांस्कृतिक विकास (छिंदवाड़ा, डिंडौरी एवं शिवपुरी के लिए) एवं

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
									वन्या प्रकाशन (भोपाल के लिए)
3.	सहरिया के तहत गहन तपेदिक नियंत्रण परियोजना	शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, एवं गुना	2016-17	1962.74	1097.00	539.00	539.00	539.00	आई.सी.एम.आर.- जनजातीय स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय शोध संस्थान, जबलपुर (राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा हस्तांतरित राशि)
4.	आयुष परियोजना-सिकल सेल विकार से पीड़ित पी.वी.टी.जी. के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोपाल	2017-18	358.74	255.72	103.02	103.02	298.28	शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोपाल
5.	पांच चयनित जिलों में पी.वी.टी.जी. के लिए पांच स्टेट ऑफ़ आर्ट कंप्यूटर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र	छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, शहडोल एवं शिवपुरी	2017-18	2984.00	2000.00	984.00	984.00	1474.05	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) भोपाल पी.आई.यू. पी.डब्ल्यू.डी. एवं एमएपीसीईटी

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
6.	सिंगल फेज विद्युत पंप आधारित नल जल योजना (पीएचई विभाग)	ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना , भिंड, शहडोल, , अनूपपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा	2018-19	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	1267.27	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
7.	सोलर पंप योजना (म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड)	मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, एवं छिंदवाड़ा	2018-19	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	1144.73	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम
8.	कॉमन फैसिलिटी सेंटर (हल्दी, शहद, सरसों प्रसंस्करण) के माध्यम से क्लस्टर का विकास	मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी	2018-19	211.19	0.00	211.19	211.19	68.16[73]	क्लस्टर स्तरीय संघों (सी.एल.एफ.) के माध्यम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) भोपाल

[73] ₹68.16 लाख का व्यय केवल चयनित जिलों अर्थात श्योपुर (₹18.63 लाख) और शिवपुरी (₹49.53 लाख) से संबंधित है। मुरैना जिले का व्यय उपलब्ध नहीं है।

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
9.	मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में पाए जाने वाले आयुर्वेद औषधीय पौधों पर मानकीकरण के साथ-साथ सर्वेक्षण सह अन्तःक्षेपी अध्ययन करने का प्रस्ताव	मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर एवं शहडोल	2018-19	600.00	0.00	600.00	600.00	410.79	पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
10.	20 छात्रावास का निर्माण (बालिका/बालक)	सभी 15 पी.वी.टी.जी. जिले	2019-20	4400.00	0.00	3890.00	3787.20	2018.29 [74]	पीआईयू/पीडब्ल्यूडी और मप्र आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड संभाग II, जेपीबी
11.	एफ.आर.ए.-एन.आर.एल.एम.पी. के तहत प्राप्त भूमि के इष्टतम उपयोग से बैगा आदिवासियों की आजीविका पर प्रभाव	डिंडौरी	2019-20	983.20	0.00	983.20	983.20	295.17	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) भोपाल
12.	संभाग (3), जिला (10) एवं ब्लॉक स्तर (37) पर 50 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण	सभी 15 पी.वी.टी.जी. जिले	2019-20	3450.00	0.00	2940.40	2850.00	1218.18	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एम.पी.एस.टी.डी.सी.) एवं मध्य प्रदेश राज्य

[74] ₹ 2018.29 लाख का व्यय केवल चयनित जिलों से संबंधित है। अन्य जिलों के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
									सहकारी आवास संघ लिमिटेड, भोपाल
13.	आरंभिक परियोजना के रूप में कड़कनाथ परियोजना	छिंदवाड़ा, शिवपुरी, श्योपुर एवं बालाघाट	2019-20	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00 [75]	पशुपालन एवं डेयरी विभाग
14.	सभी आवासीय संस्थानों में सोलर गीजर प्रणाली की स्थापना	अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, शहडोल, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना, श्योपुर, मुरैना, उमरिया एवं अशोकनगर	2019-20	2600.00	0.00	2600.00	2600.00	872.63 [76]	कलेक्टर, टी.ए.डी.

[75] शिवपुरी (₹28.25 लाख), श्योपुर (₹15.25 लाख), बालाघाट (₹28.25 लाख एवं छिंदवाड़ा (₹28.25 लाख)।

[76] ₹ 872.63 लाख का व्यय केवल चयनित जिलों से संबंधित है। अन्य जिलों के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
15.	प्रशासनिक व्यय	लागू नहीं	2019-20	160	लागू नहीं	160.00	लागू नहीं	72.3	सी.टी.ए.डी.
16.	आठ जिलों में पी.वी.टी.जी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 370 कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाएं	मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल एवं श्योपुर	2020-21	2183.00	0.00	2183.00	2183.00	739.25[77]	कलेक्टर, टी.ए.डी.
17.	10 जिलों में पी.वी.टी.जी. ब्लॉक मुख्यालयों पर 10 सामुदायिक केंद्र	चंदेरी, तामिया, मोहगांव, भितरवार, परसवारा, करेरा, दतिया, पहाड़गढ़, कराहल एवं पाली-2	2020-21	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00 (आई.ए. को निधि जारी नहीं की गई)	
18.	छः पी.वी.टी.जी. छात्रावासों में अतिरिक्त सुविधा	इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर	2020-21	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00 (आई.ए. को निधि जारी नहीं की गई)	

[77] ₹739.25 लाख का व्यय केवल चयनित जिलों से संबंधित है। अन्य जिलों के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

स.क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि	अप्रैल 2018 से पूर्व जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि	अवधि 2018-23 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी को जारी राशि	अवधि 2018-23 के दौरान किया गया व्यय	क्रियान्वयन एजेंसी
19.	मंडला जिले में बैगा महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम	मवाई, बिछिया, मोहगांव, एवं बीजाडांडी खंड	2020-21	47.10	0.00	47.10	47.10	0.00	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मंडला
20.	पी.वी.टी.जी. जिलों के लिए आंगनवाड़ी भवन सह-शिक्षा केंद्र विकास	सभी 15 पी.वी.टी.जी. जिले	2021-22	4521.60	0.00	3383.10	3383.10	1288.37 [78]	पी.आई.यू. पी.डब्ल्यू.डी.

[78] ₹1288.37 लाख का व्यय केवल चयनित जिलों से संबंधित है। अन्य जिलों के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

परिशिष्ट-2.3.2

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.4.4 (ii), पृष्ठ संख्या 73)

सोलर पंपों एवं सहायक उपकरणों की अनियमित खरीद का विवरण

स.क्र.	विकासखंड का नाम	फर्म का नाम	खरीदी गई वस्तुओं का विवरण	देयक सं.	देयक की तिथि	राशि (₹ में)
1.	बजाग	श्री इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू मार्केट, भोपाल	पाइप एवं सभी आवश्यक कार्यों के साथ सोलर पंप सेट (7 सेट 8.00 लाख प्रति सेट की दर से)	325/22	30.03.22	56,00,000
2.	बजाग	--तदैव--	सभी आवश्यक कार्यों के साथ 1012.66 मीटर पाइप	398/22	14.05.22	4,00,000
3.	समनापुर	--तदैव--	सभी आवश्यक कार्यों के साथ सोलर पंप सेट, पाइप एवं अन्य सहायक उपकरण	305/22	27.03.22	7,97,970
4.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	306/22	28.03.22	8,08,765
5.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	304/22	27.03.22	7,94,185
6.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	312/22	20.11.22	7,97,670
7.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	365/22	21.12.22	8,10,670
8.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	369/22	25.12.22	7,98,360
9.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	307/22	29.03.22	7,98,195
10.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	308/22	30.03.22	7,94,185
11.	समनापुर	--तदैव--	सभी आवश्यक कार्यों के साथ 2191.78 मीटर पाइप	226/22	10.04.22	8,00,000
12.	समनापुर	--तदैव--	सभी आवश्यक कार्यों के साथ सोलर पंप सेट, पाइप और अन्य सहायक उपकरण	410/23	25.04.23	8,00,360
13.	समनापुर	--तदैव--	--तदैव--	468/23	29.06.23	7,99,640
14.	करंजिया	ग्रीनओवेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	सभी आवश्यक कार्यों के साथ सौर पंप सेट, पाइप एवं अन्य सहायक उपकरण	उपलब्ध नहीं	01.12.22	7,74,042

स.क्र.	विकासखंड का नाम	फर्म का नाम	खरीदी गई वस्तुओं का विवरण	देयक सं.	देयक की तिथि	राशि (₹ में)
15.	करंजिया	--तदैव--	--तदैव--	उपलब्ध नहीं	01.12.22	7,46,123
16.	करंजिया	--तदैव--	--तदैव--	उपलब्ध नहीं	01.12.22	7,22,193
	कुल					**1,70,42,358**

परिशिष्ट-2.3.3

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5.3 (ii), पृष्ठ संख्या 79)

चयनित जिलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की स्थिति

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	स्थापित की जाने वाली स्मार्ट कक्षाओं की संख्या	एस.एन.ए. के चाइल्ड खाते के माध्यम से प्रदान की गई राशि	स्थापित स्मार्ट कक्षाओं की संख्या	स्थापित नहीं की गई स्मार्ट कक्षाओं की संख्या	किया गया व्यय	एकल नोडल खाते में अव्ययित राशि	आई.ए.	स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना न होने के कारण
1.	अनूपपुर	67	395.30	00	67	0.00	395.30	जिले के ए.सी.टी.ए.डी.	स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए निविदा को अंतिम रूप देने के लिए पांच बार प्रयास किये गए थे लेकिन विभिन्न कारणों से निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका
2.	छिंदवाड़ा	53	312.70	53	00	312.54	0.16	--तदैव--	लागू नहीं
3.	डिंडोरी	54	318.60	54	00	318.54	0.06	--तदैव--	लागू नहीं
4.	श्योपुर	10	59.00	08	02	40.43	18.57	--तदैव--	स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए क्रमशः जी.एच.एस. पनार एवं जी.एच.एस.एस. आवासीय के स्थान पर जी.एच.एस. गोरस एवं जी.एच.एस. जाखड़ा का चयन (जून 2023) किया गया था, क्योंकि जी.एच.एस. पनार को चयनित संस्थानों की सूची में दो बार शामिल

स.क्र.	**जिले का नाम**	**स्थापित की जाने वाली स्मार्ट कक्षाओं की संख्या**	**एस.एन.ए. के चाइल्ड खाते के माध्यम से प्रदान की गई राशि**	**स्थापित स्मार्ट कक्षाओं की संख्या**	**स्थापित नहीं की गई स्मार्ट कक्षाओं की संख्या**	**किया गया व्यय**	**एकल नोडल खाते में अव्ययित राशि**	**आई.ए.**	**स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना न होने के कारण**
									किया गया था तथा जी.एच.एस.एस. आवासीय में पहले से ही स्मार्ट कक्षा मौजूद था। लेकिन, इन विद्यालयों में आज तक (जनवरी 2024) स्मार्ट कक्षाएं स्थापित नहीं की जा सकीं।
5.	उमरिया	13	76.70	13	00	67.74	8.96	--तदैव--	लागू नहीं
	कुल	**197**	**1162.30**	**128**	**69**	**739.25**	**423.05**		

परिशिष्ट-2.3.4

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5.5 (i), पृष्ठ संख्या 81)

चयनित जिलों में छात्रावासों के निर्माण की स्थिति

(₹ लाख में)

स.क्र.	स्थान का नाम जहाँ छात्रावास का निर्माण किया गया था	आई.ए. का नाम	ए.एस. की राशि	एग्रीमेंट निष्पादित किया गया	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ की तिथि	भूमि आवंटन की तिथि	कार्य की लागत	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण किये गए कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	देरी का कारण
वरिष्ठ जनजातीय बालक छात्रावास												
1.	लेंधरा	पी.आई.यू. अनूपपुर	206.50	08-05-20	08-05-20	16-05-20	नहीं पाया गया	175.63	01.02.21 को पूर्ण	07-05-21	प्रक्रियाधीन	कोई बिलम्ब नहीं
2.	करपा	पी.आई.यू. अनूपपुर	206.50	03.06.20	03-06-20	13-06-21	नहीं पाया गया	114.80	अपूर्ण (फिनिशिंग स्तर)	02-06-21	अपूर्ण	बजट की कमी
3.	गौरपानी	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	206.50	13.01.20	13.01.20	29.06.20	31.12.19	179.23	07.01.2022 को पूर्ण	12.09.20	08.03.22	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में देरी
4.	छिंदवाड़ा	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	206.50	13.01.20	13.01.20	21.02.20	20.01.20	197.35	28.09.2021 को पूर्ण	12.09.20	30.03.22	ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में देरी

स.क्र.	स्थान का नाम जहाँ छात्रावास का निर्माण किया गया था	आई.ए. का नाम	ए.एस. की राशि	एग्रीमेंट निष्पादित किया गया	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ की तिथि	भूमि आवंटन की तिथि	कार्य की लागत	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण किये गए कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	देरी का कारण
5.	नंदनवाड़ी	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	206.50	13.01.20	13.01.20	30.05.20	31.12.19	80.98	अपूर्ण (फिनिशिंग लेवल)	12.09.20	अपूर्ण	कार्य की धीमी प्रगति
6.	धनेगाँव	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	206.50	13.01.20	13.01.20	15.02.20	31.12.19	134.58	अपूर्ण (फिनिशिंग लेवल)	12.09.20	अपूर्ण	कार्य की धीमी प्रगति
7.	पलटवाड़ा	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	206.50	04.03.20	04.03.20	2.06.20	31.12.19	158.59	अपूर्ण (फिनिशिंग लेवल)	03.11.20	अपूर्ण	कार्य की धीमी प्रगति
8.	अमरवाड़ा	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	206.50	01.11.22	01.11.22	01.11.23	20.01.20	48.32	अपूर्ण (फिनिशिंग लेवल)	31.07.23	अपूर्ण	कार्य की धीमी प्रगति
वरिष्ठ जनजातीय बालिका छात्रावास												
9.	हर्रा	पी.आई.यू. डिंडोरी	220.80	20.02.19	18.3.20	19.3.20	15.02.20	164.40	08.05.2023 को पूर्ण	18.01.21	26.05.23	-
10.	कनेरी	पी.आई.यू. डिंडोरी	220.80	19.12.19	26.2.20	27.2.20	23.01.20	175.60	25.08.2022 को पूर्ण	26.12.20	06.07.23	-

स.क्र.	स्थान का नाम जहाँ छात्रावास का निर्माण किया गया था	आई.ए. का नाम	ए.एस. की राशि	एग्रीमेंट निष्पादित किया गया	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ की तिथि	भूमि आवंटन की तिथि	कार्य की लागत	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण किये गए कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	देरी का कारण
11.	जामगांव	पी.आई.यू. डिंडोरी	220.80	उपलब्ध नहीं	10.06.20	11.06.20	29.02.20	203.27	31.03.2022 को पूर्ण	10.04.21	25.05.22	-
12.	नेवसा	पी.आई.यू. डिंडोरी	220.80	13.12.19	26.02.20	14.06.21	05.02.20	217.43	31.03.2022 को पूर्ण	26.12.20	13.04.22	-
वरिष्ठ जनजातीय बालक छात्रावास												
13.	सक्का	पी.आई.यू. डिंडोरी	206.50	उपलब्ध नहीं	19.03.20	20.03.21	25.09.19	168.11	15.08.2023 को पूर्ण	19.01.21	06.02.24	-

परिशिष्ट-2.3.5

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5.6 (i), पृष्ठ संख्या 82)

पी.टी.ए. द्वारा सोलर गीजर की स्थापना की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित किये जाने थे	भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि	पी.टी.ए खाते में जमा की गई राशि	संस्थानों की संख्या जहाँ सोअर गीजर स्थापित किये गए	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित नहीं किये गए	किया गया व्यय	पीटीए खातों में अव्ययित राशि	कारण
1.	अनूपपुर	17	41.42	41.42	0	17	0.00	41.42	सोलर गीजर की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर थी ।
2.	छिंदवाड़ा	30	75.53	75.53	0	30	0.00	75.53	जिला नवीकरणीय ऊर्जा अधिकारी द्वारा सोलर गीजर की दरें निर्धारित न होने तथा इकाइयों का चयन न होने के कारण खरीद नहीं की जा सकी।
3.	डिंडोरी	12	29.24	29.24	--	--	--	--	ए.सी.टी.ए.डी., डिंडोरी ने जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये ।
4.	श्योपुर	56	158.37	158.37	53	03	143.00	15.37	तीन संस्थानों में कार्य पूरा नहीं हो सका, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा ।
5.	शिवपुरी	06	14.62	14.62	0	06	12.60	2.04	कार्य प्रक्रियाधीन था ।

स.क्र.	जिले का नाम	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित किये जाने थे	भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि	पी.टी.ए खाते में जमा की गई राशि	संस्थानों की संख्या जहाँ सोअर गीजर स्थापित किये गए	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित नहीं किये गए	किया गया व्यय	पीटीए खातों में अव्ययित राशि	कारण
6.	उमरिया	53	148.62	148.62	53	0	0.00	148.62	सोलर गीजर स्थापित किये गए थे लेकिन पी.टी.ए. द्वारा कार्य के सत्यापन के बाद फर्म को भुगतान अभी तक नहीं किया गया था
	कुल	**174**	**467.8**	**467.8**	**106**	**56**	**155.60**	**282.98**	

परिशिष्ट-2.3.6

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5.6 (i), पृष्ठ संख्या 82)

कलेक्टर/ए.सी.टी.ए.डी. द्वारा सोलर गीजर की स्थापना की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित किये जाने थे	भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि (₹ लाख में)	एस.एन.ए. के चाइल्ड खाते में निर्धारित सीमा (₹ लाख में)	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित किये गए	संस्थानों की संख्या जहाँ सोलर गीजर स्थापित नहीं किये गए	किया गया व्यय	अव्ययित राशि	सोलर गीजर की स्थापना नही होने के कारण
1.	अनूपपुर	69	182.74	182.74	0	69	0.00	182.74	क्रय समिति के गठन (नवंबर 2022), निविदा आमंत्रण एवं अंतिम रूप देने में देरी
2.	छिंदवाड़ा	119	331.85	331.85	119	0	325.45	6.40	लागू नहीं
3.	डिंडोरी	114	324.05	324.05	114	0	318.07	5.98	लागू नहीं
4.	शिवपुरी	42	104.77	104.77	0	42	73.51	31.26	सोलर गीजर स्थापित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी
	कुल	**344**	**943.41**	**943.41**	**233**	**111**	**717.03**	**226.38**	

परिशिष्ट-2.3.7

(संदर्भ: कंडिका क्रमांक 2.3.5.7, पृष्ठ संख्या 83)

चयनित जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति

(₹ लाख में)

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
1.	खमरौड़	पी.आई.यू. अनूपपुर	16-12-22	29-12-22	निरंक	13.48	समापन चरण	16-03-23	अपूर्ण	अपूर्ण	दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र एवं पानी की अनुपलब्धता के कारण
2.	थुनगुनी	पी.आई.यू. अनूपपुर	10-01-23	01-02-23	निरंक	17.50	छत स्तर	10-06-23	अपूर्ण	अपूर्ण	
3.	धुराधर	पी.आई.यू. अनूपपुर	10-01-23	01-02-23	निरंक		समापन स्तर	10-06-23	अपूर्ण	अपूर्ण	
4.	बुल्हुपानी	पी.आई.यू. अनूपपुर	28-12-22	13-03-23	निरंक	13.05	समापन चरण	28-03-23	अपूर्ण	अपूर्ण	
5.	सितलपानी	पी.आई.यू. अनूपपुर	28-12-22	06-04-23	निरंक	14.01	समापन चरण	28-03-23	अपूर्ण	अपूर्ण	
6.	डोंगरिया	पी.आई.यू. अनूपपुर	28-12-22	कार्य अप्रारम्भ	निरंक	0	अप्रारम्भ	27-06-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	आंगनबाड़ी इस गाँव में पहले से था. स्थान में परिवर्तन के
7.	डोंगरिया	पी.आई.यू. अनूपपुर	28-12-22	कार्य अप्रारम्भ	निरंक	0	अप्रारम्भ	27-06-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
											कारण कार्य शुरू नहीं किया गया
8.	कुम्हानी	पी.आई.यू. अनूपपुर	28-12-22	13-03-23	निरंक	24.41	पूर्ण	27-06-23	15-08-23	प्रक्रियाधीन	-
9.	अवादा बंजाराबस्ती	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	10.11.2022	26.12.2022	उपलब्ध नहीं	12.37	समापन स्तर	09.11.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में एक माह की देरी
10.	बरधा-बी	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	10.11.22	26.12.2022	उपलब्ध नहीं	13.31	समापन स्तर	09.11.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में एक माह की देरी
11.	धेंगदा	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	10.11.22	23.06.2023	उपलब्ध नहीं	2.62	प्लिंथ स्तर	09.11.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में छः माह की देरी
12.	नयागांव लाखा	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	21.12.22	03.10.2023	उपलब्ध नहीं	5.38	छत स्तर	20.12.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में दस माह की देरी
13.	बरधा बंजारा	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	21.12.22	23.06.2023	उपलब्ध नहीं	13.6	समापन स्तर	20.12.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में छः माह की देरी
14.	बावड़ी छापा- ए	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	21.12.22	05.01.2023	उपलब्ध नहीं	21.66	पूर्ण	20.12.2023	18.12.2023	जनवरी 2024 तक नहीं सौंपा गया	उपलब्ध नहीं
15.	बरगवां-डी	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	12.10.22	कार्य अप्रारम्भ	उपलब्ध नहीं	0	अप्रारम्भ	11.10.2023	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
16.	चितारा	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	12.10.22	01.02.2023	उपलब्ध नहीं	12.11	समापन स्तर	11.10.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में चार माह की देरी
17.	हीरापुरा	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	12.10.22	कार्य अप्रारम्भ	उपलब्ध नहीं	0	अप्रारम्भ	11.10.2023	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
18.	कुधार	पी.आई.यू. (भवन) श्योपुर	12.10.22	01.02.2023	उपलब्ध नहीं	12.47	समापन स्तर	11.10.2023	अपूर्ण	अपूर्ण	भूमि आवंटन में चार माह की देरी
19.	रिझौहन	पी.आई.यू. उमरिया	03-02-2023	15-02-2023	उपलब्ध नहीं	7.78	लिंटेल स्तर	02-11-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
20.	मझाखेटा	पी.आई.यू. उमरिया	03-02-2023	15-02-2023	उपलब्ध नहीं	9.12	लिंटेल स्तर	02-11-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
21.	दोडका 1	पी.आई.यू. उमरिया	03-02-2023	15-02-2023	उपलब्ध नहीं	8.07	लिंटेल स्तर	02-11-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
22.	बैगनटोला	पी.आई.यू. उमरिया	03-02-2023	15-02-2023	उपलब्ध नहीं	6.57	लिंटेल स्तर	02-11-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
23.	डोगरीटोला	पी.आई.यू. उमरिया	03-02-2023	15-02-2023	उपलब्ध नहीं	7.78	लिंटेल स्तर	02-11-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
24.	पठारी	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	15-11-2022	उपलब्ध नहीं	25.80	पूर्ण	13-08-2023	30-10-2023	-	-
25.	बड़वानी	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	15-11-2022	उपलब्ध नहीं	25.50	पूर्ण	13-08-2023	30-10-2023	-	-

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
26.	छात्तनटोला	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	15-11-2022	उपलब्ध नहीं	25.49	पूर्ण	13-08-2023	30-10-2023	-	-
27.	बगदरी	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	15-11-2022	उपलब्ध नहीं	24.90	पूर्ण	13-08-2023	30-10-2023	-	-
28.	मलखानिया	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	06-07-2023	उपलब्ध नहीं	8.77	समापन स्तर	13-08-2023	-	-	भूमि आवंटन में देरी
29.	बरछाद 2	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	28-12-2022	उपलब्ध नहीं	17.47	समापन स्तर	10-08-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
30.	चंदवर 3	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	01-10-2023	उपलब्ध नहीं	0	लिंटेल स्तर	10-08-2023	-	-	भूमि आवंटन में देरी
31.	सुखदान 2	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	07-07-2023	उपलब्ध नहीं	8.66	समापन स्तर	10-08-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
32.	दिघिया	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	28-12-2022	उपलब्ध नहीं	19.49	समापन स्तर	10-08-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
33.	मुड्डुदी 1	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	28-12-2022	उपलब्ध नहीं	19.99	छत स्तर	10-08-2023	-	-	कार्य की धीमी प्रगति
34.	गोहादी	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	22-12-2023	उपलब्ध नहीं	25.72	पूर्ण	10-08-2023	15-08-2023	-	-
35.	चिर्वाह	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	15-12-2022	उपलब्ध नहीं	25.99	पूर्ण	10-08-2023	30-06-2023	-	-

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
36.	पारसी	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	10-12-2022	उपलब्ध नहीं	25.73	पूर्ण	10-08-2023	15-07-2023	-	-
37.	उमरिया वार्ड 6/7	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	25-12-2023	उपलब्ध नहीं	0	दिसंबर 2023 में शुरू किया गया	10-08-2023	-	-	भूमि आवंटन में देरी
38.	चंदिया वार्ड 1	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	18-12-2022	उपलब्ध नहीं	23.84	पूर्ण	10-08-2023	07-10-2023	-	-
39.	उमरिया वार्ड1	पी.आई.यू. उमरिया	11-11-2022	19-04-2023	उपलब्ध नहीं	23.32	पूर्ण	10-08-2023	11-10-2023	-	-
40.	मानपुर 2	पी.आई.यू. उमरिया	01-12-2022	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई	0	अप्रारम्भ	31-03-2023	-	-	भूमि का आवंटन न होना
41.	गोवारदे 4	पी.आई.यू. उमरिया	01-12-2022	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई	0	अप्रारम्भ	31-03-2023	-	-	भूमि का आवंटन न होना
42.	उमरिया खुर्द	पी.आई.यू. उमरिया	01-12-2022	10-12-2022	उपलब्ध नहीं	20.30	पूर्ण	31-03-2023	30-08-2023	-	-

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
43.	रोगढ़ 2	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	25-12-2022	उपलब्ध नहीं	25.08	पूर्ण	13-03-2023	30-04-2023	-	-
44.	पाली 7/8	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई	0	अप्रारम्भ	13-03-2023	-	-	भूमि का आवंटन न होना
45.	टिकुरीटोला	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	14-11-2022	उपलब्ध नहीं	17.18	पूर्ण	13-03-2023	31-03-2023	-	-
46.	बगैहन	पी.आई.यू. उमरिया	14-11-2022	14-11-2022	उपलब्ध नहीं	19.08	पूर्ण	13-03-2023	25-05-2023	-	-
47.	छिंदी	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	17.10.22	8.02.23	उपलब्ध नहीं	17.20	छत स्तर	17.10.23	छत स्तर	छत स्तर	ठेकेदार की मृत्यु
48.	जैतपुर	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	17.10.22	8.02.23	उपलब्ध नहीं	10.56	छत स्तर	17.10.23	छत स्तर	छत स्तर	ठेकेदार की मृत्यु
49.	मनकादेओरी	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	17.10.22	कार्य अप्रारम्भ	16 माह	0	अप्रारम्भ	17.10.23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
50.	लिंगा	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	17.10.22	कार्य अप्रारम्भ	16 माह	0	अप्रारम्भ	17.10.23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
51.	लोटिया	पी.आई.यू. छिंदवाड़ा	17.10.22	कार्य अप्रारम्भ	16 माह	0	अप्रारम्भ	17.10.23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
52.	दंडबिछिया	पी.आई.यू. डिंडोरी	27-10-22	24-11-22	उपलब्ध नहीं	69.95	निर्माणाधीन	26-10-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
53.	मदियारस	--तदैव--	27-10-22	24-11-22	शून्य		निर्माणाधीन	26-10-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
54.	डिंडोरी वार्ड सं. 1	--तदैव--	27-10-22	24-11-22	7 माह		निर्माणाधीन	26-10-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी
55.	डिंडोरी वार्ड सं. 2 (1)	--तदैव--	27-10-22	24-11-22	7 माह		निर्माणाधीन	26-10-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी
56.	डिंडोरी वार्ड सं. 4	--तदैव--	27-10-22	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई		अप्रारम्भ	26-10-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
57.	डिंडोरी वार्ड सं. 6 (1)	--तदैव--	27-10-22	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई		अप्रारम्भ	26-10-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
58.	डिंडोरी वार्ड सं. 6 (2)	--तदैव--	27-10-22	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई		अप्रारम्भ	26-10-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
59.	डिंडोरी वार्ड सं. 8	--तदैव--	27-10-22	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई		अप्रारम्भ	26-10-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
60.	सुकुलपुरा भर्रा टोला	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	उपलब्ध नहीं	164.61	निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
61.	गिर्वारपुर	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
62.	धोपालपुर	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
63.	केओलारी सं. 2	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	उपलब्ध नहीं		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
64.	करौन्दी	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
65.	केओलारी सं. 1	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
66.	सुकुलपुरा माल	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
67.	पिंडरुखी	--तदैव--	4-11-22	14-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	4-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
68.	किरांगी	--तदैव--	2-11-22	18-12-22	निरंक	86.76	निर्माणाधीन	1-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
69.	बिजौरी	--तदैव--	2-11-22	18-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	1-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
70.	गोरखपुर रैयत छपराटोला	--तदैव--	2-11-22	कार्य अप्रारम्भ	निरंक		अप्रारम्भ	1-11-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
71.	गोरखपुर रैयत	--तदैव--	2-11-22	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		निर्माणाधीन	1-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं – भूमि आवंटन में देरी
72.	माधोपुर	--तदैव--	2-11-22	18-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	1-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	--तदैव--
73.	भालखोहमल	--तदैव--	2-11-22	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित नहीं की गई		अप्रारम्भ	1-11-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना
74.	पतन रैयत	--तदैव--	2-11-22	18-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	1-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
75.	लालपुर	--तदैव--	2-11-22	18-12-22	निरंक		निर्माणाधीन	1-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
76.	शाहपुरा वार्ड सं. 1	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	4 माह	109.40	निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी
77.	शाहपुरा वार्ड सं. 9	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	4 माह		निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि देर से आवंटित की गई
78.	शाहपुरा वार्ड सं. 10	--तदैव--	4-11-22	कार्य अप्रारम्भ	भूमि आवंटित		अप्रारम्भ	3-11-23	कार्य अप्रारम्भ	कार्य अप्रारम्भ	भूमि का आवंटन न होना

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
					नहीं की गई						
79.	शाहपुरा वार्ड सं. 12	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	16 माह		निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी
80.	सुदगाँव	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	7 माह		निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	--तदैव--
81.	खजरवारा	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	7 माह		निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	--तदैव--
82.	टिकराबंधा	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	उपलब्ध नहीं		निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
83.	नौझार	--तदैव--	4-11-22	25-12-22	7 माह		निर्माणाधीन	3-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी
84.	लालपुर बनवासीटोला	--तदैव--	21-11-22	21-11-22	उपलब्ध नहीं	115.26	निर्माणाधीन	20-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
85.	खुदुरपानी	--तदैव--	21-11-22	21-11-22	1 माह		निर्माणाधीन	20-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
86.	अमरपुर	--तदैव--	21-11-22	21-11-22	1 माह		पूर्ण	20-11-23	5-1-24	प्रक्रियाधीन	-
87.	देओरी भर्रा	--तदैव--	21-11-22	21-11-22	7 माह		निर्माणाधीन	20-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी
88.	दुनगरिया	--तदैव--	21-11-22	21-11-22	निरंक		पूर्ण	20-11-23	10-1-24	प्रक्रियाधीन	-
89.	समनापुर	--तदैव--	21-11-22	13-12-22	निरंक	117.03	निर्माणाधीन	20-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	उपलब्ध नहीं
90.	खुदिया	--तदैव--	21-11-22	13-12-22	7 माह		निर्माणाधीन	20-11-23	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	भूमि आवंटन में देरी

स.क्र.	स्थान	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्य आदेश की तिथि	कार्य आरंभ करने की वास्तविक तिथि	भूमि के आवंटन में देरी	कार्य पर किया गया व्यय	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये कार्य को हैण्ड ओवर की तिथि	कार्य के पूरा होने में देरी, कार्य प्रारंभ न होने या अपूर्ण होने के कारण
91.	देवलपुर	--तदैव--	21-11-22	13-12-22	निरंक		पूर्ण	20-11-23	10-1-24	प्रक्रियाधीन	-
92.	नंदिन्दोरी	--तदैव--	21-11-22	13-12-22	निरंक		पूर्ण	20-11-23	15-1-24	प्रक्रियाधीन	-
93.	कमको	--तदैव--	21-11-22	13-12-22	निरंक		पूर्ण	20-11-23	5-1-24	प्रक्रियाधीन	-

संक्षिप्तों की शब्दावली

स.क्र.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
"मध्य प्रदेश के स्कूलों में मानव संसाधन प्रबंधन" की लेखापरीक्षा		
1.	ए.डब्ल्यू.पी.	वार्षिक कार्य योजना
2.	बी.ई.ओ.	विकास खंड शिक्षा अधिकारी
3.	डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
4.	डी.ई.ओ.	जिला शिक्षा अधिकारी
5.	डी.आई.ई.टी.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
6.	डी.पी.आई.	लोक शिक्षण संचालनालय
7.	ई.पी.ई.एस.	एक परिसर एक शाला
8.	जी.ए.डी.	सामान्य प्रशासन विभाग
9.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
10.	एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास
11.	एच.आर.एम.आई.एस.	मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली
12.	एन.एस.डी.एल.	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
13.	पी.ई.बी	व्यावसायिक परीक्षा मंडल
14.	पी.जी.आई.	प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
15.	पी.टी.आर.	छात्र-शिक्षक अनुपात
16.	आर.एस.के.	राज्य शिक्षा केंद्र
17.	आर.टी.ई.	शिक्षा का अधिकार
18.	एस.ई.डी.	स्कूल शिक्षा विभाग
19.	एस.एस.ए.	समग्र शिक्षा अभियान
20.	टी.ए.डी.	जनजातीय कार्य विभाग
21.	यू.डी.आई.एस.ई.	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
"मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा"		
22.	अधिनियम	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011
23.	डी.ई.ओ.	डाटा एंट्री ऑपरेटर
24.	ई.सी.	कार्य परिषद्
25.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
26.	जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
27.	एच.आई.टी.ई.एस.	एच.एल.एल. इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
28.	आई.टी.आई.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
29.	एल.आई.सी.	स्थानीय जांच समिति
30.	एम.जी.एम.एम.सी.	महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय
31.	एम.पी.एम.एस.यू.	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
32.	एन.एस.सी.बी.एम.सी.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय
33.	पी.एच.डी.	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

स.क्र.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
34.	एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण
35.	व्यापम	व्यवसायिक परीक्षा मंडल
"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना" की लेखापरीक्षा		
36.	ए.सी.	सहायक आयुक्त
37.	आइसेक्ट	अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसायटी
38.	बी.डी.ए.	भारिया विकास एजेंसी
39.	बी.ओ.क्यू.	बिल ऑफ़ क्वांटिटी
40.	बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
41.	सी.सी.डी.	संरक्षण सह विकास
42.	सी.एफ.सी.	कॉमन फैसिलिटी सेंटर
43.	सी.एल.एफ.	क्लस्टर स्तरीय संघ
44.	सी.टी.ए.डी.	आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
45.	डी.ओ.	जिला संयोजक
46.	डी.पी.सी.	जिला परियोजना समन्वयक
47.	डी.पी.ई.	संभागीय परियोजना अभियंता
48.	डी.पी.एम.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक
49.	ई.सी.	कार्यकारी समिति
50.	ई-इन-सी	प्रमुख अभियंता
51.	एफ.आर.ए.	वन अधिकार अधिनियम
52.	जी.एफ.आर.	सामान्य वित्तीय नियम
53.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
54.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
55.	आई.ए.	क्रियान्वयन एजेंसियां
56.	जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
57.	मैपसेट	मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद
58.	एम.ओ.टी.ए.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
59.	एम.पी.एच.आई.डी.बी.	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
60.	एम.पी.एम.वी.वी.एन.	मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम
61.	एम.पी.एस.सी.एच.एफ.एल.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित
62.	एम.पी.एस.टी.डी.सी.	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित
63.	एम.पी.यू.वी.एन.	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम
64.	पी.ए.सी.	परियोजना मूल्यांकन समिति
65.	पी.एच.ई.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
66.	पी.टी.ए.	अभिभावक शिक्षक संघ
67.	पी.वी.टी.जी.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
68.	पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
69.	एस.सी.सी.	अनुबंध की विशेष शर्तें

स.क्र.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
70.	एस.एन.ए.	एकल नोडल खाता
71.	एस.आर.एल.एम.	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
72.	एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण
73.	टी.ए.डी.	जनजातीय कार्य विभाग
74.	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण पत्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi